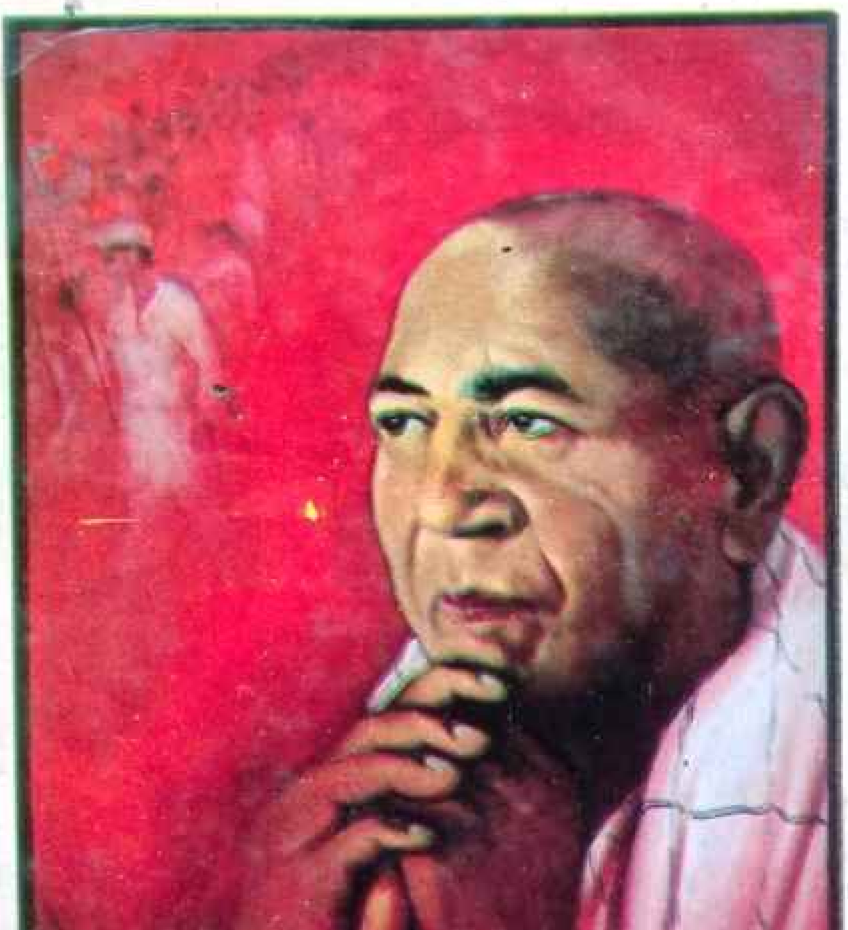
कर्मयोगी महानन्द मिश्र

व्यक्तित्व और कृतित्व



पारसनाथ मिश्र

कर्मयोगी महानन्द मिश्र
व्यक्तित्व और कृतित्व

सम्पादक

• पारसनाथ मिश्र

शहीद स्मारक एवं स्वतंत्रता संग्राम शोध केन्द्र, लखनऊ

MARTYRS' MEMORIAL AND FREEDOM STRUGGLE
RESEARCH CENTRE, LUCKNOW

मूल्य :

पेपरबैक : रु. 40.00

हार्डबाउण्ड : 100.00

प्रथम संस्करण : 1997

प्रकाशक : चन्द्रदत्त तिवारी
सचिव,
शहीद स्मारक एवं स्वतंत्रता संग्राम शोध केन्द्र,
पुराना किला, लखनऊ - 226 001

टाइपसेटिंग : कम्प्यूटर प्रभाग, राहुल फाउण्डेशन,
3/274, विश्वास खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ - 226 010

मुद्रक : वाणी ग्राफिक्स, अलीगंज, लखनऊ

आवरण :
श्री महानन्द मिश्र का चित्र : प्रो. रणवीर सिंह बिष्ट
सज्जा : एन. एन. राय एवं रामबाबू

KARMAYOGI MAHANAND MISHRA : VYAKTITWA AUR KRITITWA
by Parasnath Mishra

महानन्द मिश्र



जन्मतिथि 2 जनवरी 1911 • पुण्यतिथि 9 अक्टूबर 1972

प्राक्कथन

इस पुस्तक को लिखने में मुझे मेरे अनेक मित्रों और सहानुभूति रखने वालों का सहयोग मिला है।

श्री विश्वनाथ चौबे (समरा गोपालपुर), **श्री सिद्धनाथ तिवारी** (देवरिया, गाजीपुर), **श्री राजेश्वर त्रिपाठी** (नरायनपुर, रसड़ा), **डा. लक्ष्मीशंकर त्रिवेदी** (नरही), **श्री श्याम बिहारी सिंह** (करन छपरा), **श्री शिवमुनि राम** (कोटवा), **श्री कुंवर बहादुर सिंह** (बड़की सेरिया), **श्री पब्बर राम** (भूतपूर्व विधायक, गाजीपुर), **श्री रामवृक्ष शास्त्री**, सचिव, बापू भवन, बलिया आदि मित्रों के अमूल्य सुझाव सहयोग और प्रोत्साहन के बिना इस पुस्तक का पूरा होना कठिन था। मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं।

पुस्तक की पृष्ठभूमि के लेखन में **श्री चन्द्रोदय दीक्षित**, भूतपूर्व सम्पादक, स्वतंत्र भारत, लखनऊ का महत्वपूर्ण सहयोग मिला।

इस पुस्तक की सज्जा और प्रस्तुतिकरण का दायित्व प्रसिद्ध चित्रकार **प्रो. रणवीर सिंह बिष्ट**, लेखक **श्री कृष्ण नारायण कक्कड़**, चित्रकार **श्री एन. एन. राय** और पत्रकार **श्री सत्यम वर्मा** ने सहर्ष उठाया।

पुस्तक के प्रकाशन का भार उठाने के लिए शहीद स्मारक एवं स्वतंत्रता संग्राम शोध के मंत्री **श्री चन्द्रदत्त तिवारी** का मैं विशेष रूप से आभारी हूं।

— पारसनाथ मिश्र

3/105, विकास खण्ड
गोमतीनगर,
लखनऊ — 226010

महानन्द मिश्र : समकालीनों की दृष्टि में


श्री सिद्धनाथ तिवारी

देवरिया (जोगा), जनपद गाजीपुर नेवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी **श्री सिद्धनाथ तिवारी** की कर्मभूमि मुख्यतः बलिया जनपद रहा। इस सदी के तीसरे दशक के आरम्भ से वह आजीवन स्वतंत्रता संग्राम एवं समाजवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन से जुड़े रहे। 'कौमी सेवा दल', 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' एवं 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के सक्रिय राष्ट्रकर्मी रहे। वह कांग्रेस, एच.एस.आर.ए., आर.एस.पी. तथा अंत में कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध रहे। नंदगंज ट्रैन डकैती केस में भी वह अभियुक्त थे। उन्होंने अनेक राजनैतिक एवं किसान आन्दोलनों के संबंध में अनेक बार जेल यात्राएं की।

इस समय तिवारी जी पक्षाघात से पीड़ित हैं। अपनी जन्मभूमि देवरिया में अपने भाई के परिवार के साथ रह रहे हैं। अपनी लंबी राजनैतिक यात्रा की अवधि में वह अनेक सहयोगियों एवं क्रान्तिकारियों के संपर्क में आए। श्री महानन्द मिश्र के बारे में समय–समय पर इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा व्यक्त उदगारों को श्री तिवारी ने अपने संस्मरण के रूप में लिखा है जिसके कुछ प्रमुख अंश प्रस्तुत हैं –

'बलिया के शेर' – चित्तू पाण्डेय जी :

– बलिया पर कब्जा करने के बाद मैंने महानन्द को जिले में अमन चैन का भार सौंपा।

सन् 1942 में बलिया के पुलिस अधीक्षक **सी.एल.डी. उड** ने (जो उस समय क्रान्तिकारियों पर जुल्म ढाने के कारण कुख्यात था) कहा था :–

– सामने निःशंक खड़ा है। ध्रुवतारे की तरह स्थिर है। पर्वत की भांति अडिग अचल। निस्संदेह वह देशभक्त है, ऐसे व्यक्ति की पूजा क्यों न हो।

1942–43 में क्रान्तिकारियों पर बर्बर प्रताणना के लिए बदनाम थानेदार

सुन्दर सिंह ने मिश्र जी पर सारी तरह की यातनाओं को आजमाने के बाद उस समय के पुलिसकर्मियों से कहा था :–

– निस्संदेह यह छोटे कर्मचारियों का शुभचिन्तक है। देशभक्त है, वफादार है। सरल हृदय का है। इस की छाती वज्र की है। यह वास्तव में नेता है।

सन 1943–44 में बलिया जेल के जेलर **ओम प्रकाश गुप्त** ने अपनी एक सरकारी रिपोर्ट में लिखा :–

– महानन्द मिश्र ने कभी किसी की शिकायत (बड़े अधिकारी) से नहीं की। मौन रहकर जुल्म सहे और देखे। यह बंदी निराले और अजीब स्वभाव का है। अपने लिये कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। कैदियों में सर्व प्रिय है, अतः खतरा है।

गाजीपुर के पूर्व सांसद एवं विख्यात कम्युनिस्ट नेता **सरयू पाण्डेय** :–

– महानन्द जी बलिया जनपद के पवाहारी बाबा हैं। ऐसे लोग ही राजर्षि होते हैं।

गाजीपुर के क्रान्तिकारी नेता **बेनीमाधो राय** :–

– मुझे इस रूप में लाने का श्रेय महानन्द जी को है। वह अगर मुझे नहीं मिले होते तो मैं देशप्रेम के बंधन में बंधा न होता, वे मेरे द्रोणाचार्य थे।

नंदगंज ट्रेन डकैती के क्रान्तिकारी **स्व. केशव पाण्डेय**, गोरखपुर :–

– पंडित महानन्द जी हम लोगों के केस की पैरवी में सक्रिय हैं। ऐसे तत्वदर्शी संत को पाकर मैं धन्य हो गया।

पिपरीडीह डकैती कांड के प्रमुख अभियुक्त एच.एस.आर.ए. (पूर्वांचल) के नेता **स्व. जय बहादुर सिंह** :–

– बलिया जनपद में मैंने अकेले महानन्द जी को ही क्रान्तिकारी विचारधारा का पाया। क्रान्तिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वह सतत प्रेरणा और सही सलाह देते थे।

देवरिया के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी **बद्रीनारायण मिश्र** :–

– मुझे बलिया में केवल एक ही आश्रयदाता मिले। वह निर्भीक पंडित महानन्द जी ही थे।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी **बाबा लक्ष्मण दास** :–

– महानन्द मिश्र जी क्रान्ति की मंजिल रहे। क्रान्तिकारियों के गौरव रहे। उनके अनुसरण से दर्जनों देशभक्त पैदा हुए।

बलिया में क्रान्तिकारी संगठन उत्थान संघ के संस्थापक **गोकुल दास शास्त्री 'गोकुल भाई'** :–

– कम शिक्षित होने के बावजूद गुप्त संगठन करने की दक्षता महानन्द में है। ये विचित्र तत्व के बने हैं, दल के हनुमान हैं।

आजीवन काला पानी की सजा भुगतने वाले क्रान्तिकारी पंडित परमानन्द ने कौमी सेवा दल के रसड़ा शिविर के दीक्षान्त भाषण में कहा :–

– मिश्र जी उत्तरदायी व्यक्तित्व के धनी हैं और उनमें कठिन से कठिन कार्य का उत्तरदायित्व निभाने की अद्भुत क्षमता है।

आर.एस.पी. नेता, कैम्युनिस्ट विधायक, सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मन्त्री **झारखंडे राय** :–

– जनपद बलिया में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व हमें मिश्र जी का ही मिला।

पूर्वांचल में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और शीर्षस्थ नेता **श्री विश्वनाथ मर्दाना** :–

– महानन्द मिश्र राजनीति में आतंकवाद के विरुद्ध और अनावश्यक रक्तपात के घोर विरोधी थे।

कबीरपंथी कांग्रेस कार्यकर्ता **ठाकुर शिवपूजन सिंह** (गड़वार) :–

– क्रान्तिकारियों में सबसे गम्भीर और स्वावलंबी मिश्र जी थे।

बलिया के देशरत्न, गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता और एम.एल.सी. **ठाकुर जगन्नाथ सिंह** : –

– विरोधी परिस्थितियों में सामंजस्य एवं संतुलन बनाये रखना और विनम्र स्नेही स्वभाव महानन्द जी की विशेषता थी।

1921 के असहयोगी, समर्पित कांग्रेसी **श्री जंगबहादुर सिंह** :–

– पंडित महानन्द जी विदुर हैं जो समय पर सही बात निर्भीकता से कह देते हैं।

क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रबल समर्थक फरार क्रान्तिकारियों के आश्रयदाता कबीरपंथी **स्वामी सदाफल दास** :–

– जिस दल या संगठन में पंडित महानन्द नहीं है वह दल क्रान्तिकारी हो ही नहीं सकता।

क्रान्तिकारी संगठन यूथ लीग के नेता **राजदेव सिंह** (जौनपुर) ने एच.एस. आर.ए. के टूटने पर कहा :–

– मुझे किसी भी तरह महानन्द को साथ में लाना है। उनके बिना पूर्वांचल में अगर कोई संघ है भी तो वह (संघ) शून्य है।

जिला कांग्रेस समिति के मन्त्री स्वतंत्रता सेनानी **श्री राम अनन्त पाण्डेय** :–

– महानन्द मिश्र संत, साधु पुरुष रहे। जिसके साथ रहते पूरी वफादारी से रहते। वचन के पक्के और शूरवीर देशभक्त थे।

बलिया के प्रसिद्ध वकील एवं सांसद मुरली मनोहर **"मुरली बाबू"** :–

– महानन्द वास्तव में महान थे, आनंद थे, कृतज्ञता के स्वरूप और विनम्रता की मूर्ति थे।

श्री मथुरा लाल किसान, गांव बेलौंझ, रतनपुरा बलिया

– सन् 1921 से 1942 तक आजीवन कांग्रेस आंदोलन के कार्यकर्ता महानन्द

जी वास्तव में तपस्वी थे। समाज को चुनौती देने वाले धीर–वीर थे। देश में सौ महानन्द रहे तो भारत आदर्श बन जायेगा।

समाजवादी विचारक एवं नेता **स्वामी ओंकारानंद** :–

– महानन्द विचार के ध्रुव। मंजिल के अडिग पत्थर और अनुशासित सेनापति थे।

डा. राम स्वरूप गुप्त, बलिया के पुराने एम.बी.बी.एस. डाक्टर :–

मिश्र जी आदर्श इन्कलाबी पुरुष थे। वे प्रतिज्ञाबद्ध क्रान्तिकारी थे जो समय की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

(श्री सिद्धनाथ तिवारी के संस्मरणों से)

कर्मयोगी महानन्द मिश्र व्यक्तित्व और कृतित्व

पृष्ठभूमि

तीसरे दशक के उत्तरार्द्ध में भारत की राजनीति में बहुत उथल–पुथल होने लगी थी। उसी प्रकार ब्रिटिश हुकूमत का दमनचक्र भी बड़े जोरों पर था। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान भर के कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करके मेरठ जेल में बंद कर दिया और उनके विरुद्ध "मेरठ षड्यंत्र केस" चलाया। 1928 में सर जान साइमन नाम के एक बैरिस्टर साइमन कमीशन के इन्चार्ज बनाकर भेजे गये जिसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। श्री साइमन को भारतवर्ष में यह पता लगाना था कि यहां के लोगों को स्वायत्त शासन किस रूप में प्रदान किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कमीशन का विरोध किया। भारतवर्ष में कमीशन जहां–जहां गया, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब के लाला लाजपत राय पुलिस के लाठी चार्ज से बुरी तरह जख्मी हो गये। बाद में लाला जी की मृत्यु हो गयी। इसका प्रभाव देश के नौजवानों के ऊपर बहुत अधिक पड़ा और जब पंजाब के कुछ क्रान्तिकारी बंगाल गये तो वहां क्रांतिकारियों ने पूछा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं। सरदार भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद के दल ने साण्डर्स नामक व्यक्ति को लाला जी की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया और उसकी हत्या कर देने का निर्णय किया। उसके फलस्वरूप पुलिस कप्तान लाहौर में पुलिस दफ्तर में चन्द्रशेखर आजाद की गोली से मारा गया। सरदार भगतसिंह और राजगुरु भाग निकले। ये सभी हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम की संस्था में काम कर रहे थे। सरकार के दमन का दबाव बढ़ता गया। सरदार भगतसिंह ने संसार का ध्यान ब्रिटिश दमनकारी व्यवस्था की ओर आकृष्ट करने के लिए बटुकेश्वर दत्त के साथ केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंका और अपने को गिरफ्तार करा दिया। कुछ ही दिनों में उन पर साण्डर्स को मारने का मुकदमा चला और उन्हें (23 मार्च 1931) फांसी दे दी गयी। इसके कुछ ही दिन पहले (27 फरवरी 1931) चन्द्रशेखर आजाद पुलिस से लड़ते हुए शहीद हो गये थे। इस प्रकार हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नेता विहीन हो गयी। चन्द्रशेखर आजाद ने 4 सितम्बर 1930 को एच.एस.आर.ए. को भंग कर

दिया था और पूरे देश के नौजवानों से कह दिया था कि वे अपने विवेक के अनुसार काम करें। उन्होंने विभिन्न प्रान्तीय संगठनों को हथियार भी बांट दिये। परिणामतः उत्तर प्रदेश में भी अनेक जिलों में स्थानीय नेताओं ने क्रान्तिकारी संगठन बनाये और काम करने लगे।

इसी प्रकार का एक संगठन बलिया जिले में बना जिसका नाम "उत्थान संघ" था। इसके नेता श्री गोकुलदास शास्त्री थे। गोकुलदासं गांधी आश्रम में काम करते थे और गोकुल भाई के नाम से जाने जाते थे, वह एक गुजराती थे किन्तु उनका परिवार बहुत वर्षों से काशी में रह रहा था। 'उत्थान संघ' का उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बहुत प्रभाव था। यद्यपि इसका केन्द्र स्थान बलिया था लेकिन इसकी शाखायें विभिन्न प्रान्तों में थीं।

श्री महानन्द मिश्र इस संगठन की एक शाखा बलिया में स्थापित करने वाले एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। उन्होंने विशेषकर विद्यार्थियों को इस संगठन की ओर आकृष्ट किया। 1940 में बिहार में रामगढ़ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का सालाना जलसा हुआ। उस समय मैं हाई स्कूल का छात्र था। मैं भी मिश्र जी की ही प्रेरणा से "उत्थान संघ" का सदस्य हो गया था। उत्थान संघ के संविधान के अनुसार दल के प्रत्येक सदस्य को कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सदस्य होना अनिवार्य था जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रत्येक सदस्य कांग्रेस का सदस्य होता था। इस प्रकार श्री महानन्द मिश्र कांग्रेस समाजवादी पार्टी तथा 'उत्थान संघ' में काम करने लगे। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस की समाप्ति के बाद श्री महानन्द मिश्र ने मुझको यह आदेश दिया कि मैं बलिया में गंगा के किनारे एक स्थान पर बैठकर एक व्यक्ति की प्रतीक्षा करूं और वह व्यक्ति जो कहें उसको समझूं तथा उसके अनुसार आचरण करूं। निश्चित समय पर एक व्यक्ति अकेला उस स्थान पर आया और मुझसे बात की। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि यही सज्जन गोकुलदास शास्त्री थे। स्पष्ट है कि गांधी जी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के समाजवादी दृष्टिकोण तथा हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के विघटन के बाद बलिया में स्थापित 'उत्थान संघ' में सक्रिय भागीदारी के आधार पर ही श्री महानन्द मिश्र के व्यक्तित्व का विकास हुआ।

भारतवर्ष में स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनायी जा रही है। निश्चय ही देश के इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण घटना है।

भारत ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी में था और उसकी आजादी का आन्दोलन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से आरम्भ हो चुका था। इस आन्दोलन ने सामाजिक और राजनीतिक रूप लेकर विभिन्न धाराओं का रूप लिया।

देश की आजादी के लिए संघर्ष की क्रान्तिकारी धारा का विकास बंग भंग के बाद बंगाल और मराठा में उग्र रूप से प्रकट हुआ। 1898 में चापेकर बन्धुओं ने प्लेग कमिश्नर रैण्ड की हत्या कर दी क्यों कि उसने प्लेग मिटाने के नाम पर जनता

पर भीषण अत्याचार किये थे। बाद में इंग्लैड में भारतीय विद्यार्थियों ने 'नव भारत' नामक संस्था की स्थापना की। श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीर सारवकर और लाला हर दयाल ने उसमें सक्रिय सहयोग किया।

1907 में अंग्रेज शासक वर्ग ने भारत में गदर के असफल होने के उपलक्ष्य में बड़े पैमाने पर समारोह करने का आयोजन किया। इससे क्षुब्ध होकर भारतीयों ने स्वाधीनता संग्राम को उग्र रूप देने का निश्चय किया।

अरविन्द घोष आदि ने 1908 में अलीपुर क्षय काण्ड द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। क्रान्तिकारी आन्दोलन का समर्थन करने के लिए लोक मान्य तिलक को लम्बी सजा देकर बर्मा के माण्डले में 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। लाला हरदयाल ने कनाडा में भारतीयों को संगठित कर गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की ओर से कामागाटामारू नामक जहाज अस्त्र–शस्त्र से लैस होकर भारत आया जहां दमदम में उनके जहाज को अंग्रेजों ने पकड़ लिया लेकिन उसके क्रान्तिकारी देश भर में फैल गये और प्रथम महा युद्ध शुरू होने पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध क्रान्ति की योजना बनायी। उस सिलसिले में प्रथम लाहौर षड्यंत्र काण्ड, दिल्ली षडयंत्र काण्ड और बनारस षड्यंत्र के मुकदमों में बहुत से लोगों को फांसी की सजाएं दी गयीं और सैकड़ों क्रान्तिकारियों को अण्डमान कालापानी भेज दिया गया।

प्रथम महायुद्ध के समय देश के सुधारवादी नेताओं का विश्वास था कि भारत को युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज्य मिलेगा लेकिन अंग्रेजी शासकों ने रौलट कमीशन नियुक्त कर भारत के क्रान्तिकारियों के दमन के लिए रौलट एक्ट कानून बनाकर दमन चक्र शुरू किया।

महात्मा गांधी ने रौलट कानून के विरुद्ध देशभर में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आवाहन किया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में दमन विरोधी सभा का आयोजन किया गया जिसके दमन के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने जालियांवाला बाग हत्याकाण्ड की खून की होली का ताण्डव किया।

इसके बाद कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हांथ में आ गया और उन्होंने 1921 के असहयोग आन्दोलन का आह्वान किया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा काण्ड के बाद गांधी जी ने आन्दोलन वापस ले लिया।

इसके बाद आजादी की लड़ाई की तीन धाराएं सामने आयीं। कांग्रेस में विभाजन के बाद स्वराज्य पार्टी बनी जो वैधानिक ढंग से काम करने के पक्ष में थी। गांधीवादी अपरिवर्तनवादी थे और वे गांधी जी के अहिंसा सिद्धान्त के अनुसार करना चाहते थे। तीसरी धारा क्रान्तिकारी आन्दोलन को पुनर्गठित करने की थी। क्रान्तिकारी आन्दोलन को हिन्दुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के रूप में संगठित किया गया जिसमें अनुशीलन तथा अन्य का क्रान्तिकारियों को शामिल किया गया। 1925 का काकोरी कांड उसकी चरम परिणति थी।

भारतीय आन्दोलन का जायजा लेने के लिए 1928 में सर जान साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन हिन्दुस्तान आया। हिन्दुस्तान में इसका प्रबल विरोध हुआ। क्रान्तिकारी आन्दोलन उत्तरोत्तर बढ़ने लगे। सरदार भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भारतीय क्रान्तिकारियों ने हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। महात्मा गांधी भी चुप नहीं बैठे थे। वह भारत की उभरती हुई जनशक्ति का आकलन कर रहे थे और अन्त में 1930 में उन्होंने ब्रिटिश कानून तोड़ने का आह्वान किया। हजारों लोगों ने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और जेल चले गये तथा नमक कानून की धज्जियां उड़ गईं। अनेक नवयुवक इस आन्दोलन की ओर आकृष्ट हुए। बलिया जिले में श्री महानन्द मिश्र इस आन्दोलन में शामिल हुए। नमक सत्याग्रह में गिरफ्तारियां बंद होने के बाद आर्डीनेंस आया। इसके तहत गांजा, भांग, सरकारी नशीली पदार्थों की दुकानों पर बिक्री को रोकने के लिए पिकेटिंग करने वालों की गिरफ्तारियों होने लगी। यह पिकेटिंग सविनय अवज्ञा आन्दोलन का दूसरा भाग था। श्री महानन्द जी को पिकेटिंग आर्डीनेंस में 6 महीने की सजा हो गयी। तदपुरांत श्री महानन्द मिश्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आजीवन सेनानी रहे।

आरम्भिक जीवन और क्रान्ति-पथ पर पदार्पण

श्री महानन्द मिश्र का जन्म सन् 1911 में बलिया शहर की पुरानी बस्ती में हुआ। चार वर्ष की अवस्था में उनकी माता का देहान्त हो गया। मिश्र जी के पिता का नाम श्री पंचम मिश्र था, वह पांच भाई थे। सन 1916 में बलिया में भयंकर बाढ़ आयी और शहर का काफी हिस्सा नदी में ढह गया। उनमें मिसिर टोला के मिश्र लोगों के मकान भी ढह गये। सन 1917 में बलिया में इन लोगों को बसाया गया। इस मोहल्ले का नाम जापलीन गंज है। श्री पंचम मिश्र एक बहुत ही सीधेसाधे व्यक्ति थे, रोटी का सहारा वही थोड़ा सा खेत ही था जो गंगा के किनारे बचा था और वह स्वयं बालेश्वर जी के मंदिर में पूजा–पाठ करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। जापलीन गंज में उन्होंने अपना मकान बनवाया। उन्होंने दूसरी शादी की जिससे दो लड़कियां पैदा हुई, बाद में उनकी दूसरी पत्नी का भी देहान्त हो गया।

श्री महानन्द मिश्र बचपन से ही मोहल्ले के बच्चों की धींगामुस्ती में शामिल हुए और स्वच्छन्द हो गये। उनके पिता ही भोजन आदि की व्यवस्था करके बच्चों को पालते थे। श्री मिश्र प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गये लेकिन पढ़ने में उनकी रुचि नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि जब कक्षा एक की परीक्षा हुई तो उनके अध्यापक ने उनको कक्षा ब में कर दिया और मिश्र जी की शिक्षा वहीं समाप्त हो गयी। सन 1920 के बाद देश में राजनैतिक चहल–पहल का जमाना था। सन 1921 का असहयोग आन्दोलन समाप्त हो चुका था लेकिन राजनैतिक गतिविधियां तेज थीं

भारत के राजनैतिक क्षितिज पर तरह–तरह के विचार उभर रहे थे और नेता उनके विचार प्रसार में लगे थे। श्री महानन्द मिश्र ने भी राजनीतिक सभाओं आदि में जाना शुरू कर दिया। उनके ऊपर अधिक प्रभाव एक घटना से हुआ जो इस प्रकार है : सन 1927 के आस पास बलिया के कांग्रेसी नेता श्री चित्तू पाण्डे पर जिलाधिकारी श्री आर.टी. शिवदेसानी के अदालत में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला। जिलाधिकारी ने श्री चित्तू पाण्डे से प्रश्न किया कि बलिया जिले में कौन–कौन लोग आपको जानते हैं। पं. चितू पाण्डे का उत्तर था, "बलिया की नौ लाख की आबादी है उनमें कोई अभागा ही होगा जो मेरे नाम से परिचित नहीं होगा"। श्री महानन्द मिश्र उस दिन कचहरी में मौजूद थे। श्री चित्तू पाण्डे के इस निर्भीक उत्तर का श्री महानन्द मिश्र के जीवन पर असर पड़ा और उन्होंने कांग्रेस में सक्रिय होने का मन बनाया।

सन 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया जो पहले असहयोग आन्दोलन से कुछ भिन्न था। जहां तक असहयोग आन्दोलन में गांधी ने सिर्फ यह कहा था कि सब लोग जो जहां से सरकार के किसी काम में सहायक हो रहे हैं वह सरकार से पूर्ण असहयोग करें। न केवल कचहरियों के वकीलों तथा सरकारी अफसरों से असहयोग का आह्वान किया था वरन् विद्यार्थियों से भी यही अपेक्षा की गयी थी।

पं. मदन मोहन मालवीय हिन्दू कालेज स्थापित कर चुके थे और शिक्षा के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। वह इससे सहमत नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी अपने रास्ते पर चले। सन 1930 में गांधी जी ने न केवल असहयोग की बात की बल्कि सरकारी कानूनों को तोड़ने और सरकारी आदेशों को न मानने के लिए डांडी मार्च किया। पूरे देश में नमक सत्याग्रह आरम्भ हो गया और लोग जहां तहां नमक बनाने लगे। गांधी जी का विचार था कि नमक पर सरकारी टैक्स अनुचित है। क्योंकि हर अमीर–गरीब आदमी नमक का प्रयोग करता है। निःसन्देह सारी जनता उससे प्रभावित हुई और आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया। उस वक्त श्री महानन्द मिश्र की अवस्था 19 वर्ष की थी। उस समय मिश्र जी सी.आई.डी. इन्सपेक्टर श्री माया सिंह के यहां खाना बनाने की नौकरी करते थे। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। श्री हरबंश सिंह शास्त्री के नेतृत्व में बलिया जिले के रेवती गांव में नमक बनाने चले गये। वहां केवल तीन आदमी सर्व श्री हरबंश सिंह, गोरख सिंह और ब्रम्हदेव सिंह ही गिरफ्तार किये गये बाकी लोग कुछ दिन तक नमक बनाते रहे, लेकिन गिरफ्तार न होने पर बलिया जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में लौट आये। इस आन्दोलन का दूसरा कार्यक्रम था नशीले पदार्थो गांजा, भांग एवं शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करना। श्री महानन्द मिश्र भी पिकेटिंग करने लगे। गांजा, भांग और शराब खरीदने वालों के सामने लोटकर उनको रोका जाता था। श्री मिश्र जी के स्वभाव में उग्रता थी। वह एक आदमी के पैर पर गिर पड़े और भंग खरीदने से उनको मना किया। उसके न मानने पर उन्होंने उसके पैर के बाल जोर से नोच दिये। पीड़ा के कारण

उस आदमी ने मिश्र जी को पीट दिया और झगड़ा शुरू हो गया और श्री मिश्र जी
गोहार लगाने लगे कि मैं तो इनका पैर पकड़ रहा हूं और ये हम को पीट रहे हैं।
स्वाभाविक है जनता की सहानूभूति सत्याग्रहियों के साथ होगी। उस समय सरकार
ने पिकेटिंग आर्डिनेन्स जारी किया जिसके तहत पिकेटिंग करने वाले सत्याग्रही
गिरफ्तार किये गये। श्री महानन्द मिश्र को भी पहली बार 6 माह की सजा हो गयी।
गांधी इरविंग पैक्ट हो जाने पर सत्याग्रही छोड़े गये, मिश्र भी छूटे। इसके कुछ ही
दिन बाद 20 सितम्बर 1931 को बलिया शहर में पूरनमल मारवाड़ी के घर एक
डकैती पड़ी। उस समय हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रभाव में
जगह–जगह नौजवान क्रान्तिकारी संगठन बनाने लगे थे। ऐसे ही एक संगठन के
लोगों ने डकैती की जिसमें श्री महानन्द मिश्र शामिल थे। पुलिस ने इस मुकदमे में
एक व्यक्ति को सरकारी गवाह बनाया। 13 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
उनमें बलिया के प्रमुख कांग्रेसी नेता पं. चित्तू पाण्डे और ठाकुर जगन्नाथ सिंह भी
थे। सबकी जमानत हो गयी लेकिन श्री महानन्द मिश्र की जमानत इसलिए नहीं हुई
कि पुलिस का कहना था कि श्री महानन्द मिश्र के छूटने से पुलिस को गवाह नहीं
मिलेगा। इससे जाहिर होता है कि श्री मिश्र जी उस समय तक एक प्रभावशाली
व्यक्तित्व के रूप में उभर गये थे। मिश्र जी की जमानत हाईकोर्ट से भी नहीं हुई
और आखीर 8–10 महीने जेल में रहने के बाद जब पूरा केस सेशन कोर्ट से छूट
गया तो मिश्र जी भी जेल से बाहर आये। उस अवधि में मिश्र जी की मित्रता जेल
में खुटिया डोम से हुई जिसकी शुरुआत जेल में दोनों की आपस में मारपीट से हुई।
सन 1942 के आन्दोलन में जेल में हुई एक घटना के समय खुटिया ने अपनी दोस्ती
निभाई। जिलाधिकारी श्री बैरेट ने सरसरी तौर पर जेल में ही एक केस चलाकर
दस आदमियों को 10–10 बेंत की सजा सुनाई। खुटिया उस समय जेल का जल्लाद
था। उसने यह कह कर बेंत लगाने से इंकार कर दिया कि वह उन सभी लोगों को
जानता था और वह उनको बेंत नहीं लगा सकता था। खुटिया के इस अदम्य साहस
से लोग बहुत प्रभावित हुए। जिलाधिकारी को एक दूसरे डोम से बेंत लगवाना पड़ा।

उस समय तक श्री चन्द्रशेखर आजाद शहीद हो गये थे और सरदार भगत
सिंह को फांसी हो चुकी थी। बलिया जिले के भी कुछ नौजवानों ने एक क्रान्तिकारी
संगठन बनाया। बलिया जिले के संगठन का नाम उत्थान संघ था। यह संगठन
गोकुल भाई नाम के एक व्यक्ति ने बनाया जो गांधी आश्रम बनारस में नौकरी करते
थे। वह गुजराती थे। सर्व श्री महानन्द मिश्र, पं. तारकेश्वर पाण्डे, पं. राम लखन
तिवारी उसके सक्रिय सदस्य हुए। बाद में मै स्वयं भी इस संगठन का सदस्य हुआ।
बनारस गांधी आश्रम के मैनेजर अय्यर भाई एवं राव भाई, गोकुल भाई के कारण
इस संगठन से सम्बद्ध थे।

सन 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस में समाजवादी
विचार रखने वाले लोगों ने यह संगठन बनाया जिसके नेता उ.प्र. में ...

थे। उत्थान संघ के संविधान में यह बात लिखी थी कि उत्थान संघ का प्रत्येक सदस्य समाजवादी दल का सदस्य होगा और समाजवादी दल के संविधान के अनुसार इस दल के प्रत्येक सदस्य को कांग्रेस का सदस्य होना अनिवार्य था। इस प्रकार श्री महानन्द मिश्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी दल तथा उत्थान संघ के सदस्य बनं गये।

श्री महानन्द मिश्र इन दलों के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। पूरनमल मारवाड़ी के डकैती के मुकदमे से छूटने के बाद श्री महानन्द मिश्र ने बाहर आकर देखा कि उनका परिवार घोर दरिद्रता से जूझ रहा था। उनके पिता के लिए उनकी दो बहनों और उनकी विमाता का भरण पोषण अत्यन्त ही कष्टसाध्य था। मिश्र जी ने कुछ जुगाड़ करके हलुआ बनाकर बेचना शुरू किया। जापलीन गंज में श्री मिश्र जी के घर के समीप ही एल.डी. मेस्टन हाई स्कूल की स्थापना उसी दशक में ही हो चुकी थी। मिश्र जी उस स्कूल के हास्टल में बच्चों को हलुवा बेचते थे और उससे जो आमदनी होती थी उससे परिवार चलाने लगे। चूंकि मिश्र जी एक सजग क्रान्तिकारी बन चुके थे अतः उन्होने इस स्थिति का फायदा उठाकर बच्चों में अपने विचार का प्रसार आरम्भ किया और कई लोग उनके सम्पर्क में आये। यद्यपि मिश्र जी अशिक्षित थे किन्तु उनमें सद आचरण के संस्कार पूर्णतया प्रस्फुटित हो चुके थे जो राष्ट्रीय आन्दोलन में सहभागी होने के कारण ही सम्भव हुआ था। बहुत से विद्यार्थी मिश्र जी के घर आने लगे। अन्य नेताओं जैसे श्री राम लखन तिवारी, श्री तारकेश्वर पाण्डे अधिकतर श्री महानन्द मिश्र के यहां रहने लगे थे।

23 मार्च सन 1931 को द्वितीय लाहौर केस में सरदार भगत सिंह को फांसी हो गयी तथा चन्द्रशेखर आजाद भी शहीद हो गये, इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर भारत में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का विघटन हो गया। किन्तु क्रान्तिकारी नौजवानों ने जगह–जगह अपने जनपदों में क्रान्तिकारी आन्दोलन संगठित किये और सक्रिय हो गये। बनारस गांधी आश्रम में गोकुल नाम के व्यक्ति काम करते थे उनकी पहल पर बलिया में ऐसे ही एक संगठन उत्थान संघ की स्थापना हुई। श्री राम लखन तिवारी एवं श्री तारकेश्वर पाण्डे के साथ श्री महानन्द मिश्र भी दल के सदस्य हो गये और इस संगठन को आरम्भ किये। मिश्र जी ने 30 रुपये की पूंजी लगाकर बलिया में एक होटल खोला। यह होटल दो मंजिला भवन में शुरू किया गया। होटल के ऊपरी मंजिल पर क्रान्तिकारी लोग रहते थे और नीचे होटल की व्यवस्था थी। अधिकतर विद्यार्थी ही होटल में खाना खाते थे। श्री मिश्र जी के व्यवहार के कारण होटल में काफी विद्यार्थी हो गये। इसी सम्बन्ध में रसड़ा के श्री गंगा सिंह, श्री जगन्नाथ सिंह तथा गाजीपुर के गडुवा मसूदपुर के बाबू बेनी माधव राय भी यहां रहने लगे। बाद में बाबू बेनी माधव राय आजमगढ़ पिपरी ट्रेन डकैती में अभियुक्त हुए क्योंकि वह गाजीपुर में संचालित एक अन्य क्रान्तिकारी संगठन के सदस्य थे। कालान्तर में बाबू गंगा सिंह और श्री जगन्नाथ सिंह ने श्री काशी विद्यापीठ

से शास्त्री की परीक्षा पास की और समाजवादी आन्दोलन में तथा बाद में सन 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भूमिका के बाद स्वतंत्र भारत में श्री गंगा सिंह विधायक तथा श्री जगन्नाथ सिंह विधान परिषद सदस्य भी हुए।

उस समय बलिया जिले के मनियर निवासी – श्री विश्वनाथ मर्दाना भी काशी विद्यापीठ में पढ़ते थे। किन्हीं मुखबिरों की मुखबिरी की वजह से विद्यापीठ के कुछ छात्रों की गिरफ्तारी हुई। जब मर्दाना कानपुर जिला जेल में थे उसी समय उनके पिता का देहान्त हो गया था। वह अपने पिता की शेरवानी कभी–कभी काशी विद्यापीठ में पहनते थे और लोगों का विचार था कि उनके पास कुछ धन भी हो गया जो वास्तव में उनके पिता के मरने के बाद उनको मिला था क्योंकि वह अपने पिता के एक मात्र सन्तान थे। कुछ लोगों को मर्दाना पर मुखबिर होने का शक हुआ इसीलिए श्री राम लखन तिवारी और श्री तारकेश्वर पाण्डे मर्दाना को इसका सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने किसी को भेजकर मर्दाना को बलिया बुलाया। मर्दाना श्री महानन्द मिश्र के साथ उन्हीं के होटल में ठहरे। श्री तारकेश्वर पाण्डे और श्री रामलखन तिवारी की राय थी कि श्री मर्दाना को गम्भीर रूप से दण्ड दिया जाय। इसका दायित्व श्री महानन्द मिश्र पर डाला गया लेकिन मिश्र जी ने इसे उचित नहीं समझा। उन्होंने मर्दाना जी से बहुत देर तक बात की और हर तरह से पूछताछ के बाद इस परिणाम पर पंहुचे कि मर्दाना पर यह आरोप गलत था इसलिए कोई बात नहीं हुई। बाद में मालूम हुआ कि मुखबिर बलिया जिले का रहने वाला कोटवा नरायन पुर का एक आदमी था जो काशी विद्यापीठ में पढ़ता था। उस समय कोटवा के पास ही उजियार गांव के निवासी एक सज्जन बनारस में सी.आई.डी. इन्सपेक्टर थे और वह कोटवा का रहने वाला आदमी उन्हीं का मुखबिर था।

सन 1937 में उ.प्र. में कांग्रेस का पहला मंत्रिमंडल बना। स्व. श्री गोविन्द बल्लभ पन्त उसके मुख्यमंत्री बने। सन 1938 में कांग्रेस कौमी सेवा दल की स्थापना हुई। कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि एक वालेन्टियर कोर का पूरे देश में गठन हो जो कांग्रेस का सक्रिय कार्य करने के साथ–साथ कांग्रेस की रैलियां एवं सभाओं इत्यादि में लोगों को नियंत्रित करने का कार्य करे। अलीगढ़ निवासी श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ उ.प्र. कांग्रेस कौमी सेवा दल के सेनापति चुने गये। 1938 में ही फैजाबाद में कांग्रेस कौमी सेवा दल के जिला स्तर के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इस कैम्प में भाग लिया। बलिया से बन्धुचक (नगवा) के श्री बरमेश्वर पाण्डे, बलिया शहर के श्री महानन्द मिश्र तथा गोपालपुर–रसड़ा के श्री विश्वनाथ चौबे ने इस कैम्प में शिक्षा ली। कैम्प की समाप्ति के बाद श्री बरमेश्वर पाण्डे बलिया कौमी सेवा दल के कप्तान तथा सर्वश्री महानन्द मिश्र एवं विश्वनाथ चौबे उप कप्तान नियुक्त किये गये। कांग्रेस कौमी सेवा दल की एक खद्दर के कपड़े की एक विशिष्ट वर्दी थी जिसमें कप्तान और उप कप्तान गांधी टोपी के साथ–साथ बूटपट्टी तथा क्रास बेल्ट भी लगाते थे। श्री महानन्द मिश्र बलिया जिले में अत्यन्त सक्रिय हुए और कुछ दिनों में अनेक कौमी

सेवा दल कैम्पों में वालेन्टीयरों को प्रशिक्षित किया गया। कुछ दिनों में बलिया जिले में लगभग 500 ट्रेन्ड सेवक तथा हजारों अप्रशिक्षित स्वयं सेवक भर्ती हो गये। थोड़े समय बाद श्री महानन्द मिश्र को कौमी सेवा दल का कप्तान बना दिया गया।

इसी समय जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव हुआ। बलिया जिले में ठाकुर जगन्नाथ सिंह एवं श्री चित्तू पाण्डे के नेतृत्व में कांग्रेस में दो दल थे। संयोगवश जो जिला कांग्रेस कमेटी चुनकर आयी उसमें दोनो दलों के बराबर–बराबर सदस्य थे अतः निश्चित नहीं हो पा रहा था कि जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन हो। उस समय सात जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने एक अपना दल बनाया जिसका नाम इन लोगों ने 'जिला राष्ट्रीय कांग्रेस बलिया' रखा। इसके सदस्य थे श्री दूध नाथ तिवारी – अध्यक्ष, श्री महानन्द मिश्र – उपाध्यक्ष और श्री राम पूजन सिंह (श्रीनगर) जो महामत्री हुए। बाकी सदस्य थे – नागेश्वर ओझा (रेवती), राम कृष्ण अचारी (मझौंवा), श्री त्रिवेणी सिंह (वसन्त पुर), बरमेश्वर पाण्डे (नगवा)। इन लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी पर अधिकार कर लिया। उस समय जिला कांग्रेस कमेटी का नया भवन बन रहा था। इसमें श्री महानन्द मिश्र ने बहुत योगदान किया। इस दल के विरोधी इनको सतैहवा दल के नाम से पुकारते थे। कुछ दिनों के बाद यह दल समाप्त हो गया और श्री चित्तू पाण्डे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो गये।

सन 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन चला। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने युद्ध में अंग्रेजों से सहयोग करने से इन्कार कर दिया और गांधी जी ने निर्णय लिया कि युद्ध हिंसात्मक है अतः हमारा देश इसमें कोई भागीदारी नहीं करेगा। अपने प्रतिरोध को व्यावहारिक रूप से 'व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन' के रूप में प्रकट किया। इसमें अहिंसा पर पूरा बल दिया गया और नियम यह बना कि जो आदमी आदतन खादी पहनते हो, सूत कातते हों वही इस आन्दोलन में शामिल हो सकते हैं। जो आदमी सत्याग्रह करना चाहता था उसे जिला कांग्रेस कमेटी से अनुमति लेनी पड़ती थी और उसे समय और स्थान का विवरण देना होता था जहां से सत्याग्रह करना चाहता था। प्रतिदिन जिला कांग्रेस कमेटी से श्री राजेश्वर त्रिपाठी जो कौमी सेवा दल के सरदार थे, सत्याग्रहियों की एक लिस्ट.जिलाधिकारी को दे देते थे ताकि जिला प्रशासन को उसके बारे में पूर्व सूचना हो सके। निश्चित समय पर सत्याग्रही उस स्थान पर पहुंचकर सत्याग्रह करते थे। "नहीं देगे एको भाई ; नहीं देगें एको पाई" यही सत्याग्रहियों का नारा था। आन्दोलन जोर पकड़ने लगा और कुछ ही दिनों में पूरे देश में लोग सत्याग्रह करके जेल चले गये। चूंकि बलिया जिले में कौमी सेवा दल का संगठन काफी मजबूत था इसलिए काफी संख्या में यहां के लोगों ने भाग लिया। श्री महानन्द मिश्र को भी सत्याग्रह के अपराध में एक वर्ष की सजा हो गयी। उन्हें चुनार (जिला मिर्जापुर) कैम्प जेल में रखा गया। चुनाव कैम्प जेल में श्री महानन्द मिश्र जी लकवा के शिकार ... में बलिया के श्री चित्तू पाण्डे एवं राम नाथ

पाठक जेल में थे। हमीर पुर जिले के निदासी दीवान शत्रुघ्न सिंह निष्ठावान गांधीवादी थे। वह एक अत्यन्त सम्पन्न जमीदार परिवार से थे। उन्होंने बीमारी की हालत में श्री महानन्द मिश्र की बहुत सेवा की। इस समय में मैं बनारस क्वीन्स कालेज में पढ़ता था। मैं चुनार जाकर श्री महानन्द मिश्र से जेल में मिला। वह रुग्णावस्था म बैरक में पड़े थे। दीवान साहब उनके पास ही थे। मिश्र जी अदम्य साहस के प्रतीक थे। उनके मनोबल पर इस विपत्ति का कोई प्रभाव नहीं था। बीमारी के कारण श्री मिश्र जी को सजा पूरी होने से दो माह पहले ही छोड़ दिया गया। श्री राम लखन तिवारी को सत्याग्रह शुरू होने से पहले ही डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स में सजा हो चुकी थी। छूटने के बाद वह भागलपुर चले गये जहां उनकी कुछ खेती थी। जब तिवारी जी भड़सर बलिया आये तो मिश्र जी ने मुझको उनके पास भेजा और कहा कि पूछना कि घर आकर बैठ जायेंगे कि कुछ करेंगे। उन्होंने अपने पास बुला लाने को कहा। मैं तिवारी जी से उनके गांव में मिला और मिश्र जी का संदेश दिया। उन्होंने अपने पारिवारिक दुर्दशा का जिक्र किया, 'मुझे एक लड़का हुआ है' क्या मैं उसका गला घोंट दूं। लेकिन तिवारी जी फिर भी मिश्र जी से मिलने आये। व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त हो रहा था। सत्याग्रही छूट रहे थे। सत्याग्रहियों की अधिक संख्या देखते हुए बाद में सरकार ने सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करना बंद कर दिया था। उस समय आचार्य कृपलानी ने एक वक्तव्य दिया – 'जो सत्याग्रही गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं वह दिल्ली के तरफ चलें।' कुछ लोग दिल्ली की तरफ चल पड़े लेकिन धीरे–धीरे सत्याग्रह समाप्त हो गया। इसी समय मैं मिश्र जी का संदेश लेकर तिवारी जी से मिला था।

अप्रैल सन् 1941 में गाजीपुर जिले के आकूस पुर और नन्दगंज रेलवे स्टेशनों के बीच गाजीपुर में सक्रिय क्रान्तिकारी दल ने एक ट्रेन डकैती की। इस समय भी गाजीपुर के लोग हिन्दुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम से काम कर रहे थे। इस केस में बलिया और गाजीपुर के अनेक क्रान्तिकारी गिरफ्तार हुए और गाजीपुर जिला जेल में उनके ऊपर मुकदमा चला। इसमें बलिया जिले के सर्व श्री सिद्ध नाथ तिवारी (श्री शेष नाथ तिवारी, गाजीपुर के जोगा देवरिया गांव के रहने वाले थे, बलिया जिले के रसड़ा कस्बे में ही रहते थे), मृगराज सिंह, कामता सिंह, बेलसर, कपिलदेव सिंह (मंदा) आदि उल्लेखनीय हैं। जेल से लौटने के बाद श्री महानन्द मिश्र ने नन्दगंज ट्रेन डकैती की गुप्त रूप से पैरवी शुरू की। गाजीपुर के श्री विश्वनाथ गहमरी एवं श्री सिद्धेश्वर राय अभियुक्तों की तरफ से उस मुकदमे के वकील थे। श्री महानन्द मिश्र ने एक दिन बचाव पक्ष से सम्बन्धित कुछ कागजों को देकर मुझे श्री विश्वनाथ गहमरी के पास गाजीपुर भेजा। उन्होंने कुछ धन इकट्ठा करने की व्यवस्था की। परिणामस्वरूप मिश्र जी 1 जुलाई 1942 को दफा 129 डी. आई. आर. में गिरफ्तार कर लिये गये और 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन आरम्भ होने से पहले ही मिश्र जी जेल में बन्द हो चुके थे।

19

भारत छोड़ो आन्दोलन के तूफानी दिन

8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अवैध संगठन घोषित कर दी गयी और आन्दोलन के साथ सरकार का दमनचक्र तेजी से घूमने लगा। बलिया जिले में इस आन्दोलन ने अत्यन्त प्रभावशाली एवं उग्र रूप धारण किया। यह बलिया के सैकड़ों कर्तव्यनिष्ठ कांग्रेस अनुयाइयों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं कांग्रेस कौमी सेवा दल के सैनिकों के सतत प्रयास के कारण ही संभव हो सका। क्योंकि स्वतः स्फूर्त जनता को गांव–गांव उचित एवं सामयिक नेतृत्व प्राप्त हुआ। उमड़ी हुई बलिया की जनता ने 19 अगस्त 1942 को बलिया जेल घेर लिया और जेल के फाटक को खोल देने के अतिरिक्त जिला प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं रह गया। इस समय बलिया जिले के सारे प्रमुख रेलवे स्टशन जलाये जा चुके थे, सड़कें काटी जा चुकी थीं, जगह–जगह रेल की पटरियां उखाड़ी जा चुकी थीं और रेल और तार की लाइनें काट दी गयी थीं। बलिया का सम्पर्क उ.प्र. की राजधानी लनखऊ से पूरा कट चुका था। सुखद आश्चर्य की बात यह थी कि बलिया जिले के कांग्रेस का पूरा नेतृत्व जेलखाने में था। जनता ने ही स्वयं यह सारा काम कर दिया।

जेल का फाटक खुलने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री चित्तू पाण्डे तथा अन्य गांधीवादी नेताओं की राय थी कि जनता को घर वापस जाने के लिए कहा जाय क्योंकि उन्होंने स्वराज मिल जाने की घोषणा कर दी थी। इसके लिए बलिया चौक में एक सभा भी हुई लेकिन समाजवादी दल के कुछ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया जिसमें श्री महानन्द मिश्र और श्री विश्वनाथ चौबे प्रमुख थे। इन्होंने जनता का आह्वान किया कि वह जिस उद्देश्य से शहर में आये हैं उसको पूरा करें। फिर शहर में गल्ला गोदाम लूटा गया। तब तक के आन्दोलन में जिन अधिकारियों ने दमन किया था उनके कार्यालयों को लूटपाट लिया। उस समय तक अनेक थानों के ऊपर कांग्रेस का झंडा फहरा दिया गया था किन्तु कुछ थानों पर कब्जा करना बाकी था। अतः इस काम को पूरा करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता निकल पड़े। श्री महानन्द मिश्र और श्री विश्वनाथ चौबे ने गड़वार थाने पर कब्जा किया। उस पर झंडा लगाया और थानेदार से उनकी बन्दूक ले ली। थानेदार थाना छोड़कर पास के गांव में जा छिपे। 22 अगस्त को श्री विश्वनाथ चौबे व श्री महानन्द मिश्र ने हलधरपुर थाने पर कब्जा कर लिया। 24 अगस्त को श्री महानन्द मिश्र, श्री विश्वनाथ चौबे के साथ बेल्थरा रोड पहुंचे, बेल्थरा रोड उभांव थाने के अन्तर्गत था। यद्यपि बेल्थरा रोड रेलवे स्टेशन तथा पोस्ट आफिस जलाये जा चुके थे तथा बरमा फ्रन्ट पर जाती हुई एक रेलगाड़ी को भी लूट लिया गया लेकिन उभांव थाने पर अधिकर नहीं किया जा सका। बेल्थरा रोड में जमा भीड़ को लेकर श्री महानन्द मिश्र श्री विश्वनाथ चौबे के साथ उभांव की तरफ चले। उसी समय सूचना

मिली कि गोरखपुर और बलिया जिले के बीच बह रही घाघरा नदी पर बने तुरती पार के पुल की तरफ से पलटन के कुछ सिपाही आ गये जिन्होंने गोली चलायी जिसमें एक अध्यापक की मृत्यु हो गयी। जिस समय भीड़ उभाव थाने की तरफ बढ़ने को थी उस समय तुरतीपार पुल की तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गयी। उस समय भीड़ बेल्थरा रोड मिडिल स्कूल पर थी। बेल्थरा रोड से तुरतीपार के बीच सीधे–सीधे लगभग दो मील की दूरी है और पुल वहां से साफ दिखाई पड़ रहा था क्योंकि स्कूल कुछ ऊंचाई पर था। भीड़ अपना रुख मोड़कर तुरती पार के पुल की तरफ दौड़ी। उस समय आन्दोलनकारियों की तरफ से गड़वार थाने से प्राप्त की गयी बन्दूक से फायरिंग की गयी, साथ ही अपनी दो नाली बन्दूक से उभांव थाने के ही हल्दी गांव के ठाकुर सीता राम सिंह ने फायर किया। इन बन्दूकों की मार थोड़ी थी। लेकिन पुल की तरफ से चलायी गयी गोलियां स्कूल के पास गिरने लगीं। अतः लोगों को वापस होने को कहा गया। कुछ देर तक अड़े रहने के बाद लोग पीछे हटे। इस बीच वहां 3 आदमी पलटन की गोली से मारे गये और पलटन की टुकड़ी स्कूल तक आ गयी और दक्षिण दिशा में बिठूवा गांव की ओर बढ़ने लगी। श्री महानन्द मिश्र स्कूल से पीछे हटकर दक्षिण दिशा में ही ईंट के भट्ठे के पीछे खड़े हो गये (देशी भट्ठे ऊंचे थे) जब पलटन की टुकड़ी भट्ठे से आगे की तरफ बढ़ी तो श्री महानन्द मिश्र ने फायर किया। उस वक्त कहा जाता था कि श्री महानन्द मिश्र की गोली से पलटन की एक आदमी को गोली लगी जिससे हाथ से उनकी रायफल छूट गयी। पलटन के लोग फिर वहीं से वापस चले गये और जनता तितर बितर हो गयी। मिश्र जी, श्री पारस नाथ मिश्र और श्री विश्वनाथ चौबे के साथ श्री पारस नाथ मिश्र के गांव मिश्रौली की ओर चले जो वहीं से थोड़ी दूर पर था। रास्ते में लौटती हुई जनता की भीड़ मिली। इन लोगों ने उन्हें घेर लिया, बहुत आक्रोश के साथ पूछना शुरू किया जब आप लोगों के पास बन्दूक व लड़ने की ताकत नहीं थी तो आप लोग इतनी जनता को लेकर थाने पर चढ़ाई क्यों कर रहे थे, उनका रुख अत्यन्त आक्रामक था। उन्हें जैसे–तैसे स्थिति को समझा कर शान्त किया गया और चेतावनी दी गयी कि अब दमन होगा और आप लोग आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों की ओर चले जायें। मिश्रौली गांव पहुंचने पर श्री पारस नाथ मिश्र के पिता और उनके परिवार से भेंट हुई। उनके पिता पं. जगदेव मिश्र ने आशीर्वाद दिया और कुछ ही देर में हम लोग दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। गांव के लोगों एवं परिवारजनों ने अश्रूपूरित नेत्रों से हमें विदा किया और फरारी जीवन शुरू हो गया। उस समय सूरज छिप रहा था।

यात्रा पर श्री मिश्र जी के साथ श्री पारस नाथ मिश्र, श्री विश्वनाथ चौबे तथा एक मुसलमान युवक चले। मुस्लिम युवक निशानेबाज था और वही बन्दूक लेकर चल रहा था। लगभग 4 मील चलने के बाद सिटकिया गांव में बाबू सिद्धेश्वर प्रसाद लाल के यहां भोजन कर ये टोली ताड़ीबड़ा गांव पहुंची उस समय रात्रि के 1 बजे

रहे थे। ताड़ीबड़ा गांव एक कांग्रेसी गांव था जिसमें ठाकुर हर गोबिन्द सिंह समेत अनेक कांग्रेसजन रहते थे और भारत छोड़ो आन्दोलन में इस गांव का बहुत योगदान था। सुबह होते ही किसी आदमी ने आकर सूचना दी कि पलटन चरौवा गांव के बाहर आ गयी है और मशीनगनों से गोली चला रहे हैं। चरौवा गांव कांग्रेस का एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसमें कन्हैया सिंह, शम्भू सिंह, राधा सिंह, मृगराज सिंह अनेक असहयोगी एवं क्रान्तिकारी रहते थे। मिश्र जी तुरन्त चरौवा गांव की तरफ चलने को तैयार हो गये और लगभग दो हजार की भीड़ के साथ हम लोग चरौवा गांव की ओर चले। चरौवा गांव वहां से लगभग 3 मील की दूरी पर था। भीड़ बहुत उत्तेजित थी और लोग तरह–तरह की बातें कर रहे थे। एक आदमी का सुझाव था कि गुड़ पकाने वाले कड़ाह को उठाकर उसकी आड़ में चरौवा गांव की ओर चला जाय ताकि गोली से बचाव हो सके। जितने मुंह उतनी बातें। तेजी से चलकर हम लोग जल्दी ही चरौवा गांव पहुंच गये, पलटन की टुकड़ी चरत्रवा गांव से पूरापतोई की तरफ बढ़ गयी थी। पलटन के लोग गांव में नहीं आये। उन लोगों ने बाहर से ही गोलीबारी की जिसमें दो आदमी तथा कुछ जानवर भी हताहत हुए। चरौवा गांव के सारे लोग पूरब की ओर निकल आये थे। उस गांव के कांग्रेसी बाबू राधा सिंह ने बढ़कर हम लोगों से कहा कि आप भीड़ के साथ गांव में न चलें, पलटन की टुकड़ी जा चुकी है। इसलिए हम लोग वहां से ताडीबड़ा गांव आ गये। भोजनोपरान्त श्री मिश्र जी और उनके तीनों साथी शाम होते–होते पं. विश्वनाथ चौबे के गांव गोपाल पुर की ओर बढे। रात हो जाने के कारण बीच में नगरा गड़वार रोड पर सलेमपुर गांव के सामने बन्दूक एक पेड़ पर लटका दी गयी और सब ने उस पेड़ के नीचे विश्राम किया। बरसात के दिन थे। चारों तरफ पानी भीगी घास, गीली जमीन, वहीं पर सोकर सबेरे गोपालपुर गये। गोपालपुर में मुख्य गांव के बाहर राजपूतों की बस्ती थी, वहां ठाकुर केदार सिंह रहते थे जो एच. एस. आर. ए. के सदस्य थे, वहां जाने पर मालूम हुआ कि श्री विश्वनाथ चौबे की माता को हैजा हो गया है और वह मरणासन्न हैं। चौबे जी हम लोगों को वहीं छोड़कर अपने घर गये। उनकी मां हैजा से पीडित थीं। गांव के लोग उनको घेरकर खड़े थे। चौबे जी अपने पिता की एक मात्र सन्तान थे, बहुत पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी माता जी अकेले ही गांव में रहती थीं। चौबे जी ने गांव वालों को उनकी अन्त्येष्टि आदि के बारे में हिदायत दी और तुरन्त ही लौट आये। चूंकि संदेह यह था कि पता नहीं किस तरफ से पुलिस या पलटन पीछा कर ले, कहीं एक जगह टिकना संभव नहीं था। इसलिए तुरन्त हम लोग वहां से चल दिये। रात को चिकहर गांव के पश्चिम वन में एक गड्ढे के पास विश्राम किया और सुबह मटिही गये। उस गांव में सालिम सदरी नामक एक सज्जन कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे जो गांव में नहीं मिले। लेकिन गांव के लोगों ने पास ही एक कबीर पंथी मठिया में हमारे रुकने की व्यवस्था थी। दूसरे दिन यह समाचार मिला कि पुलिस इलाके में देखी

गयी। वहां रुकना निरापद नहीं था। इसलिए दूसरे ही दिन दोपहर में हम लोग आगे बढ़े। कहां जायेंगे किधर जायेंगे, न कोई निर्दिष्ट दिशा न कोई स्थान। बलिया जिले का गड़हा परगना दक्षिण दिशा में स्थित है। हम लोग उस तरफ बढ़े क्योंकि इस क्षेत्र में अनेक कांग्रेसीजन और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहते थे। जब हम चितबड़ा गांव से कुछ दूर पश्चिम की तरफ चल रहे थे उसी समय चितबड़ा गांव में पुलिस ने कई घरों को फूंक दिया था और धुंवा निकल रहा था। मालूम हुआ कि बलिया से पुलिस आ गयी है और उन्होंने गांव को फूंका है तथा जबरदस्ती लूटपाट कर रहे हैं। जब हम लोग कथरियां गांव में पहुंचे तो कुछ रात बीत गयी थी वहां श्री राम जन्म सिंह के घर गये जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। उन्होंने अलग ले जाकर कहा कि पं. चित्तू पाण्डे आज ही भाग कर आये हैं और गांव के बाहर मठिया में बैठे हैं। वहीं भोजन करके मठिया में चले गये। वह कबीर पंथियों की मठिया थी और उसके भीतर पाण्डे जी फर्श पर बैठे थे। उन्होंने देखते ही सर पीट लिया और कहा "तोहन लोगन एहूजा आ गइल जा, अगर सन 21 में हमें मालूम होता कि असहयोग आन्दोलन का यह रूप होगा तो हम आन्दोलन में न आते", पाण्डे जी एक निष्ठावान गांधीवादी थे और अहिंसा के उपासक थे। 19 अगस्त सन 1942 को बलिया में हुई घटनाओं ने उन्हें हिला दिया था। यद्यपि बलिया जिले में सरकारी भवनों, संचार माध्यमों आदि को नष्ट करने तथा जहां तहां जनता द्वारा कुछ सरकारी सम्पति को लूट लेने के अलावा आन्दोलनकारियों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जिसको हिंसात्मक कहा जाय। जनता मन और कर्म से पूर्णतया अहिंसात्मक थी। इतने बड़े आन्दोलन में एकाध छुटपुट घटनाएं हो जाना अप्रत्यशित नहीं था। फिर भी पाण्डे जी इसके लिए तैयार न थे। श्री महानन्द मिश्र अत्यन्त विनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे, पाण्डे जी की उनसे हमेशा नोकझोक होती रहती थी। यद्यपि पाण्डे जी श्री महानन्द मिश्र एवं श्री विश्वनाथ चौबे से बहुत स्नेह करते थे। श्री महानन्द मिश्र जी ने हंसते हुए पाण्डे जी की बात का प्रतिवाद किया और कहा कि इस आन्दोलन का पूरा नेतृत्व जनता के हाथ में है और हमें जनता के द्वारा दिखाये हुए रास्ते का सहारा लेना चाहिए। गांधी जी जेल में हैं और इस समय अहिंसा की व्याख्या जनता के ही हाथ में है। जैसा गांधी जी ने कहा है कि जनता से कहना है कि अंग्रेजो भारत छोड़ो और जनता करे या मरे। इसलिए जनता जो कर रही है वह गांधी जी के आदेश का पालन है। पाण्डे जी क्षुब्ध हो गये। दूसरे दिन हम लोग टुटुवारी गांव में रहे। गांव के लोगों ने रात में हमें नाव पर बैठाकर गंगा के किनारे उजियार गांव में पहुंचा दिया। भयंकर बाढ़ आयी हुई थी, चारों तरफ पानी ही पानी था, नाव के अतिरिक्त एक जगह से दूसरे जगह जाने का कोई तरीका नहीं था।

उजियार गांव में पं. चित्तू पाण्डे के मित्र रघुनन्दन उपाध्याय रहते थे। वह अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर थे और "राय साहब" की उपाधि से विभूषित थे। प्रारम्भ में वह म्यूनिस्पल बोर्ड बलिया और जिला बोर्ड बलिया में सचिव के पद पर

कार्य कर चुके थे। इसी कारण उस समय की बोर्ड के चुनावी राजनीति के सक्रिय सहभागी थे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पं. चित्तू पाण्डे के दल के समर्थक थे। पाण्डे जी इसी मित्रता के कारण इनसे मिलकर कहीं आश्रय ढूढ़न का प्रयास करना चाहते थे। महानन्द मिश्र नें इसका विरोध किया। पाण्डे जी के आग्रह पर हम लोग उन से मिले। श्री उपाध्याय जी मक्का के खेत में लगी मचान पर से चिड़ियों से फसल को बचाने के लिए खेत की रखवाली करते थे। हम लोग 8 बजे मक्के के खेत में उनके पास पहुंच गये। मीलों मक्का लगा हुआ था। उपाध्याय जी का खेत ठीक गंगा के किनारे था। पं. चित्तू पाण्डे ने व्यवस्था का हवाला देते हुए उनसे सहायता की अपेक्षा की। उपाध्याय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा "ऐ पाण्डे, तू त हमार साथी हउव, बाकी ई लोग हमार के ह कि हम तोहन लोगन के सुरक्षा देवे के व्यवस्था करीं, तू अगर चाह त ओ पार बक्सर की लगे हमार छावनी बा, वहां जाकर रह, तोहके केहू कुछ ना बोली, लेकिन ई लोग हमार के ह?" पाण्डे जी ने तुरन्त जवाब दिया, "ई लोग तोहार केहू नाही ह लेकिन हमार कुल इहे लोग ह"। उपाध्याय जी उस समय कोई पुराण की पुस्तक बांच रहे थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों के शोर मचाने से स्वराज नहीं मिलेगा। इस पुस्तक के अनुसार अंग्रेजों के जाने के बाद पीतवर्ण के लोगों का इस देश पर राज्य होगा। उनका तात्पर्य जापान से था जिसकी निरन्तर शक्ति बढती जा रही थी। मिश्र जी ने कहा, "पाण्डे जी चली उठी रउवा, अनेरे इनकी इहां अइली"। यह बात हो ही रही थी कि दाहिने तरफ कोटवा गांव से धुआं उठने लगा, उपाध्याय जी ने तत्काल अपने किसी आदमी से कहकर एक नाव अपने खेत के ठीक सामने गंगा में लगवा दी और हम लोग उस पर बैठ कर गंगा पार बिहार में बक्सर उतर गये। बाद में मालूम हुआ कि नरही थाने की पुलिस ने कोटवा गांव में शिवमुनी मल्लाह का घर फूंक दिया था जो कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे।

बक्सर घाट पर उतरते ही बिहार की तरफ से गोरा पलटन से लदी एक ट्रक घाट पर आ गयी। हम लोग तत्काल बायीं तरफ मुड़कर गंगा के किनारे–किनारे पूरब की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर एक खंडहर में रुके। खंडहर किसी पुराने मंदिर या धर्मशाला का था। श्री महानन्द मिश्र ने फौरन बाघा गोटी खेलने के लिए घर बना दिये। उनके ऊपर इन सारी आकस्मिक घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं था, वह सर्वथा संयत थे और हंसते ही रहते थे। पाण्डे जी उनकी हंसी से कुढ़ते थे। पाण्डे जी के मस्तिष्क पर काफी दबाव था।

बक्सर में पाण्डे जी के मिलनेवाले बलिया के हनुमान गंज निवासी बाबू शिव प्रसाद की एक दुकान थी। पाण्डे जी बलिया में श्री शिव प्रसाद जी के यहां रहते थे। आन्दोलन के बाद दमन के दौरान श्री शिव प्रसाद जी की कोठी लूट ली गयी थी। पाण्डे जी ने श्री विश्वनाथ चौबे को उनके यहां भेजा। चौबे जी कुछ देर बाद कुछ पूड़ी मिठाई लेकर वहां से लौटे और उन्होंने बताया कि शाम को 6 बजे यहां

एक नाव खंडहर के सामने आ जायेगी जिससे हम लोग आगे चल सकते हैं। उस समय हम लोगों का निर्दिष्ट स्थान बलिया जिले के जवही गांव का दियर था। जब सूरज डूब रहा था उसी समय एक बूढ़ा मल्लाह एक नाव को लेकर वहां आया और उसने बताया कि उसका लड़का कुछ दूर चलने के बाद इस नाव पर सहायता के लिए आ जायेगा। हम लोग वहां से चल दिये और नाव धीरे–धीरे प्रवाह के साथ आगे बढ़ने लगी। दिन भर की थकान थी। हम लोग नाव के हिल्कारों के अभ्यस्त नहीं थे इसलिए न जाने कब हम सबको नींद आ गयी । जब नींद खुली तो हमें चारों तरफ दूर–दूर तक अथाह जल ही दिखाई दिया। भादों की अंधेरी रात, कहीं दूर तक किसी गांव का कोई पता नहीं, नाव पानी के थपेड़ों से इतना उद्वेलित थी कि लगता था किसी भी क्षण डूब जायेगी। नाव में पानी आ रहा था। जब मेरी नींद खुली तो पं. चित्तू पाण्डे जाग चुके थे और राम–राम कह रहे थे। चौबे जी चुप थे। मल्लाह यह कह रहा था कि जीवन में मुझसे 7 नावें डूब चुकी हैं, मालूम होता है कि ये आठवीं नाव भी नहीं बचेगी। मल्लाह की अवस्था 80 वर्ष से ऊपर थी। वायदे के मुताबिक उसका लड़का मदद के लिए नहीं आया। वह अगला पतवार पकड़े नाव को इधर–उधर मोड़ रहा था। इसी बीच श्री महानन्द मिश्र की नींद खुली। उन्होंने पूछा "पारस जी दियासलइया कहां बा"? पं. चित्तू पाण्डे बिफर पड़े और बोले कि "पंचम के बेटा नाव, डूबत बिया, तोहरा बीड़ी पिये के परल बा"। महानन्द जी ने उत्तर दिया "का महराज करकर कइले बाड़ी, नइयों डूब जा हम बीड़ियो ना पीं? मिश्र जी ने बीड़ी सुलगा ली और मल्लाह से बोले कि "ए बारी तोहरा के अगली नाव बोरे खाती नाही छोड़ब जा"। उस समय मुझे बहुत दूर चिराग टिमटिमाता दिखाई दिया। वह स्थान इतनी दूर मालूम होता था जहां पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं थी। मिश्र जी बोल पड़े कि पारस जी हमनी का किनारा आ गइली जा। बात यह थी कि मल्लाह के आदेशानुसार हम और महानन्द जी डाड़ चला रहे थे और हम जिस रुख में बैठकर डाड़ चला रहे थे, नाव उसके विपरीत जा रही थी और वह स्थान दूर होता जा रहा था। श्री मिश्र जी के कहने के अनुसार जब हमने पीछे देखा तो सचमुच हम लोग किनारे थे। ज्यों ही किनारे नाव लगी उसी समय कुछ औरतें नदी की तरफ आयीं, सबेरा हो चुका था सूरज अभी नहीं निकला था। उसमें एक स्त्री ने अपने मुंह को आंचल से ढंककर कहा "ए बाबा ई पाण्डे जी हउव।" मल्लाह से दाहिने तट पर चलने को कहा गया था लेकिन पुरवा हवा और जल के प्रवाह के थपेड़ों के कारण हम पूरी नदी पार करके रातोरात बलिया के किनारे आ गये थे और उस समय बांसथाना गांव के निकट थे। पं. चित्तू पाण्डे बांसथाना के पास रकटूचक गांव के रहने वाले थे और वह औरतें उसी गांव की थीं। अब वहां से तत्काल हट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, हमने फिर नाव को पानी में ढकेल दिया और दुबारा दरिया के दूसरे किनारे जाने का उपाय करने लगे। कुछ ही दूर चलने पर नाव एक बालू के टीले पर आकर रुक गयी जहां से बाढ़ का

पानी हट चुका था। जैसे–तैसे घसीटकर नाव को आगे बढ़ाया गया तो मालूम हुआ कि हम लोग उमरपुर दियारे में हैं और नदी की मुख्य धारा उसके बाद थी। ज्यों ही हम लोग दियर के उस पार नदी में पहुंचे, पीछे से आवाज आयी कि खड़े हो जाओ वरना गोली मार दी जायेगी, पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ी नाव पर पुलिस चली आ रहीं थी। उन्होंने अपने लंगोट वगैरह नाव पर सूखने के लिए फैला दिये थे और चेतावनी भरी गालियां दे रहे थे। अब लगता था कि सब कुछ समाप्त हो गया और हम लोगों का अन्त आ पहुंचा। लेकिन हम लोग मल्लाह को आगे बढने के लिए उत्साहित करते रहे और डांड़ खेते रहे और संयोगवश पुलिस की नाव उसी स्थान पर आकर रुक गयी जहां हमारी नाव रुकी थी। हम लोग नदी के दूसरे किनारे आ गये और जल्दी–जल्दी उतर गये। मल्लाह को वापस जाने को कह दिया।

दुर्भाग्यवश जहां हम उतरे थे वह ठोस जमीन नहीं एक दलदल था और हम सब लोग दलदल में धंस गये। पं. चित्तू पाण्डे सबसे भारी थे इसलिए वह सबसे ज्यादा धंस गये। श्री महानन्द मिश्र जी के पैर में गोरखुल था, बिना जूते के वह चल नहीं पाते थे। जैसे तैसे उन्होंने जूता निकाला और हम को दे दिया कि इसको ले चलो। विश्वनाथ चौबे सबसे हल्के थे और सबसे पहले दलदल पार आ गये और उन्होंने अपनी धोती फेंकी और उसी के सहारे मैं पार आ गया। चित्तू पाण्डे ने महानन्द मिश्र से कहा "ए महानन्द तू निकल हम ना निकल सकी ला हम बहुत धंस गइल बाड़ी।" महानन्द जी ने कहा कि पाण्डे जी हम आप के साथ ही हैं, हम मरेंगें तो आपके साथ ही मरेंगे। जैसे तैसे वह दलदल से बाहर आ गये। सारे बदन पर मिट्टी चिपकी थी, मिट्टी छुड़ाने पास के ही एक पानी के छाड़न में जाकर बदन धोने लगे वहां कुछ सुअरें भी बैठी थीं। सामने कुछ झोपड़िया पड़ी हुई थी जो गांव के लोगों का डेरा था। यह जगह उमर पुर दियारे में नरही गांव के सामने थी।

वहीं पर एक कुएं पर नहा धोकर हम लोग गांव के लोगों की दी गयी चारपाइयों पर सो गये। सारा शरीर टूट चुका था। खाने की व्यवस्था करने की सुधि नहीं रही। तीसरे पहर हम लोग जब उठे तो मालूम हुआ कि वहां घी, चीनी, आटा, सब कुछ मिल सकता था। महानन्द जी ने हलुआ बनाया और वही खाया गया। रात को हम लोग वहीं रहे। दूसरे दिन सबेरे अपने निर्दिष्ट स्थान जवही पहुंचने के लिए आगे बढ़े।

जवही का गंगा का कछार बहुत बड़ा था। जवही में महानन्द जी के एक मिलने वाले थे पदम नाथ चौबे जो मेस्टर्न स्कूल में पढते समय मिश्र जी के सम्पर्क में आये थे। दियर में हम लोग उन्हें डेरे पर पूछते हुए पहुंचे। पदम नाथ चौबे ने बड़ी आवभगत की और बताया कि सैकड़ों फरार कांग्रेसी जन जवही के दियर में मौजूद हैं। वहां दो तीन दिन बाद पं. चित्तू पाण्डे के आदेश से मैं बलिया शहर की दशा समझने व जिले की और जानकारी हासिल करने बलिया पहुंचा। मैं उस समय भी

खद्दर का धोती कुर्ता पहने था। भृगुआश्रम के पहले ही मैंने उस घर पर दस्तक दी जहां मैं 1940 में मेस्टर्न स्कूल में पढ़ते समय रहता था। मेरे पुराने मित्र श्याम सुन्दर ठाकुर ने दरवाजा खोला और वह मुझे देखकर भौचक्का रह गये और मुझे झट से घर के अन्दर करके दरवाजा बन्द कर लिया। उन्होंने बताया कि शहर की स्थिति के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। शहर में लोग निकल नहीं रहे हैं। गांधी टोपी या खद्दर का कपड़ा पहले किसी को देखते ही उसकी जबरदस्त पिटाई होती है। सुना जाता है शहर में कई जगह गोली भी चली है और चारों ओर आंतक का राज्य है। मैने उन्हें कुछ कपड़ों की व्यवस्था करने को कहा। उनके पास एक ही कमीज थी वह भी मुझे दे दी। मुझे मालूम था कि बलिया चौक में करमर के गाढ़े की लुंगिया और सिले कुर्ते बिकते है। मैंने उन्हें दो लुंगी और दो कुर्ता लाने के लिए पैसा दिया और शहर का हालचाल जानने के लिए भेजा। लौट कर उन्होंने बताया कि स्टीमर से पलटन आ गयी है और पलटन के लोग शिवपुर दियर में बाबू परमात्मानन्द सिंह की खोज कर रहे हैं। ऐसी शहर में चर्चा है। बाबू परमात्मानन्द सिंह शिवपुर दियर के सबसे बड़े जमीन्दार थे और कांग्रेसी कर्मी थे। ऐसी सूरत में मेरा बलिया शहर में रुकना उचित नहीं था। इसलिए मैं फौरन लौटा और जमुवा गांव में नाव पर बैठकर रात्रि लगभग 9 बजे जवही गांव में पहुंच गया। महानन्द जी के मित्र पं. नर्वदेश्वर चतुर्वेदी जो उत्थान संघ के भी सदस्य थे जवही के ही निवासी थे। मैं उन्हीं के घर गया, चतुर्वेदी नहीं थे। उनके बड़े भाई आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के पुत्र श्री रिपुंजय चतुर्वेदी घर पर मिले। रात में जवही में विश्राम करके मैं जवही दियर में पहुंचा तथा पाण्डे जी एवं मित्रों को बलिया का हाल बताया। गंगा में शिवपुर दियर तक पलटन के आने के समाचार से यह निर्णय लिया गया कि यह स्थान तुरन्त छोड़ देना चाहिए और हम लोगों ने लगभग 1 घण्टा रात जाते–जाते बिहार में नैनीजोर के सामने गंगा को पार किया। उस गांव में पूछकर पता लगाकर एक उपाध्याय जी के घर ठहरने चले गये। उपाध्याय जी गांव में दुअरहा मशहूर थे और बाहर से आने वाले अभयागत अतिथि उन्हीं के यहां आश्रय पाते थे। गांव में आटा मिल गया और हम लोग घाठी बनाने का उपक्रम करने लगे। पं. चित्तू पाण्डे और महानन्द जी सामने बरामदे में बैठे थे। पं. चित्तू पाण्डे भजन गा रहे थे। बोल थे, "कहे मंदोदरी सुनपति रावन, मति लाग धरनीधर से, चोरी कइल, गाल बजावल, शरबर कर धनुषधर से"।

पाण्डे जी बहुत अच्छा गाते थे और ऊंचे स्वर में भजन गा रहे थे। उनको एक बार बलिया शहर में चौराहो पर घूम–घूमकर "बटोहिया" शीर्षक गाना गाने में राज्यद्रोह में पहले ही 6 महीने की सजा हो चुकी थी।" श्री महानन्द मिश्र ने तुरन्त व्यंग्य किया, "ए पाण्डे जी हमने से कहतानी कि हमने क अंग्रेजन से शरबर करतनी जा"। पाण्डे जी बिफर गये और कहने लगे कि तुम लोगों को दिन रात, अंग्रेजों से झगड़ा ही दिखाई देता है। तुम हम को भजन भी नहीं करने दोगे,

महानन्द जी हंस दिये। दूसरे दिन नैनीजोर से चलकर हम लोग एक गांव में पहुंचे जहां से बिहार का आरा कस्बा करीब था और उस गांव के इक्के आरा तक सवारी ढोते थे। हम और चौबे जी आटा गूंथने और उपले तोड़ने लगे, सामने एक छप्पर में बैठकर पाण्डे जी और महानन्द जी बाटी में भरने के लिए सतुई बना रहे थे, तब तक महानन्द जी की आवाज आयी, "पारस जी–पारस जी, पाण्डे जी गलत अंग्रेजी बोल रहे थे।" साथ ही चित्तू पाण्डे की आवाज सुनाई पड़ी कि यह झूठ बोल रहे हैं। पूछने पर महानन्द जी ने बताया कि "सोर्स को सेन्स कह रहे हैं।" दोनो आदमियों को अंग्रेजी का कोई ज्ञान नहीं था। पूछने पर मालूम हुआ कि पाण्डे जी हम सब लोगों का साथ छोड़ना चाहते थे और उन्होंने महानन्द जी से पूछा था कि अब आगे आप लोग कहां जायेंगे, अब आगे आप लोगों का कोई सोर्स है। सोर्स के बजाय उन्होंने सेन्स कह दिया था जिसको महानन्द जी ने टोका था। उन दोनों सज्जनों की नोक–झोक चलती ही रहती थी। पाण्डे जी आरा जाकर पटना जाना चाहते थे क्योंकि पटना में बलिया के सेठ शिवप्रसाद जी की कोठी थी। दूसरे दिन सबेरे हम लोग आरा की तरफ चले। एक बहुत बड़ा ताल था वहां शौच आदि से निवृत्त होने के बाद पाण्डे जी को एक इक्के पर बैठा दिया गया। उस समय महानन्द जी ने पाण्डे जी को 30 रुपये दिये। बात यह थी कि जो कुछ हम लोगों के पास था वह सब महानन्द जी ही रखते थे। पाण्डे जी के आंखों में आंसू आ गये, वह बोल पड़े "ए महानन्द इ तू का करत बाड़ , तोहन लोगन के कुछ पैसा बा?" महानन्द जी ने कहा कि हम लोग अपनी व्यवस्था कर लेंगे। आप अकेले जा रहे हैं इसलिए आप इसे ले जाइये। पाण्डे जी को कष्ट था क्योंकि कुछ ही दिन पहले वह कह चुके थे कि अगर रोज घी में बना हलुआ खाया जायेगा तो कितने दिन गुजर होगी। महानन्द जी ने यह समझा कि शायद पाण्डे जी यह समझ रहे हैं कि खाने पीने में उन्हीं का पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए महानन्द जी ने उनका दिया हुआ सारा पैसा लौटा दिया जिससे पाण्डे जी दुखी हुए लेकिन महानन्द जी हंसते रहे। यही था पं. महानन्द मिश्र का व्यक्तित्व, किसी तनाव पूर्ण स्थिति को सहज बना देना उनका स्वभाव था। भय और आशंकाएं और भविष्य की चिन्ता उनसे बहुत दूर थीं। पाण्डे जी चले गये और हम लोग लौट पड़े।

उसी दिन शाम को हम लोग गंगा के किनारे सपही गांव में रहे जहां उद्दण्ड लोगों ने दुर्व्यवहार किया। मिश्र जी शान्त रहे और हम लोगों ने आधी रात को ही सपही गांव से निकल कर पास ही एक बाग में रात बिताई और सुबह आगे बढ़े। सपही से थोड़ी दूर पर एक नाला बहता था उसमें एक छोटी नाव पर एक आदमी बहुत ही सफेद खद्दर का कपड़ा और गांधी टोपी पहले हुए मल्लाह के साथ जा रहे थे, महानन्द जी को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने उस आदमी को आवाज दी। वह बलिया जिले के रहने वाले छाता गांव के थे। वह महानन्द मिश्र और विश्वनाथ चौबे दोनों के मित्र थे। पता चला कलकत्ते से भागे थे और रास्ते बदलते

हुए वह वहां पहुंच गये थे वह नाला आगे जाकर गंगा में मिलता था और गंगा में पहुंचकर बलिया जिले में पार जाना चाहते थे। उन्होंने जो कुछ पैसा उनके पास था वह दे दिया और कहा कि शाम तक बलिया पहुंच ही जायेंगे।

थोड़ी दूर जाने के बाद गंगौली गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर के पास कुछ लोग बैठे थे। गंगा के बाढ़ का पानी उतर चुका था। उन्होंने पूछा कि आप लोग कहां से आये हैं और कहां जा रहे हैं। महानन्द जी ने कहा कि हम लोगों की भैंसे खों गयी हैं और हम लोग उसी को ढूंढ़ते हुए बलिया जिले से आये हैं। उस आदमी ने भी हंसकर कहा, "आजकल बहुत जाना के भईस भुलाइल बाड़ी स।" तात्पर्य यह था कि हम लोग फरार आन्दोलनकारी हैं। उस समय एक बहुत सीधा–साधा आदमी आया जो बघौरा (लकड़ी में रस्सी बांधे हुए खड़ाऊ) पहने हुए था। उन्होंने हमारी जाति पूछी और जब हमने कहा कि हम तीनों आदमी ब्राम्हण हैं, तब वह आदमी हम लोगों को अपने घर ले गये। वह उस क्षेत्र के सबसे बड़े कास्तकार श्री लाल मोहर ठाकुर के नाती थे। उस परिवार के बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित थीं। उनके सौ बैलों की खेती थी। दरवाजे पर घोड़साल, बैलों की सार अलग–अलग बनी थी और बहुत बड़ी कोठी थी। अपने छप्पर में बैठाकर उस सज्जन ने पूछा "रउवा सभे आज भूखल बाड़ी न?" महानन्द ने उत्तर दिया कि "हमने क भूखल नईखी जा, हमनी क भूखाइल बाड़ी जा।" उन सज्जन ने पूछा कि सब लोग क्या खाइयेगा क्योंकि आज जन्माष्टमी है और हमारे घर में अन्न नहीं छुआ जाता, उनके घर में सैकड़ों प्राणी थे लेकिन सब व्रत थे और उस दिन फलाहार पर ही रहते थे। श्री विश्वनाथ चौबे ने कहा कि दाल खाये कई दिन हो गया आज हम लोग भौरी (आटे की गोल–गोल रोटी जो गोइठे (उपला) पर सेंकी जाती है) और दाल खाना चाहते हैं। उन्होंने बनिये के यहां से आटा दाल मंगवा दिया और हम लोग बना–खाकर शाम को किसी अनिश्चित स्थान की ओर चल दिये।

दूसरे दिन सूरज डूबने के बाद सड़क के किनारे एक बहुत बड़े गांव में पहुंचे। हम लोग हमेशा सड़क छोड़कर खेतों से ही चलते थे। क्योंकि बताया यह गया था कि महाराजा डुमराव सरकार की मदद कर रहे हैं और उनके सिपाही जीपों और गाड़ियों में भरकर सड़क पर गश्त लगाते हैं। उस गांव के बाहर सड़क पर ही एक भड़भूजे की झोपड़ी थी। उससे रहने की जगह मांगी, झोपड़ी में जगह नहीं थी. मालूम हुआ बहुत बड़ा गांव है और गांव में बाजार है वहां सब कुछ मिल जायेगा। मैं गांव में गया, राजपूतों का गांव था काफी सम्पन्न लोग मालूम पड़ते थे। बाजार से चावल, दाल, घी वगैरह लेकर लौटा और उसी भड़भूजे की झोपड़ी के सामने खिचड़ी बनाना शुरु किया। अंधेरा था चूल्हे में डालने के लिए सूखी पत्तियां थी। कुछ खिचड़ी कच्ची रह गयी और कुछ जल गयी। महानन्द जी खाना बहुत अच्छा बनाते थे। हमने उस स्थिति का मजाक उड़ाया और चूंकि वहां रुक नहीं सकते थे इसलिए हम और आगे बढ गये। अगर कोई गाड़ी आती दिखाई पड़ी तो सड़क के

किनारे पेड़ो की आड़ में खड़े हो जाते थे। बादल बहुत घने थे, बादल की घड़घड़ाहट, बिजली की चमक रात को और भयानक बना रही थी। इसी बीच बिजली चमकी और सड़क के दाहिने तरफ एक इमारत सी दिखाई पड़ी। बिजली की चमक में देखा गया कि वह इमारत चारों तरफ पानी से घिरी हुई है और सड़क और इस इमारत के बीच एक पेड़ है जिसका आधा तना पानी के हिलकोरों में भीगा है। मिश्र जी के आदेशानुसार अपनी लाठी लेकर मैं पानी से होकर उस इमारत की ओर बढ़ने लगा। पानी छाती तक आ गया, मिश्र जी ने कुछ और आगे बढ़कर देखने को कहा। उधर पानी कम था और मैं इमारत पर पहुंच गया। वह एक बहुत बड़े मंदिर का खंडहर था, मैंने आवाज दी और महानन्द जी एवं चौबे जी भी आ गये। सामने ही दाहिने तरफ चबूतरे पर सूखी जगह देखकर हम लोग लेट गये। पौ फटने पर एक अत्यन्त भयंकर दृश्य दिखाई पड़ा। हम रात भर एक अंधे कुएं की कगार पर सोये थे। कुएं के किनारे सबसे करीब मैं था। अगर रात को करवट लिया होता तो सीधे कुएं में जाता। उस अंधे कुएं के अन्दर बबूल उगे हुए थे जिस पर तीन करईट सांप लटके हुए थे। उस समय अपनी मानसिक स्थिति अब याद नहीं है। किन्तु ये किसी ने नहीं कहा कि ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि आज हम लोग बच गये।

उसी रास्ते सड़क के सहारे चलते–चलते हम लोग बनारस पहुंच गये और सीधे गांधी आश्रम गये जहां पहले गोकुल भाई काम करते थे और जहां के प्रबन्धक अय्यर भाई थे। हमने अपनी बात अय्यर भाई को बताई। उन्होंने रात आश्रम के ऊपरी हिस्से में हम लोगों के रुकने की व्यवस्था की और बताया कि आप के बलिया के ही प. नर्वदेश्वर चतुर्वेदी बनारस में सक्रिय हैं और शाम को आश्रम पर आयेंगे। दूसरे दिन शाम को नर्वदेश्वर जी से भेंट हुई। उन्होंने अलग–अलग तीनों आदमियों के रहने की व्यवस्था की। महानन्द जी की उन्होंने श्री काशी विद्यापीठ के लैब असिस्टेन्ट मोहन सिंह के साथ रहने की व्यवस्था की। मोहन सिंह का काशी विद्यापीठ के पास ही घर एवं खेत था। उस खेत में एक झोपड़ी में महानन्द जी रहे। बाद में दैनिक 'आज' के सम्पादक बाबू राव विष्णु पराड़कर के सौजन्य से विशेश्वरगंज कोतवाली के पीछे पत्थर गलिया मोहल्ले में एक गुजराती सज्जन के मकान की व्यवस्था हुई। किरायेदार होने के इकरारनामे पर मैंने ही मोहन सिंह, पिता का नाम गनेश सिंह, दरबान सूरजमल नागर मल, बड़ी बाजार, कलकत्ता के पते से हस्ताक्षर किये क्योंकि कहानी यही गढ़ी गयी थी कि कलकत्ते के सेठ लोगों का परिवार बनारस वास के लिए आ रहा है और उसी के रुकने के लिए हम यह मकान किराये पर ले रहे हैं। इस मकान में रहते समय मिट्टी के हंडिया में हम लोग खाना बनाते थे और पत्तल में खाते थे और कुल्हड़ में पानी पीते थे।

मिश्र जी ताश खेलने के बहुत ही शौकीन थे। ताश वह तरह–तरह से खेलते थे। चूंकि मैं और विश्वनाथ ताश नहीं खेलते थे इसलिए मिश्र जी दिन भर पेशेन्स खेलते थे। वैसे महानन्द जी शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और इस

कारण बलिया शहर के कई शतरंज प्रेमी सरकारी अफसरों से उनकी मित्रता हो गयी थी। वह ताश और कौड़ी से जुआ भी खेल लेते थे। यह एक ऐसा प्रसंग है कि एक बार मैं और विश्वनाथ चौबे बलिया में मिश्र जी के घर पर ठहरे हुए थे। सबेरे उन्हीं के एक मित्र और सहपाठी बाबू बंगी लाल उनके घर पर आकर रोने लगे, उनकी हिचकियां बंध गयी थी, मिश्र जी उनको डांट रहे थे कि तुम यहां क्यों आये हो और हम लोगों से कह रहे थे कि बड़ा बेईमान है। हमें कुछ दाल में काला लगा और हमने बंगीलाल को शान्त कराके पूरी बात पूछी। बाबू बंगीलाल ने बताया कि यह रात को हमारे घर पर रोज जुआ खेलते हैं और रोज जीतते हैं। रात जुए में हार गये तो इन्होंने हमको मारकर पैसे छीन लिये और हमको धमकी दी। मिश्र जी बार–बार यही कहते रहे कि यह सब झूठ है। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि सब कुछ सही है। रोज जुआ खेलते हैं और उसी की कमाई से यहां रुकने वाले कांग्रेस जनों के भोजन आदि की व्यवस्था होती है। यह बात स्वीकार करते समय मिश्र जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी जैसे सब कुछ सहज और स्वाभिक था। हम लोगों ने मिश्र जी की भर्त्सना की और उन्होंने जुआ खेलना छोड़ दिया। मिश्र जी का उद्‌देश्य स्पष्ट था और उसको पूरा करने में क्या कार्य अनैतिक और क्या नैतिक है उसके बारे में उनको स्पष्ट बोध था।

कुछ दिनों में वहां गंगा सिंह शास्त्री भी उस मकान में पहुंचा दिये गये। थोड़े ही दिनो में वह मकान छोड़ने को कहा गया और हम पास ही एक तीन मंजिला मकान में चले गये जो भुतहा मकान के नाम से मशहूर था। उसमें वर्षों से कोई नहीं रह रहा था। इस मकान में ऊपर के मंजिल में हम लोग रहते थे। कुछ दिनों बाद वहां दो आदमी और आ गये जिसमें एक राम नगर के रहने वाले थे और दूसरे गाजीपुर के थे। गाजीपुर के सज्जन का नाम रामजी था।

पं. नर्वदेश्वर जी से शहर में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी हो जाती थी। भूमिगत आन्दोलन जीवित था। उस बीच बनारस में पुराने क्रान्तिकारी और इतिहास के विद्वान श्री जयचन्द्र जी विद्या अलंकार रहते थे और हम लोग अक्सर उन से मिलते रहते थे। किन्ही कारणों से वह गिरफ्तार नहीं हुए थे। मालूम हुआ कि इस बीच बनारस में डा. राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसिफ अली, बिहार के प्रसिद्ध मजदूर नेता बाबू बसावन सिंह बनारस में फरारी हालत में आये और ऐसा समझा जा रहा था कि आन्दोलन की अगली रणनीति की तैयारियां तोड़–फोड़ और पुलों को उड़ाने आदि के बारे में की जा रही थीं। इसी सिलसिले में मुझे धनबाद (बिहार) और रानीगंज (बंगाल) भेजा गया। जब मैं लौटकर आया तो मालूम हुआ कि श्री महानन्द मिश्र बलिया भेज दिये गये और श्री विश्वनाथ चौबे गाजीपुर भेज दिये गये। वे अपने साथ बहुत सी लेखन सामग्री, पर्चे इत्यादि ले गये है और इनको कहा गया है कि लोगों को इकट्‌ठा करके बात करें और आन्दोलन को आगे बढ़ाने की बात सोचें। बंगाल से मेरे लौटने के दो–तीन दिन के अन्दर उस मकान पर पुलिस

का छापा पड़ा और मुझे गंगा सिंह शास्त्री, गाजीपुर के बाबू रमा शंकर राय, फैजाबाद के रघुबीर सिंह आदि के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये फौज के रिटायर हवलदार थे और फैजाबाद में जहांगीरगंज थाना फूंककर आये थे जिसमें कुछ पुलिस जनों की मृत्यु हो गयीं थी। मालूम हुआ कि राम जी रात को गये थे और लौटे नहीं थे, पता चला कि रात में काशी विद्यापीठ में भारत माता मंदिर के पास पुलिस और क्रान्तिकारियों के बीच गोली चली जिसमें राम जी गिरफ्तार हो गये।

बनारस से चल कर मिश्र जी बलिया जिले के द्वाबा क्षेत्र की ओर गये। उस समय जिले के फरार अनेक लोग गंगा के आर–पार बलिया और बिहार के आरा जिले में रहते थे। मिश्र जी ने उनसे सम्पर्क स्थापित किया और मीटिंग की। उस समय में बनारस में आये हुए क्रान्तिकारियों के आदेशानुसार लोगों को गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार करने की बात थी जिसके लिए संगठन तैयार करना आवश्यक था। मिश्र जी इसी प्रयास में लग गये। धीरे–धीरे उनका अनेक लोगों से सम्पर्क हुआ जैसे सर्व श्री राम नाथ पाठक (मुरार पट्टी) राम अनन्त पाण्डे, दीप नारायण सिंह, श्याम बिहारी सिंह (कर्ण छपरा) इत्यादि। ये सब बलिया जिले के प्रमुख कांग्रेसकर्मी थे। श्री राम अनन्त पाण्डे और श्री राम नाथ पाठक बाद में स्वतंत्रता मिलने के बाद एम.एल.ए. और एम.एल.सी. हुए। मिश्र जी ने कर्ण छपरा के पास पारस नाथ की मठिया पर अपने साथियों के साथ मीटिंग की। दया छपरा के श्री जगदीश मिश्र भी मठिया पर रहते थे और फरार लोगों की मदद करते थे। 10 दिसम्बर 1942 को पुलिस ने सुनियोजित ढंग से मठिया पर धावा बोलकर मिश्र जी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तार करके थाना बैरिया के सेकेन्ड अफसर सब इन्सपेक्टर मुर्तजा हुसेन ले गये। उस समय बैरिया थाना जलाया जा चुका था और बलिया के प्रमुख जमींदार पाण्डे जी के दरवाजे पर थाना खोला गया था। मुर्तुजा ने उन्हें कुंवर सुन्दर सिंह को सुपुर्द कर दिया जो बैरिया के इन्चार्ज थे।

जेल जीवन और बर्बर यातनाएं भी उन्हें झुका न सकीं

मैं कुछ दिन बनारस और कुछ दिन गाजीपुर जेल में बिताने के बाद जनवरी 1943 में बलिया पहुंचा। उस समय श्री महानन्द मिश्र जी गिरफ्तार होकर बलिया जेल में ही आ चुके थे।

गिरफ्तारी के बाद बलिया जिले के बैरिया थाने के थानेदार कुंवर सुन्दर सिंह ने मिश्र जी पर बड़ी ज्यादतियां की, उनकी मूंछ के एक–एक बाल उखड़वा दिये और मुंह में ढरके से पेशाब पिलाया। बलिया जेल में आने के बाद 14 दिन

पुलिस रिमाण्ड पर कोतवाली पुलिस द्वारा ले जाया गया। वहां एस.पी. सी.एल.डी. उड, डिप्टी एस. पी. सुगर सिंह तथा अनेक लोगों ने उनसे पूछताछ की। सब यही पूछते थे कि गड़वार थाने से लूटी हुई बन्दूक कहां है, मिश्र जी निर्भीकतापूर्ण उत्तर देते और यह कहते रहे कि हम एक जमात के सिपाही है और हम सब आपको कैसे बतायेंगे। कुछ दिनों बाद मो. जुबेर नाम के एक सब इन्सपेक्टर ने श्री मिश्र जी से पूछताछ की। वह नौजवान सब इन्सपेक्टर उसी साल पी.टी.सी. से निकला था और बहुत ही साहसी और कठोर था। वह मिश्र जी को धुर्रे से मारने लगा और मारते-मारते थक गया। मिश्र जी ने उससे कहा कि आप थक गये आप किसी बड़े घर के आदमी मालूम होते हो और सख्ती का काम आप से नहीं होगा। और थानेदार भड़का और उसने दुबारा मिश्र जी को मारना शुरू किया। तीन दिन तक थानेदार उनकी पिटाई करता रहा और एक ही प्रश्न का वही उत्तर पाता रहा । बीच-बीच में डिप्टी एस. पी. और एस.पी. भी आकर पूछ जाया करते थे। तीसरे दिन थानेदार ने मिश्र जी से कहा कि हमने आप जैसा आदमी देखा नहीं और अब मैं आपको नहीं मारूंगा। उसने यह भी कहा कि आप हमारी यह मदद कर सकते है कि जब जिले के एस.पी आयें तो उनसे यह कहे कि थानेदार जुबेर हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं नहीं तो मेरी यहां से ड्यूटी समाप्त कर दी जायेगी। थानेदार ने उनको खाने को पूछा और यह पूछा कि आप गोश्त खाते हैं। मिश्र जी ने उत्तर दिया मैं वह हर चीज खाता हूं जो आदमी खाता है। थानेदार ने उस दिन से व्यवस्था कर दी कि हवालात में मिश्र जी के लिए उसी के घर से खाना आता था। थानेदार ने यह भी कहा कि उसने दमन के दौरान कई घरों को लूटा, खास तौर पर बलिया शहर के सेठ शिव प्रसाद की कोठी लूटी लेकिन मैं उनका सारा सामान वापस कर दूंगा। मिश्र जी ने ऐसा करने को मना किया और कह दिया कि जब सारा जिला लूट लिया गया तो एक आदमी का सामान वापस करने से क्या फायदा है। 14 दिन रिमाण्ड खत्म होने के बाद मिश्र जी को बलिया जेल में भेज दिया गया।

जनवरी के अन्त में जब मैंने मिश्र जी को बलिया जेल में देखा तो मिश्र जी का शरीर एकदम टूट चुका था, उनका केवल पंजर ही दिखाई दे रहा था, पैर में बेड़ी पडी थी और वह तनहाई में बन्द थे।

तनहाई में मिश्र जी के साथ चौबे जी भी बन्द थे और कुछ दिनों के बाद मैं भी इस तनहाई में पहुंच गया। जेल में कुल 128 कैदियों के रहने की स्वीकृति थी लेकिन लगभग सात-आठ सौ कैदी बन्दी थे। रहने को कोई जगह नहीं थी, लोग बैरिकों के अन्दर पैखानों की झिर्रियों में सोते थे, एक टीन की बैरक भी बनायी गयी थी जिसमें लगभग 100 कैदी सोते थे। इसलिए तनहाई में भी जो एक आदमी के लिए होती है उसमें तीन-तीन चार-चार आदमी बन्द हुए।

जेल में जीवन नाम का एक पक्का था, सन् 1919 में आईपीसी की दफा 400 के तहत गैंग केस में उसको आजीवन कारावास की सजा हो गयी थी। उ.प्र.

33 के अनेक जेलों में घूमता हुआ जीवन बलिया जेल में पहुंचा था और यह आशा कर रहा था कि इसी जेल से उसकी रिहाई हो सकेगी। जीवन बहुत ही खूंखार कैदी था, 23 वर्ष तक कारागार भुगतने के बाद उसकी मानवीय संवेदनाएं लगभग समाप्त हो गयी थी। जेल के अधिकारी जीवन से ही असहयोग के कांग्रेस कैदियों को पिटवाते थे। अनुशासन उल्लंघन के नाम पर लोगों को जेल के फाटक के अन्दर ले जाकर जीवन से पिटवाया जाता था। मिश्र जी को भी जीवन ने दो बार बड़ी मार लगायी। दो बार विश्वनाथ चौबे को पिटवाने के बाद तीसरी बार जीवन ने कांग्रेसजनों को मारने से इन्कार कर दिया। उसका स्वाभिमान जागा और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि कसूर इन लोगों का कुछ नहीं है, आप लोग उन्हे क्यों पिटवाते हो। जेल वालों ने जीवन को धमकी दी कि उसके छूटने का समय आ रहा है और हमारे हुक्म न मानने से उसकी सजा बढ़ सकती है। जीवन के पास जेल अधिकारियों द्वारा दिया गया एक चाभी का गुच्छा था, जीवन ने चाभी का गुच्छा फेंक दिया और कहा कि हम को भी बैरक में बन्द कर दीजिए। पक्का लोग रात को बन्द नहीं होते थे और जेल वार्डनों की तरह जेल में गश्त करके पहरा देते थे।

धीरे–धीरे मिश्र जी से जीवन की मित्रता हो गयी। जीवन कहता था कि मै सन् 1920 से देख रहा हूं कि तुम लोग बार–बार जेल में आते हो और चले जाते हो, लोग समझते हैं कि तुम लोगों के हल्ला करने से आजादी दे दी जायगी। मिश्र जी उसकी इन बातों पर हंसते थे। जीवन के जेलजीवन के दौरान ही सन् 1920, 1931, 1932, 1942 के आन्दोलन हुए थे। बीच–बीच में अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता दमन का शिकार हो कर सजा भुगत रहे थे। जीवन पक्का के सामने इन बातों का कोई महत्व नहीं था। जीवन चौसर खेलता था, महानन्द मिश्र जी को भी जुए में रुचि थी और वह भी चौसर खेलना चाहते थे लेकिन हम लोग तनहाई में बन्द थे और जीवन बाहर था, इसलिए जीवन रात को अपनी लालटेन लेकर तनहाई के सामने बरामदे में आकर बैठ जाता था और कोयले से चौसर के खाने खींच दिये जाते थे, तीन तनहाई क अन्दर और खेल लगा हुआ तनहाई के बाहर। कौड़ी जीवन ही लाता था और भीतर के 3 आदमी अपनी पारी चलकर अड़गड़े के नीचे सरका कर जीवन की ओर बढ़ा देते थे। जब जेल का कोई बड़ा अधिकारी गश्त में आता था तो जीवन कौड़ी बटोर कर वहां से हट जाता था फिर तनहाई के सामने घोर अंधकार छा जाता था। एक बार जीवन अतिसार रोग से पीड़ित हुआ। उसके दस्त रुकते ही नहीं थे। एक दिन वह तनहाई के बाहर पानी की टंकी के पास सर नीचे करके बैठा था, उसने मिश्र जी को आवाज दी और कहा कि मेरे पास 22 सोने की गिन्नियां है जिनको मैंने विभिन्न जेलों के अन्दर कैदियों को जुआ खेलाकर कमाया है। अब मेरा अन्त समय आ गया है ये गिन्नियां सामने के गुलाब के पौधे के नीचे गाड़ रखी हैं मेरे मरने के बाद तुम इन गिन्नियों को निकाल लेना। मिश्र जी कभी–कभी जीवन की सहांयता से जेल से भाग निकलने की बात सोचते थे लेकिन उसकी कोई

उपयोगिता नहीं थी। जुलाई सन् 1943 में जीवन जेल से रिहा होने के लिए बिजनौर के जेल में ट्रान्सफैर किया गया। उसकी इच्छा के अनुसार मिश्र जी ने बाहर से मंगवाकर एक जोड़ी जूते उसको दिये। जीवन अपनी गिन्नियों के साथ बलिया जेल से निकल गया।

मई सन 1943 में महानन्द जी को गड़वार थाना फूंकने और लूटने के अपराध में तीन साल की सख्त सजा हुई। इसी बीच बलिया जेल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। 23 मार्च 1942 को सरदार भगतसिंह का शहीद दिवस था, हम लोग धीरे–धीरे बैरक नं. 3 में इक्कट्ठा हो गये और बाबा चंद्रिका दास की अध्यक्षता में श्रद्धान्जलि सभा हुई। जेल अधिकारियों को खबर हुई तब तक मीटिंग समाप्त हो चुकी थी। जमादार शेर जमा खां ने बाहर से आकर बैरक में ताला डाल दिया। बाद में ताला खोलकर अपनी–अपनी बैरकों में जाने को कहा गया। जेल में एक बैरक से दूसरे बैरक में जाने का रास्ता बन्द कर दिया गया। शाम को हमने खाना खराब होने के प्रतिवाद स्वरूप खाना लेने से इंकार कर दिया और बैरक में बन्द होने के बाद तसला बजाने लगे। जेल में विरोध प्रकट करने के लिए तसला और कटोरी से एक दूसरे को बजाकर शोर मचाया जाता था। जो बैरक टीन की थी उसे तसले से पीटना शुरू किया। जेल के पास ही जिलाधीश का निवास था। तसला रात भर बजता रहा। दूसरे दिन फिर सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री एल. डी. उड ने सशस्त्र पुलिस के साथ जेल में प्रवेश किया और फाटक पर ही स्थित बैरक नं.3 को खुलवाकर उसमें भयंकर लाठीचार्ज कराया। यही स्थिाते बैरक नं.1 और 2 की भी रही। अनेक लोगों के सर फटे और अनेक लोग बुरी तरह से घायल हो गये क्योंकि बैरक में बहुत भीड़ थी। जो लाठी पड़ती उससे किसी का शरीर या सर जरूर फूट जाता था। जेल में सन्नाटा छा गया। जिलाधिकारी ने बैरकों से दस आदमी निकलवाकर सबको 10–10 बेंत की सजा सुना दी और अपने सामने ही टिकठी लगवाकर बेंत लगवाने का हुक्म दे दिया। उस समय खुटिया डोम जेल का जल्लाद था। वह महानन्द जी का सन् 1930 से ही मित्र था। जैसा कि ऊपर लिख चुका हूं कि खुटिया ने बेंत लगाने से इंकार कर दिया। बाद में लिलवा डोम से बेंत लगवाया गया। बेंत लगने वालों में सर्व श्री राम जन्म सिंह, मो. मुस्तफा, प्रताप पासी, मंगल पाण्डे आदि प्रमुख थे। प्रत्येक व्यक्ति ने बेंत के पड़ने पर वन्देमातरम् का नारा लगाया। उसी समय जीवन पक्का गश्त करता हुआ हमारी तनहाई के सामने आया। मिश्र जी ने जीवन से कहा कि कलक्टर साहब को बता दो कि 3 आदमी तनहाई में बन्द हैं, हम इस आन्दोलन में शामिल हैं हमें निकालर सजा दे दें। जीवन चुपचाप चला गया।

दूसरे दिन इस दमन के विरोध में श्री विश्वनाथ चौबे और मैं (पारस नाथ मिश्र) अनशन पर बैठे, चार पांच दिन के बाद एक शाम एक लम्बरदार कैदी भी हम लोगों के साथ तनहाई में बन्द किया गया। वह इलाहाबाद का रहने वाला हमीद लोहार था जो बलिया जिले के रसड़ा कस्बे में बहुत बड़ी चोरी के सम्बन्ध में सजा

काट रहा था। तनहाई में बन्द होने के बाद हमीद ने बताया कि उसको तनहाई में इसलिए बन्द किया गया है कि जीवन पक्का रात को हम लोगों को खाना खिलाता है। जीवन पक्का अपना खाना खुद ही जेल बन्द होने के बाद पकाता था। हमीद भी तुरन्त मिश्र जी के प्रभाव में आ गया। दूसरे दिन जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हरिश्चन्द्र गुप्ता आये उन्होंने हमारी सारी बातें मान लीं, बैरकों में एक बैरक से दूसरे बैरक में आने जाने के रास्ते खोले दिये गये और खाने में सुधार लाने का आश्वासन दिया गया। महानन्द मिश्र भूख हड़ताल में शामिल नहीं हुए गो कि उन्होंने इसका समर्थन किया।

श्री महानन्द मिश्र और श्री विश्वनाथ चौबे पर गड़वार थाना लूटने फूंकने और थानेदार की बन्दूक छीनने का मुकदमा चला। मई 1943 में बलिया के सदर आला ने जिन्हें एडीशनल सेशनजज का पावर मिला था महानन्द को 3 साल की सजा दे दी। जेल में महानन्द जी को चक्की पीसने का काम दिया गया। यही काम श्री विश्वनाथ चौबे और मुझे भी दिया गया। मिश्र जी ने चक्की पीसने से इन्कार तो नहीं किया लेकिन उनके आदेशानुसार हम लोगों ने यह तय किया कि सुबह गल्ला तौलवाकर चक्की खाने में ले जायेंगे लेकिन बिना पीसे गल्ला शाम को वापस कर देंगे। जेलर आग बबूला हो गया। एक दिन शाम को वह आया और हवा में मां बहन की गालियां देने लगा। मिश्र जी ने अतिविनम्रता से उससे कहा "सरकार जो बात आप जोर–जोर से कह रहे हैं वही गाली मैं आप को अपने मन में दे रहा हूं, हम खुलकर नहीं दे सकते क्योंकि मैं बदतमीज नहीं हूं।" जेलर बेंत फटकारता हुआ वापस चला गया। फिर हम लोगों ने चक्कीखाना जाना ही बन्द कर दिया। जिन दिनों हम पीसने के लिए चक्कीखाने में बन्द होते थे, एक दिन बूंदाबांदी होने लगी उसी बीच चक्की खाने का इन्चार्ज जीवन पक्का ने चक्की खाना खोला। शंका हुई कि हुक्म न मानने के अपराध में कुछ मारपीट की जायेगी। लेकिन जीवन ने हंसते हुए मिश्र जी को सम्बोधित करते हुए कहा "मिश्र जी हम छूट गये।" उसकी आंखों में आंसू थे, हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। बात सही थी, 23 वर्षों बाद जीवन के रिहाई के आदेश आ गये थे। सजा होने के बाद एक दिन हम लोग तनहाई में बन्द थे कि कम्युनिस्ट नेता श्री विश्वनाथ मर्दाना को भी उसी तनहाई में बन्द किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय यह कहा कि यह लड़ाई साम्राज्यवादी युद्ध नहीं है जैसा वह पहले कहते थे बल्कि अंग्रेजों के पक्ष में सोवियत यूनियन के शामिल होने के बाद यह जनयुद्ध हो गया है। जापानियों से देश को खतरा है इसलिए हमें अंग्रेजों के बजाय जापानियों से युद्ध करने के लिए संगठित होना चाहिए और सरकार से जनता को हथियार बन्द करने की मांग करनी चाहिए। इसी कार्यक्रम को समझाने के लिए वे जिलाधिकारी मिस्टर लेन से मिलने उनकी कोठी में गये थे। श्री बैरेट के बाद श्री लेन बलिया के जिलाधिकारी हो गये थे। श्री लेन ने बेंत खींचकर मर्दाना को दौड़ाया और उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इसी सिलसिले में मर्दाना जेल

की तनहाई में भेजे गये थे। अब इस तनहाई में चार लोग रहने लगे। एक दिन पैखाने के रास्ते एक बिल्ली घुस आयी, मर्दाना सामने शीशा रखकर दाढ़ी बना रहे थे। उनको यह सुविधा प्राप्त थी। उन पर कोई केस नहीं था वह केवल नजरबन्द थे। बिल्ली ने अपनी शक्ल शीशे में देखी और गुर्राकर शीशे की तरफ झपटी और मर्दाना कूदकर महानन्द मिश्र के ऊपर चले गये। मिश्र जी ने हंसते हुए व्यंग किया "मर्दाना जापानियों से हथियारबन्द लड़ाई की बात करते हैं और एक बिल्ली के हमले से तुम्हारा यह हाल हो गया, अरे डटकर बिल्ली का मुकाबला करो," मर्दाना बिगड़ पड़े। महानन्द जी को जाहिल, अनपढ़ नौखेद्रा वगैरह कहकर अपने आप को शान्त किया और महानन्द जी हंसते रहे। मर्दाना दो दिन बाद ही दूसरे बैरक में चले गये जहां चित्तू पाण्डे और बी क्लास के कुछ अन्य कैदी रहते थे जिसमें एक नव सृजित बी क्लास श्रेणी में खोला गया था जिसमें वास्तविक बी श्रेणी की सुविधा बहुत कम थी।

कुछ दिनों बाद मिश्र जी पं. चित्तू पाण्डे के साथ बस्ती जेल ट्रान्सफर कर दिये गये। उनको इतनी यातनाएं दी गयी थी, उनका खून इतना गिर चुका था कि वह बीमार रहने लगे। वहां से वह गोण्डा जिला जेल गये। फैजाबाद जिला जेल में उनके खून को बाहर भेज कर जांच करायी गयी तो मालूम हुआ कि वह कालाजार से पीड़ित हैं। कालाजार का इलाज हुआ और मिश्र जी स्वस्थ होने लगे। उस समय वहां देवरिया के बाबा राघव दास बी क्लास में थे और विश्वनाथ चौबे भी लखनऊ कैम्प जेल से बी क्लास फैजाबाद जिला जेल पहुंचे गये। बाबा राघवदास व चौबे जी ने मिश्र जी की बहुत सेवा की। बी क्लास के कैदी लोग उन्हें अपना खाना खिलाते रहे जिससे उनके स्वास्थ में सुधार हुआ। लेकिन मिश्र जी कुंवर सुन्दर सिंह की मार नहीं भूले थे। उनके मन में प्रतिशोध की भावना धधक रही थी। उस समय बलिया जिले के श्री नर्वदेश्वर चतुर्वेदी जो बलिया जिले में उत्थान संघ के कार्यकलापों के समय से मिश्र जी के मित्र थे और बनारस जेल में बन्दी थे। उन्होंने श्री नर्वदेश्वर चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा जिसे तिकड़म से जमादार के द्वारा बनारस जेल में चतुर्वेदी जी के पास भेजा। मिश्र जी ने अपने पत्र में लिखा था कि आप मेरे मित्रों को जानते हैं। आप उनको सूचित करें जब कभी जेल से छूटें तो कुंवर सुन्दर सिंह से बदला लें। इस सिलसिले में नर्वदेश्वर जी ने एक पत्र लिखा और एक जमादार के माध्यम से इलाहाबाद जिला जेल में मुझे भिजवाया क्योंकि मेरे जिला जेल में होने की उन्हें सूचना थी। मैंने भी एक पत्र लिखकर मिश्र जी को पूरा आश्वासन दिया और उसी माध्यम से वह पत्र फैजाबाद जिला जेल में भिजवा दिया।

महानन्द जी 11 जुलाई मई 1946 को जिला जेल फैजाबाद से सजा पूरी करने के बाद छूट गये। उनके साथ फैजाबाद जेल में बन्दी सर्व श्री मथुरा लाल, शिवमुनी राम और कुछ अन्य लोग छूट गये। उस समय तक उ.प्र. में चुनाव हो चुके थे और कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। श्री रफी अहमद किदवई गृहमंत्री थे और उन्हीं के समय जेलों में बन्द सभी राजनैतिक कैदी छोड़ दिये गये।

12 मई 1946 को महानन्द मिश्र जी बलिया पहुंचे। उनके स्वागत के लिए एक स्वागत समिति बनायी गयी और बलिया चौक में एक विशाल सभा हुई। मिश्र जी की जय-जयकार से पूरा शहर गूंज उठा क्योंकि मिश्र जी की यह कर्मभूमि थी और पूरा शहर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित था। मिश्र जी के सम्मान में अनेक लोगों का भाषण हुआ, मिश्र जी ने भी धन्यवाद दे दिया। मीटिंग के बाद जब भीड़ वापस जा रही थी तो मिश्र जी ने एक आदमी के पैर छुए। ये वही सज्जन थे जिन्होंने मिश्र जी को पढ़ाया था और एक की परीक्षा होने के बाद दर्जा ब में कर दिया था जिनसे उनकी शिक्षा समाप्त हो गयी। पं. जी ने आर्शीवाद देते हुए कहाकि "ए महानन्द जो तोहके एक से ब में ना कइले रहती त तोहरा के ई जस कैसे मिलीत।" मिश्र जी ने हंसते हुए कहा कि पंडित जी सब आपकी कृपा का फल है।

मिश्र जी का स्वास्थ्य बहुत गिर चुका था। उनके मुंह से बहुत अधिक खून गिर गया था और उनका अंग-अंग जोड़ों से आहत था, मिश्र जी ने नया जीवन आरम्भ किया। कुछ साथियों, मित्रों ने यथाशक्ति देख-भाल की लेकिन मिश्र जी ने तत्काल समाजवादी पार्टी के संगठन की ओर ध्यान दिया। अनेक विद्यार्थी उनसे प्रेरणा लेते थे और उनसे मिलने आते थे। उन्हें वह समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने और समाजवादी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे। इन्हीं दिनों उन्हें चन्द्रशेखर नाम के एक लड़के के बारे में बताया गया जो मऊ, जिला आजमगढ़ (वर्तमान में जिला मऊ) से हाई स्कूल पास करके आये थे और बलिया मेस्टर्न स्कूल में इन्टर में पढ़ रहे थे। मिश्र जी ने मुझे इनसे मिलने को कहा। मैं इस विद्यार्थी से मिलने उनके हास्टल में गया। ग्रामीण परिवेश के एक सीधे-साधे व्यक्ति खद्दर की धोती और खद्दर की बटनदार बनियाइन पहने हुए थे। बनियान के बाहर जनेउ लटक रहा था। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और आने का प्रयोजन बताया। यही सज्जन आगे चलकर चन्द्रशेखर नाम से भारत के प्रधानमंत्री हुए।

मैं उनके सम्बन्ध में जो राय बना कर गया उससे मिश्र जी को अवगत करा दिया। उन्होंने दूसरे दिन उनसे मेस्टर्न स्कूल के हाते में स्थित पक्के कुएं पर बात करने के लिए राय जाहिर की। उसी कुएं पर मिश्र जी अपने साथियों के साथ स्नान करने आते थे। मैं श्री चन्द्रशेखर को बुला लया, वहां कुछ अन्य साथी भी थे। मिश्र जी ने उनसे बात करने के बाद उनसे पूछा कि क्या हास्टल के विद्यार्थियों के सहयोग से समाजवादी पार्टी का कैम्प कर सकते हैं। चन्द्रशेखर तुरन्त तैयार हो गये और उन्होंने आयोजन कर दिया जिसमें 10-12 विद्यार्थी क्लास में हिस्सा लेने आये। का.वि.पीठ के प्रो. राजा राम शास्त्री क्लास लेने बलिया गये थे। मिश्र जी ने शीघ्र ही अपने पुराने सूत्रों से सम्पर्क स्थापित कर लिया। उनमें प्रमुख थे श्री राजेश्वर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी एक अत्यन्त कर्मठ व्यक्ति थे और धुन के पक्के थे। सन् 1938 में राष्ट्रीय आन्दोलन के सम्पर्क में आये थे और वहीं से सर्वकालिक कार्यकर्ता के रूप में आन्दोलन में सक्रिय रहे। वह गांव नरायन पुर थाना रसड़ा जिला बलिया के

निवासी थे। इसी समय बलिया जिले में कम्युनिस्ट पार्टी भी अत्यन्त सक्रिय थी। वह 16 वर्ष की अवस्था से सन् 1920 से राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े थे। उन्होंने कांग्रेस द्वारा चलाये गये प्रत्येक आन्दोलन में भाग लिया था और सजाएं भोगी थीं। उनका सम्पर्क हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से रहा। सन् 1937 में श्री मर्दाना कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया के सदस्य हो गये। बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती और गोण्डा में कम्युनिस्ट पार्टी को संगठित करने का उनको श्रेय था। श्री राजेश्वर त्रिपाती भी उन्हीं के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया के सम्पर्क में आये और कम्युनिस्ट पार्टी से कम्युनिस्ट किसान सभा में काम करने लगे। एक बार जब त्रिपाठी जी मुझसे मिले तो मुझे इसका कुछ आभास हुआ। मैंने यह बात मिश्र जी को बतायी। मिश्र जी कम्युनिस्ट पार्टी से सर्वथा असहमत थे और उनकी समझदारी के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस का विरोध करके देश के साथ गद्दारी की थी। कम्युनिस्ट लोग देश भक्त थे और अपने विचारों एवं क्रियाशैली से ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते थे और उसके कट्टर विरोधी थे। मिश्र जी इससे सहमत नहीं थे और कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी थे। मिश्र जी को न जाने कहां से इस बात की सूचना मिली कि राजेश्वर त्रिपाठी कम्युनिस्ट पार्टी में चले गये हैं और इस बात को गोपनीय रखना चाहते थे। इस बीच बलिया जिले के बनहिता गांव में कम्युनिस्ट पार्टी का एक कैम्प हुआ जिसमें प्रमुखा वक्ता रमेश सिन्हा थे। रमेश सिन्हा प्रान्तीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बलिया भेजे गये थे। राजेश्वर त्रिपाठी ने इस कैम्प में हिस्सा लिया और उनसे प्रभावित हो गये।

एक दिन मिश्र जी ने मुझे त्रिपाठी जी को बुला लाने के लिए भेजा और कहा कि उनको लेकर आइयेगा। मैं त्रिपाठी जी के गांव पहुंचा और उनको अपना प्रयोजन बताया। त्रिपाठी जी मेरे साथ बलिया आये। रात में मिश्र जी और राजेश्वर जी रातभर कुछ बात करते रहे, बाकी साथी छत पर ऊपर सो रहे थे। सबेरे त्रिपाठी जी प्रसन्न थे और मिश्र जी भी सहज हो गये थे। बाद में मालूम हुआ कि मिश्र जी ने रात को सब कुछ जान लेने के बाद यह कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी से तत्काल इस्तीफा नहीं देते तो वह सुबह रेल से कटकर आत्महत्या कर लेंगे। त्रिपाठी जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होने का आश्वासन दिया और अलग हो गये। मिश्र जी बहुत ही कोमल उदार लेकिन साथ ही बहुत कठोर व्यक्ति थे। सब लोग जानते थे कि जो करते हैं उसके लिए लोगों से कहते हैं और जो कहते हैं उसको कर देते हैं। त्रिपाठी जी उनके दबाव को सहन नहीं कर सके। ऐसा अनेक सुअवसरों पर देखा गया। मिश्र जी सबसे सरकार कह कर बात करते थे। इस बारे में उनसे कई बार विरोध प्रकट किया गया। उनका कहना था कि से सरकारी अफसर हैं तो सरकार ही हैं हमारे कहने से क्या होता है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर किसी भी समय इसे कठोरतम दंड देने की आवश्यकता है तो मुझे उसके लिए कदम उठाने के लिए एक मिनट की देर नहीं हो सकती। व्यक्तिगत जीवन में भी अपने मित्रों से

वह यही अपेक्षा करते थे कि सब लोग नम्र और उदार हों। मित्रों के प्रति, आन्दोलन के प्रति उनमें अटूट श्रद्धा थी औरं वह जो भी करते देश के लिए करते। देशहित के सामने अन्य सभी चीजें उनके लिए गौण थीं।

स्वतंत्र भारत में भी न्याय और सम्मान के लिए अनवरत संघर्ष

कुछ समय बाद मिश्र जी ने सामान्य जीवन बिताने के लिए विवाह कर लिया। आन्दोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेसकर्मी अपने–अपने घरों को चले गये और अधिकतर जीवन की कठोरताओं से जूझने लगे। मिश्र जी की आर्थिक स्थिति दयनीय थी लेकिन उन्होंने स्वाभिमान की सदैव रक्षा करते हुए जीवन यापन किया। उनके साथी लोग कांग्रेस में शामिल हुए और अनेक पदों पर पहुंचे। वह सबकी यथासाध्य सहायता करते रहे। जहां कहीं भी अत्याचार होता था वह वहां जाकर उसका प्रतिरोध करने का साहस करते थे। समाजवादी पार्टी के संगठन के सिलसिले में बलिया जिले में अनेक आन्दोलन हुए। मिश्र जी ने उनमें भाग लिया। सन् 1947 जून में बलिया जिले में इन्दारा स्टेशन (वर्तमान जिला मऊ) के पास पहसा गांव में समाजवादी पार्टी का एक कैम्प हुआ। एक छोटा सा गांव था। अहीरों की आबादी थी। मऊ के एक सज्जन इस गांव के जमीन्दार थे। उन्होंने गांव के लोगों पर बहुत अत्याचार किये। मऊ जिले के हलधर पुर थाने में स्थित दतौड़ा मुबारकपुर के सरयू पाण्डे समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्होंने इस कैम्प का आयोजन किया था। मिश्र जी ने अपने साथियों के साथ कैम्प में हिस्सा लिया और जमीन्दार के अत्याचार का प्रतिरोध किया। जमीन्दार के लोग वहां से हट गये।

2 या 3 अगस्त 1955 को ठाकुर जगन्नाथ सिंह एम.एल.ए. से यकायक मुलाकात हो गयी और उन्होंने गोवा मुक्ति मोर्चा आन्दोलन में सत्याग्रह करने का प्रस्ताव किया। वे 10 अगस्त 1955 को 18 आदमियों के साथ बलिया से गोवा के लिए रवाना हो गये और 12 अगस्त 1955 तक वहां पहुंच गये। तदुपरांत 15 अगस्त 1955 को गोवा पहुंचकर अपना आन्दोलन पूरा किया।

सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मिश्र जी कुछ करने के लिए आतुर हो गये। वह बलिया स्टेशन पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। ठा० जगन्नाथ सिंह ट्रेन से स्टेशन पर उतरे तो मिश्र जी ने पूछा कि "ठाकुर साहब चलै के न।" ठाकुर साहब के पूछने पर कि कहां चलना है मिश्र जी ने कहा कि देश पर चीन का हमला 'भइल बा सत्याग्रह न कइल जाई?' ठा. जगन्नाथ सिंह ने उनको समझाने का प्रयास किया कि लड़ाई गोली बारूद की है वहां पर सत्याग्रह का कोई स्थान नहीं है इस पर मिश्र जी ने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह का प्रयोग हर स्थिति में किया जा सकता है तो तोप और गोली के सामने क्यों नहीं हो

सकता है। ठाकुर साहब के समझाने पर मिश्र जी मायूस हो गये। यह घटना यह संकेत करती है कि जीवन के संध्याकाल में श्री मिश्र जी की उन सिद्धान्तों में कितनी अटूट निष्ठा थी जिस पर वह जीवनपर्यन्त चले थे। इसी संदर्भ में एक बात महत्वपूर्ण है। जिस समय सुभाष बाबू ने इम्फाल पर हमला किया तो जेल में यह चर्चा चली कि अब देश तुरन्त आजाद हो जायेगा। एक व्यक्ति ने मिश्र जी से यह आशंका व्यक्त की कि यदि स्वराज्य हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। मिश्र जी ने तत्काल उत्तर दिया कि कोई भी सरकार चाहे वह सरकार सोने की ही हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वह अत्याचार न करे और ऐसी हालत में अत्याचार और दुराचार का विरोध करने के लिए हम लोग तत्काल खड़े हो जायेंगे अंतिम दिनों तक में उन्होंने वर्तमान व्यवस्था के बारे में कहा था कि हमारे लिए यह व्यवस्था बर्खास्त हो गयी है।

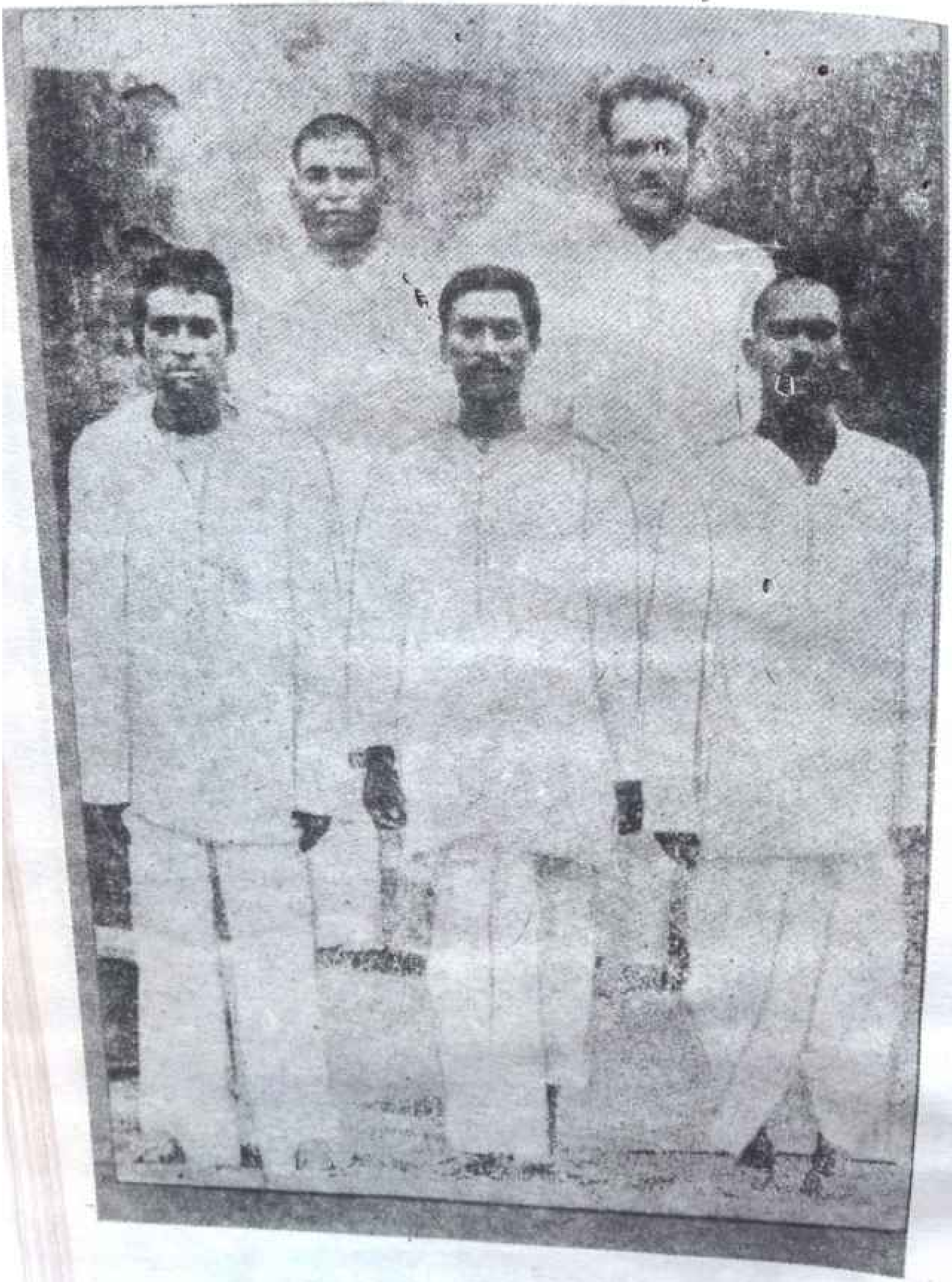
सन् 1972 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कुछ अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों को अपने हाथ से सेवाओं के लिए तामपत्र देने का निर्णय किया। बलिया जिले से महानंद मिश्र का भी नाम भी प्रस्तावित हुआ और वह दिल्ली गये। दिल्ली में श्री चन्द्रशेखर से उनकी भेंट हुई। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत पं0 कमलापति त्रिपाठी से कह कर उनके उपचार की व्यवस्था करवा दें। कारण यह था कि मिश्र जी का स्वास्थ्य संभल नहीं रहा था। चन्द्रशेखर ने किन्हीं करणों से इस प्रस्ताव से असहमति प्रकट की और कहा कि जो कुछ खर्च हो मैं आपका इलाज स्वयं करा दूंगा। मिश्र जी को यह बात लग गई । क्यों कि उनका तर्क था कि सरकारी तंत्र के अत्याचार के कारण उनका स्वास्थ्य गिरा है अतः सरकार का ही दायित्व है कि उनका इलाज कराये। मिश्र जी लखनऊ लौट आये और फिर बलिया चले गये। मैं खुद लखनऊ में था लेकिन मिश्र जी ने मुझसे भी मिलने की आवश्यकता नहीं समझी। मुझे यह बात दूसरों से मालूम हुई।

9 अक्टूबर, 1972 को जब मिश्र जी अपने एक पड़ोसी के घर रात को सोये हुए थे तो उनका देहान्त हो गया। मिश्र जी का घर पास ही में था। उनकी पत्नी को समाचार दिया गया और फिर पूरे शहर में यह समाचार आग की तरह फैल गया और अनेक लोग विशेषतया शहर में उपस्थित कांग्रेस कर्मी एकत्रित हुए तथा उनके पार्थिव शरीर को कुछ समय के लिए तिरंगे झण्डे में लपेट कर कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में रखा गया और उसी दिन उनका दाह–संस्कार सम्पन्न कर दिया गया। अगले दिन तार द्वारा मुझे सूचना दी गई और मैंने चन्द्रशेखर को दिल्ली में यह सूचना दी। जिस दिन मिश्र जी की श्राद्ध थी मैं और श्री चन्द्रशेखर दोनों बलिया पहुंचे गये थे। उनके पुत्र विजय कुमार मिश्र और उनकी पत्नी श्रीमती राधिका देवी जीवित हैं। मिश्र जी जीवन भर संघर्ष से ही जूझते रहे और उन्हें एक दिन भी शान्ति से सोने का अवसर नहीं मिला। अंततः वह चिरनिद्रा में निमग्न हो गये।

• पारसनाथ मिश्र



बागी बलिया की धरती



एक दुर्लभ चित्र
(पीछे की पंक्ति में) महानन्द मिश्र, शमशेर सिंह
(आगे की पंक्ति में) विश्वनाथ चौबे, रामलखन तिवारी, पारसनाथ मिश्र

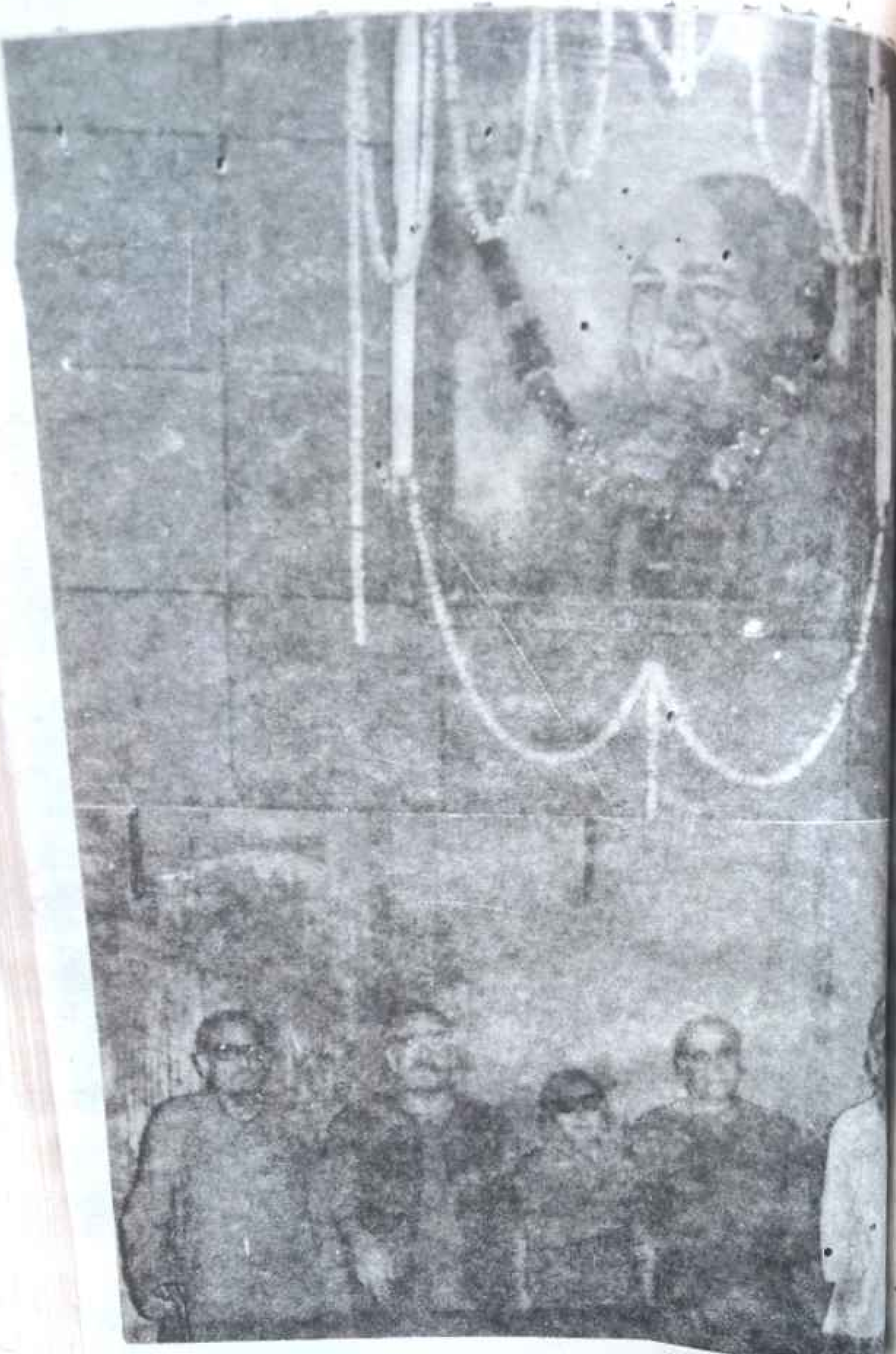


भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रखर क्रान्तिकारी एवं महानन्द मिश्र के अनन्य सहयोगी
विश्वनाथ चौबे





बलिया के बापू भवन में श्री महानन्द मिश्र के तैलचित्र के अनावरण के अवसर पर
(बायें से) सर्वश्री राजेश्वर त्रिपाठी, पारसनाथ मिश्र, श्रीमती राधिका मिश्र (स्व. महानन्द मिश्र की पत्नी)
विश्वनाथ चौबे, रामशरण राय, रामवृक्ष शास्त्री



बलिया के बापू भवन मे श्री महानन्द मिश्र के तैलचित्र के अनावरण के अवसर
(बायें से) सर्वश्री राजेश्वर त्रिपाठी, पारसनाथ मिश्र, श्रीमती राधिका मिश्र, रामवृक्ष शास्त्री,

महानन्द मिश्र अपने शब्दों में

(बृजेन्द्र शुक्ल द्वारा लिये गये एक साक्षात्कार के आधार पर)

महानन्द मिश्र अपने देहावासन के कुछ महीने पहले लखनऊ आये थे। उस समय वे दिल्ली से ताम्रपत्र लेकर लौटे थे। 1930–31 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन से गोआ की मुक्ति के अभियान तक की लम्बी संघर्ष–गाथा उन्होने उसी दिन सुनाई। जब वे लखनऊ से विदा हुए तब यह कौन जानता था कि वे लखनऊ पुनः नहीं लौटेंगे। हमारे आग्रह पर कई दिनों तक बैठ कर उन्होने धीरे–धीरे अपनी कहानी लिखाई थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वे इसे प्रकाशित देखें। हम दुखी हैं और संतप्त भी कि उन के जीवन काल में यह रचना उन्हें हम छपे रूप में समर्पित नहीं कर सके।

श्री महानन्द मिश्र इस प्रदेश के उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जो स्वतंत्रता के पहले या बाद में भी नितान्त सर्वहारा थे.और रहे। ये केवल देश को स्वतंत्र करने की आकांक्षा से प्रेरित होकर संग्राम में आये थे और संग्राम के दौरान उन्होने अपार कष्ट सहे थे। जीवन के अनित वर्षो में श्री महानन्द मिश्र नैनीताल, लखनऊ और बलिया के बीच बराबर दौड़ते रहे। कभी उन्हें निश्चिन्त होकर बैठने या आराम से बिछाकर सोने का अवसर नहीं मिला। तुलसीदास जी के शब्दों में वे उन लोगों में थे, जिनकी पूरी रात बिछाते ही बीत गयी; जिन्हें नींद भर सोने का मौका कभी नहीं मिला।

मेरा जन्म 1911 में पुरानी बलिया बस्ती में एक साधारण परिवार में हुआ। चार साल का ही था कि माता जी का निधन हो गया। सन् 1917 में हम लोग नये बलिया जाफलिनगंज में आकर बस गये। हाथ पैर से पुष्ट था, गरीबी की अवस्था थी, काम–काज मेहनत मशक्कत की आदत थी। मित्र मंडली ने तय किया कि खद्दर का जामा अपनाया जाय। एक माया सिंह सी. आई. डी. इन्सपेक्टर थे, उन्हीं के यहां बालक अवस्था में रसोई बनाने के लिए नौकरी शुरू की थी। यहीं चितू पाण्डे का नाम सुनाई पड़ा था। वे गिरफ्तार हो कर शिवदशानी कलेक्टर के सम्मुख पेश किये गये। वहीं पर पहले पहल चीतू पाण्डे के दर्शन हुए। कलेक्टर ने चीतू पाण्डे से पूछाः "आपको जिले में कितने लोग जानते हैं?" श्री चीतू पाण्डे ने जवाब दिया, "नौ लाख बलिया की आबादी है, कौन ऐसा अभागा होगा, जो मुझे नहीं जानता हो ! इस प्रकार की निर्भीकतापूर्ण बात सुनकर मुझ में बड़ा उत्साह आया और मैंने भी कांग्रेसी बनने की ठानी।

जब गांधी जी ने 1930 में नमक बनाने का एलान किया तो दरोगा जी की नौकरी छोड़कर श्री हरबंश सिंह शास्त्री के नेतृत्व में मैं भी बलिया से रेवती नमक बनाने गया। वहां पर तीन व्यक्ति गिरफ्तार हुए – श्री हरबंश सिंह, गोरख सिंह और ब्रह्मदेव सिंह। शेष हम लोग नमक बनाते रहे, गिरफ्तार नहीं किये गये। यह पहला अवसर था जब सरकार का कानून भंग हो गया था और गांधी जी की शत–प्रतिशत विजय हुई थी। सरकार लाचार हो गयी। नमक बनाया जाता रहा और कोई साथी गिरफ्तार नहीं किया गया।

इसके बाद हम लोग बीस–पच्चीस साथी साथ–साथ बलिया कांग्रेस दफतर में रहने लगे और विदेशी दूकानों पर, शराब, गांजा, ताड़ी की दूकानों पर धरना देने लगे। एक महीने के भीतर ही ऐसी स्थिति हो गयी कि गांजा, शराब की बिक्री बिल्कुल ठप्प हो गयी। उसी समय सरकार 'पिकेटिंग आर्डिनेन्स' के अधीन गिरफ्तारियां करने लगी, सैकड़ों की तादाद में लोग जेल गये।

मुझे भी इसमें पहली बार छः महीने की सजा सुनायी गयी और मुझे लखनऊ कैम्प जेल में रखा गया। जब गांधी–इरविन पैक्ट हो गया तो सभी राजनैतिक बन्दी छोड़े गये। मैं भी जेल से बाहर आया। किन्तु 20 दिसम्बर सन् 1931 में बलिया शहर में एक डकैती पड़ी और पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ चीतू पाण्डे, जगन्नाथ सिंह, आदि 13 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। सभी की जमानत जज के यहां से मंजूर हो गयी, पर मेरी जमानत इसलिए नामंजूर कर दी गयी कि पुलिस वालों ने शिकायत की कि महानन्द मिश्र के छोड़ दिये जाने से पुलिस को गवाह नहीं मिलेंगे। इसी बिना पर हाई कोर्ट ने भी जमानत नामंजूर कर दी। लोवर कोर्ट में आठ महीने तक मुकदमा चलने के बाद मुकदमा सेशन–सिपुर्द किया गया। सभी जमानतें रद्द कर दी गयीं और सभी को जेल पुनः भेज दिया गया।

पुनः जेल में चीतू पाण्डे तथा बलिया के और सभी साथियों का समागम हुआ और कांग्रेसी जोश में हम लोग बढ़ते गये। सेशन जज ने सभी साथियों की

जमानत मंजूर कर दी और लोग छूट-छूट कर अपने-अपने घर आये, मैं भी घर आया। घर की तबाही देखी, खाने के लाले पड़े थे।

किसी प्रकार कुछ जुगाड़ कर पांच-सात दिन बाद सात-आठ सेर हलुवा बनाकर महन्त स्कूल के छात्रावास में एक-एक कमरे में जाकर छात्रों को हलुआ खिला आता और उनसे जो कुछ मिलता उसी से अगले दिन के लिए सामान ले लेता और अपना भी गुजर-बसर करता। उस समय परिवार में मेरी दो बहनें, पिता जी तथा सौतेली मां थी। सभी को कुछ न कुछ खाने का प्रबन्ध हो जाता तथा छात्र समुदाय में राजनीतिक जोश पैदा करने का मौका मिलता। एक दिन की बात है कि मैं हलुआ खा रहा था कि रामलखन तिवारी आये, और मुझसे पूछा कि क्या तुम रोज यही खाते हो। मैंने उत्तर दिया मैं रोज यही खाता और खिलाता हूं और वह भी अपना घर छोडकर मेरे साथ रहने लगे। पांच सात दिन बाद श्री तारकेश्वर पांडे जी भी मेरी साथ आ गये। फिर गोकुल दास आ गये। इस प्रकार एक अच्छी खासी युवक जनों की मंडली कायम हो गयी।

तीस रुपये से एक होटल खोला गया, जो इन सभी साथियों का एक अड्डा बन गया। यह होटल चार साल तक कायम रहा। यह होटल बलिया की जोशीली और क्रान्तिकारी विचारधारा के नवयुवकों का अड्डा बन गया। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि वहां युवकों में जो आपसी विचार-विमर्श होता था उससे बलिया का राजनीतिक संगठन दिन प्रतिदिन ठोस होता गया और अनेक युवकों में भारत-माता की बलिवेदी पर कुछ कर गुजरने की तमन्ना काम करने लगी।

सन् 1938 में श्री नन्दकुमार देव वशिष्ठ के नेतृत्व में फैजाबाद में कौमी-सेना का संगठन किया गया, जिसमें श्री परमेश्वर पांडे कप्तान और मैं तथा विश्वनाथ चौबे नायब कप्तान बन गये। फैजाबाद में हम लोगों को जिस प्रकार ट्रेनिंग दी गयी, उसी प्रकार हम लोग भी बलिया जिले में स्वयंसेवक भर्ती का काम करने लगे और उन्हें भी उसी प्रकार की ट्रेनिंग देने लगे। 500 ट्रेण्ड स्वयंसेवक हो गये और लगभग 2,000 अनट्रेण्ड स्वयंसेवक भर्ती किये गये। कुछ समय बाद मैं जिला कांग्रेस कमेटी का कप्तान बना दिया गया।

सन् 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला जिसमें अपने जिले के दो-तीन सौ आदमी जेल गये। बड़ा जोश था, जनता और कार्यकर्ताओं में तथा नेताओं में आजादी की तमन्ना देखते बनती थी। मुझे भी एक साल की सजा हुई। चुनार जेल में था। लकवे का शिकार हो गया। सजा पूरी होंन से दो महीने पूर्व ही छोड़ दिया गया। बाहर आया तो बलिया में नन्दगंज ट्रेन डकैती का मुकदमा चला रहा था जिसमें मेरे कई साथी जेल में बन्द थे।

मैं उनकी ओर से पैरवी करने लगा। इस पर पुलिस ने नाराज होकर मुझे भी 4 जुलाई 1942 को डी. आई. आर. धारा 129 में गिरफ्तार कर लिया और इस प्रकार मैं फिर जेल में बन्द हो गया।

जेल के फाटक खुले

9 अगस्त 1942 को 'अंग्रेजो, भारत छोड़ो' का आन्दोलन शुरू हो गया था, किन्तु बलिया के शीर्षस्थ नेता चीतू पांडे, विश्वनाथ चौबे, आदि जेल में पहले ही आ गये थे। जनता की लगभग 10 हजार की भीड़ ने क्रुद्ध होकर जेल घेर लिया था। यह 19 अगस्त 1942 की घटना है। कलेक्टर जेल में हम लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि यदि आप लोगों को छोड़ दिया जाय तो आप क्या करेंगे ? क्या आप लोग भीड़ को सम्बोधित करके भीड़ से आगे जाने के लिए कहेंगे ? हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचते इसके पूर्व ही जेल के फाटक खोल दिये गये और हम सभी लोग जेल से बाहर कर दिये गये।

मैं साफ बता देना चाहता हूं कि हम लोगों को कतई नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी भीड़ जेल के फ़ाटक पर आ गयी है। हम लोग जेल के बाहर निकल भागने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि यह सब हो गया। भीड़ ने स्वयं आकर हम लोगों को बाहर निकाल दिया। इस प्रकार हम लोगों ने जनता की आवाज पर एक-एक थाने, स्टेशन, सरकारी कार्यालय पर कब्जा करने की योजना बनायी। प्रशिक्षित जनता और कार्यकर्ताओं के अभाव में भी जो कार्यक्रम सामने आया उसी को पूरे वेग से सफल बनाने में हम लोग जुट गये।

जब हम लोग जेल से बाहर आये तो अपार जनसमूह के दर्शन हुए और साथ ही सरकारी कर्मचारियों और अफसरों की घबराहट भी देखी। सिकन्दरपुर रोड पर, बांसडीह रोड पर, बलिया के पश्चिमी भाग, बहेड़ी के पास, पूर्वी भाग, महन्त स्कूल के पास अपार जन समूह उत्तेजित था। भीड़ को सम्बोधित करने के लिए चीतू पांडे ने सभी को टाउन हाल में एकत्र होने के लिए कहा, जहां अपना भाषण दिया कि और किसी दिन बलिया को अपने कब्जे में लेने का काम किया जाय। किन्तु भीड़ कटिबद्ध थी और उसी दिन अपना कार्यक्रम पूरा करना चाहती थी। चीतू पांडे जी ने कहा कि हम मीटिंग करके तय करते हैं कि यह कैसे किया जाय कि इतने में विश्वनाथ चौबे तथा मैंने और कई युवक नेताओं ने भीड़ से कह दिया कि आप लोग जिस काम से आये हैं, उसे पूरा करें। हमारी मीटिंग से कोई लाभ नहीं।

बस भीड़ ने एक तरफ से अपना काम करना शुरू कर दिया। पहले जाफलिनगंज पुलिस चौकी, ओखटनगंज पुलिस चौकी, बलिया स्टेशन का कार्यालय लूटा गया, श्री वैश्य एस.डी. ओ. थे। किसी में भी विरोध करने का दम नहीं था। मजिस्ट्रेट श्री कक्कड़ थे, उनका कार्यालय भी लूटा गया। मुन्सिफी सब-जजी सभी कार्यालय पर जनता का राज्य हो गया। यह सब 19 अगस्त 1942 को हुआ, और यही दिन था जब हम लोगों ने गांधी के 'करो या मरो' के सन्देश पर बलिया में अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी।

51

बलिया जीत लिया गया

इसके बाद श्री विश्वनाथ चौबे, रामजी तिवारी और मुझे श्री चीतू पांडे का यह आदेश मिला कि "तुम लोगों को अभी बलिया के पश्चिमी भाग पर कब्जा करना है।" रामजी तिवारी को बड़का गांव भेजा गया। मैं और विश्वनाथ चौबे गड़वार गये। वहां गांवों में बड़ी जागृति थी। 20 अगस्त 1942 की रात्रि में घूम-घूम कर सभी को बतला दिया गया और सुबह 21 अगस्त, 1942 को गड़वार थाने पर कब्जा कर लिया गया। थाने को फूंक दिया गया। दरोगा भागकर बुढ़ऊ चले गये थे। वहां जाकर हमने उन्हें पकड़ा और उसने एक बन्दूक, कुछ कारतूस और थाने का घंटा आदि सामान लौटा दिया।

21 अगस्त, 1942 की रात को हम लोग रसड़ा आ गये। इस थाने की बनावट ऐसी है कि यहां पर ज्यादा आदमियों की जरूरत थी। इसलिए हम लोगों ने हलधरपुर और उभांव थाने पर कब्जा करके और साथ में और अधिक भीड़ लेकर रसड़ा थाने पर धावा बोलने की योजना बनायी। कुछ लोगों की भीड़ लेकर श्री विश्वनाथ जी के नेतृत्व में हलधर थाने पर 22 अगस्त 1942 को कब्जा कर लिया गया। इसके बाद उभाँव थाने पर हम लोग गये।

श्री पारस नाथ के नेतृत्व में, लगभग चार हजार की भीड़ पूरे हथियार से लैस तैयार थी। इस अवसर पर श्री पारसनाथ ने बहुत ही जोशीला भाषण दिया और उपस्थित जन समुदाय को 'करो या मरो' के नारे का महत्व बतलाते हुए कहा कि भारतवर्ष अब अंग्रेजों का किसी प्रकार का शोषण सहन करने के लिए तैयार नहीं है। सारा जन-समूह 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नारा लगाते हुए थाने पर धावा करने चला। तब तक एक आदमी दौड़ा-दौड़ा आया और उसने बताया कि तुर्तीपार के पास पांच-छः फौज के जवान आ गये हैं और वे लोग गोली चला रहे हैं, जिसमें चन्द्रदीप सिंह नामक एक युवक मारा गया है। भीड़ थाने पर जाने के बजाय इन फौजियों से निपटने के लिए लौट पड़ी। भीड़ को नियन्त्रित करने का बहुत प्रयत्न किया गया, पर लोगों के जोश की सीमा न थी, जोश अधिक होश कम ! जय बजरंग बली का नारा लगाते हुए लोग फौजी जवानों की ओर दौड़ पड़े। फौजियों के पास सज्जित हथियार, रायफलें थीं। उन्हें यह समझाया जा रहा था कि उधर मत जाओ, पर सिरफिरी जोशीली जनता आवेग से उधर ही बढ़ी जा रही थी तो हम लोगों ने अपनी ओर से हवाई फायर किया।

अतः अपने आदमी जो थोडे ही दूर गये थे, वे पीछे लौट आये। हमने लोगों से कहा कि आप लोग इन फौजियों को चारों ओर से घेरने के लिए स्कूल में चले जायें। किन्तु जनता की समझ में यह बात नहीं आयी। हम लोगों को पीछे लौटना पड़ा। फौजी आगे बढ़ते हुए हम पर फायर करते थे, हम भी उनका उत्तर फायर ही करके देते थे, पर हमारे पास उस प्रकार की रायफलें नहीं थीं। हमको आड़ के लिये तीसरा स्थान बदलना पडा , जहां से हम भी फायर कर सकते थे हम उनका

मुकाबला करते हुए पीछे हट गये।

सेना से युद्ध •

किसी प्रकार बचते–बचमे हम श्री पारस नाथ के घर तक आये। इनके पिता जी ने हमें आर्शीवाद दिया, कुछ रुपये दिये और बराबर रुपये की मदद करने को कहा।

हम लोग वहां से चलकर बड़ागांव रह गये। सुबह फौज के और जवानों ने चारों ओर से गांव घेर लिया। गांव के लोग घर छोड़कर बाहर खेतों में आ गये। गांव पर लाइट मशीन गनों से गोली वर्षा की गयी। ताड़ीबाड़ा गांव में जब यह खबर पहुंची तब लगभग 5 हजार की उत्तेजित भीड़ मरने मारने पर आमादा हो गयी। उन्हें किसी प्रकार समझाया गया। गांव के लोगों से कहा गया कि आप लोगों की भीड़ से हम लोगों का नुकसान होगा तब कहीं यह भीड़ वापस गयी। वहां से हम लोग सीधे श्री विश्वनाथ चौबे के घर आये। यह 25 अगस्त, 1942 की घटना है। और 23 अगस्त, 1942 को बलिया में फौज आ गयी थी, तहलका मच गया। बलवाई भूमिगत हो गये।

इस मोर्चे पर अंग्रेजी शासन का सदा–सदा के लिए समाप्त करने का प्रोग्राम बनाया गया। कई उत्साही और समझदार युवकों की एक क्रान्तिकारी मंडली ने यह प्रोग्राम बनाया कि जहां से हम लोगों को अंग्रेजी फौज ने पीछे हटाया है, वहीं से हमें भी उनको भगाना चाहिए। इसी प्रयास में हम बलिया में, पारस नाथ बनारस में और विश्वनाथ चौबे गाजीपुर में संगठन करने के लिए नियुक्त किये गये। हम कटिबद्ध थे और पुलिस हम सभी के पीछे बुरी तरह से लगी हुई थी। उस समय बलिया में स्वयं नीदरसोल और मार्क्स स्मिथ मौजूद थे। उन्होंने भीषण रक्तपात किया और आतंक जमाया। उन्होंने ही शासन को 'बलिया रीकान्कर्ड' का तार भिजवाया था।

फरारी के दिन

जब हम लोग श्री विश्वनाथ चौबे के यहां से चले, कचरिया में चीतू पांडे से मुलाकात हो गयी। उनके पास 35 रुपये थे। वह सब हमको रखने के लिए दे दिये। हम लोगों ने बकसर से जवही जाने के लिए एक नाव ठीक की। मल्लाह बूढ़ा था। गंगा नदी में बाढ़, अथाह पानी, पुरवा हवा चल रही थी, ऊंची–ऊंची लहरें उठती थीं। नाव कभी इस करवट कभी उस करवट । यहां तक कि नाव डूबने की स्थिति में आ गयी। मल्लाह से श्री पारसनाथ ने पूछा– 'अब तक तुम कितनी नाव डुबा चुके हो ? मल्लाह ने बताया कि 'हमारे हाथ से अब तक आठ नाव डूब चुकी हैं। यह नवी नाव है। 'पारस नाथ ने कहा, 'इससे तुम बचोगे नहीं तुम्हें हम दसवीं नाव डुबाने के लिए नहीं छोड़ेगे।'

इतने में ही नाव में पानी आ गया। हम टटोलने लगे कहीं हमारी दियासलाई तो नहीं भीग गयी है। तुरंत बीड़ी जलाई। चीतू पांडे जी ने टोका यहीं पर बीड़ी

पीनी है ? 'हमारे बीड़ी पीने से नइया डूबती तो बीड़ी न पीते। इतने में बिजली चमकी तो किनारा भी नजदीक दिखाई पड़ा। मल्लाह पतवार पर बैठ गया। विश्वनाथ चौबे और पारसनाथ डांड खेने लगे। हम लोग किसी प्रकार किनारे पहुंचे गये। यह नहीं मालूम था कि हम लोग किस किनारे पहुंचे हैं। विश्वनाथ जी और पारसनाथ अब सीधा लाने चले, तब तक कुछ लोगों ने देखा कि नाव पर चीतू पांडे हैं, उनसे लोगों ने कहा कि यहां पुलिस आयी है। जल्दी आप लोग यहां से भागें। नाव लेकर हम लोग उस पार जाने लगे रास्ते में एक बड़ी नाव फंसी हुई दिखाई पड़ी। उस पर 25–30 आदमी नेकर और गंजी पहने हुए थे, ऐसा मालूम पड़ता था कि वे भी पुलिस के ही हैं। बड़ी नाव थी। उनकी नाव बालू पर चढ़ गयी थी। वे उसे ठेल रहे थे। हमारी नाव को वे करीब बुलाने लगे। हम लोगों ने मल्लाह से कहा कि हमारी नाव उधर न ले जाओ। हम लोगों को उस पार मल्लाह ने उतार कर अपना पैसा ले लिया। जहां हम लोग उतरे थे, तीन चार बीघा जाने पर दलदल आ गया। पारसनाथ और चौबे दूसरे रास्ते से दलदल के बाहर से चले गये। हम और चीतू पांडे दलदल में फंस गये। जान पड़ा कि जान गयी। अचानक एक डंडा मिल गया। जहां सख्त जमीन मिलती वहां डंडा रखता वहां से चीतू पांडे जी को धक्का देता। इस तरह बड़ी मुश्किल से दलदल से निकले। एक अहीर के डेरे पर पहुंचे। नस–नस टूट गयी थी। उस दिन वहीं रह गये।

मै 10 दिसम्बर, 1942 को गिरफ्तार किया गया, तब से छूटने तक मैंने अनेक पुलिस अधिकारियों की मार सही। उन्होंने मुझे अमानुषिक यातनाएं दी, तब भी मैं आज जीवित हूं। केवल यह दिन देखने के लिए ! अब बुढ़ापा है, शरीर साथ नहीं देता।

प्रश्न – क्या कुछ अधिकारियों को आपको मारने में मजा आता था ? क्या ऐसी बात है?

"जैसे बड़े स्टेशन पर गाड़ी अधिक देर रुकती है, छोटे स्टेशन पर कम समय तक, वही मेरा हाल था। अफसर खूब मारते थे, शराब पी–पीकर। कुंवर सुन्दर सिंह, उर्फ सुल्ताना थाना इन्चार्ज बैरिया थे। नायब थानेदार रशीद मुझे गिरफ्तार करके उनके पास ले गये। पांच आदमी गिरफ्तार किये गये थे। सभी को खूब मारा पीटा गया। 'सुल्ताना ने मुझे शराब के नशे में मारना शुरू किया। मेरा सदैव यही प्रयास रहा कि मारते मारते ये लोग थक जायें, थक कर चुक जायं तब मैं उन्हें डीमारलाइज करूं। सुल्ताना ने पूछा 'तुमने क्या किया, मिसिरवा साले?' मां की गाली दी। उस समय मेरी जवानी थी, 32 वर्ष की आयु थी। जोश ज्यादा, होश कम था। मैंने कहा। 'दो चार थाने लूटे, दो चार बन्दूकें छीनीं और साहब कुछ नहीं किया।" ' अब इतना किया, साला कहता है कि कुछ नहीं किया।' 'क्या किया जब आप बरकरार रह गये' यह सुनते ही वह आग बबूला हो गया और मारना शुरू किया।

"मै सुल्ताना हूं।"

सुल्ताना, बांधकर मारते हो, खोल मुझको भी, मैंने डपटा, सुल्ताना सुनते ही मुझ पर फिर फालिन हो गया। मैं तब भी जिन्दा रहा। शरीर तो अवश्य ही बोल गया था, पर आत्मबल अभी भी बनाये रखा, मूंछ पर हाथ फेरकर ताव दिया। "साला मूंछ पर नाज करता है।" उस दरोगा सुल्ताना ने मेरी मूंछ उखड़वा डाली जेसे मैद्रान से घास उखड़वा ली जाती है। उसके बाद छोटी कौम के लोगों से एक हंडिया में पेशाब करायी। दस पांच आदमी मेरे ऊपर चढ़ गये। एक ढरका (जानवरों की दवा पिलाने की बांस की कुप्पी) से पेशाब मुंह में डाली गयी। पेशाब पीनी पड़ी। फिर कुछ राह मिली। सुल्ताना शराब पीने फिर चला गया। फिर एक बजे से चाल बजे शाम तक मारता रहा। दूसरे दिन फिर नशा पानी करके आया। आते ही सीने में ठोकर मारी। मैं बंधा हुआ था। उसका पैर पकड़ने की कोशिश की पर पकड़ नहीं आया। "बन्दूकें कहां हैं, भागे हुए लोग कहां हैं, तुमने क्या-क्या किया? इसी तरह की बातें पूछता रहा और साफ उत्तर न पाकर मारता रहा।

मैंने कहा "मैं एक जमात का सिपाही हूं, तुम दूसरी जमात के हो – मैं कैसे तुम्हें कोई बात बतला सकता हूं।

1 दिसम्बर, 1942 को बलिया स्टेशन पर उतारा गया। हथकड़ी, रस्सी जेल लगाकर लाया गया। लोग मुझे पहचान नहीं पाते थे। मैंने मिश्र जी से प्रश्न किया, "कैसे आप इतनी मार सह गये। मिश्र जी ने उत्तर दिया 'आत्मबल-इसी ने हमें सहने की शक्ति दी। 'गांधी जी का यह आर्शावाद कि जो एक गाल पर एक झापड़ मारे तो उसे दूसरा गाल भी दे देना, कि भैया इस पर भी मारो। शरीर हृष्ट-पुष्ट भी था। गांधी जी तो 21-21 दिन का अनशन करके जीवित रह गये, मैं दो-चार दिन की मार से कैसे मर सकता हूं ?"

इसके अतिरिक्त भगवत् कृपा।

मजाक में पुलिसवालों को खरी-खोटी भी सुनाता था। जेल में आ जाने पर कुछ खाना भी और अच्छा मिला। जेल से 11 दिसम्बर 1942 को कोतवाली बुलाया गया। एस.पी. ने पूछताछ करने के लिए मुझे 15 दिन के लिए जेल से कोतवाली बुलाया और मार पीट का दौर शुरू हुआ। शाम कोतवाल साहब ने जादू राम सिपाही की मारफत अपने क्वार्टर पर बुलाया। दरोगा जी ने कहा कि मुझे भी गणेश शंकर विद्यार्थी के जमाने से राजनीति में बड़ी दिलचस्पी है। मुझसे पूछा कि यह बतलाओ कि क्या यह कांग्रेस का आन्दोलन है ? मैंने उत्तर दिया कि यह कांग्रेस का आन्दोलन है तभी मैं इसमें हूं। 'अफसरान तुमसे बहुत नाराज हैं।" "अफसर तो हमारे आप भी हैं क्या आप भी नाखुश हैं ? आपकी साया हम पर है तो और अफसरान को छोड़ दीजिये, हम उन्हें देख लेंगे।" ठीक है तुमने जो कुंवर सुन्दर सिंह के यहां बयान दिया है वह इतना गलत है कि वे तुम्हारी जान के पीछे लगे हैं। जाओ जहां तक कोशिश होगी, मैं तुम्हें बचाउंगा।" सलाम कहकर चला आया।

1 दिसम्बर 1942 को कोई वुड साहब एस.पी. थे, आये। 'दीवान जी, महानन्द कौन है, बुलाओ इसे।' उनके सामने हाजिर किया गया 'तुम्हारा दिमाग ...

हमार दिमाग ठीक बा। 'सब बतलायेगा, साहब।' 'बतलाओ, तुमने क्या–क्या किया।' 'हमने कुछ नहीं किया साहब।' 'पीठ पर सवार हो गया, अपने बल का पूरा परिचय दिया। फिर खड़ा हो गया।' 'मैं भी धूल झाड़ कर खड़ा हो गया।' आप श्रीमान अच्छे आदमी हैं फिर कब दर्शन देंगे।' 'ब्लाडी डेमफूल, आयेगा।' जरूर साहब।' उसके जाने के दो तीन घंटे बाद एक मुसलमान डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आये, बोले, तुम्हारा दिमाग ठीक है? 'एक दम ठीक है, हजूर।' 'बतलायेगा' ? 'सब बतलायेगा'। हम कुछ नहीं किये है पर सभी मारते थे कि यह जरूर कांग्रेसी है। उसका ख्याल था कि मैं जैसे पुलिस का कप्तान हूं वैसे ही यह वालंटेयिरों का कप्तान है। मारते थे और निराश होकर लौट जाते थे। 'फिर कब आयेगा साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं आप अकेले अंग्रेज हैं, और इतने आपके गुलाम। जरूर आयें साहब।' कोतवाल ने कहा, 'इसे उल्टा टांग दो, चूतड़ में छूरा भोंककर मिर्चा भर दो। पर मैंने कुछ उनसे कहा नहीं। एक सुधार सिंह एस.पी. थे वह आये और पूछा कि तुमने क्या–क्या किया। 'हमने कुछ नहीं किया, सरकार।' 'साले झूठ बोलते हो। तुम गड़वार गये थे। तुम हलधरपुर गये थे। चिल्लाकर कहा 'तुम उभांव गये थे। बोलते क्यों नहीं।' सरकार हम एक जमात के सिपाही हैं, कैसे आपको कोई बात बतला सकते हैं। पहले आप मेरी जमात में शामिल हो जाओ तो आपसे बातचीत की जाय।' फिर वे चले गये। एक त्रिवेनी सिंह सी.आई.डी. इन्सपेक्टर थे। सी.आई.डी. आफिस कोतवाली से लगा है। जब उनसे मेरी आखें चार होतीं तो मैं बराबर उनके आसू गिरते हुए देखता। उनको हम लोगों से बड़ी सहानुभूति थी। चौथे दिन – बैरठ साहब कलेक्टर साहब आये। पूछा, 'तुम्हारा दिमाग ठीक है,' सब बतालाओ। 'बतलाओ, डांटकर पूछा।' 'हमने कुछ काम नहीं किया है'। दोनों हाथ से मारने लगे। टांग से धक्का देकर गिरा दिया। पीठ मैंने उनकी ओर कर दिया कि वे भी मार लें, जी भरकर' पर वे भी मारते मारते थक गये खड़े हो गये। मैं भी धूल झाड़ कर खड़ा हुआ। 'सरकार कब फिर दर्शन देंगे।' ब्लाडी डैमफूल जरूर आयेगा। आप अंगरेज अफसर और इतने गुलाम इण्डियन।' जरूर आयें साहब। 15, 16, 17 दिसम्बर 1942 को गैप रहा।

18 दिसम्बर, 1942 को 11 बजे रात एक छोकरा सब इन्सपेक्टर जुबेर साहब आये – टरकिश केप, ब्रिजिज पहिने। हाथ में कोड़ा लिए हुए। सन्तरी से कहा 'मुलजिम को जगाओ।' पंडित पंडित, उठा–देखा के आइल बा, मै जगाया गया। 'नमस्कार साहब' जी क्या हुक्म है – साहब 'मुझे पहिचानते हो।' 'न सरकार' 'मै शैतान हूं।' या खुदा, गजब इन्सान के वेश में शैतान' आदमी के वेश में हैवान, या खुदा मै क्या देख रहा हूं या खुदा मेरी मदद कर या खुदा।' शट अप', वह चिल्लाया। 'आप तो बोलने ही नहीं देते।' वह फिर चिल्लाया 'शटअप'। अगर तुम सच–सच बोलेगा तो तुम्हें छुड़वा दूंगा। झूठ बोलेगा तो कबर खोदकर गड़वा दूंगा। ... यह दूसरी गजब'। 'क्या पुलिस में भी ऐसे ईमानदार आदमी होते हैं।' वह

समय देता हूं, सोच लो, नहीं तो कब्र खोदकर गड़वा दूंगा। 'अच्छा सलाम साहब' वह फिर चला गया। 'बगल ही कम उम्र के विद्यार्थी बन्द थे, उनमें भी यही बातें हुई। बच्चे रोते रहे। उन्हें मैंने बहुत समझाया कि वह तुम्हें मार नहीं पायेगा, मैं ही उसे थका दूंगा। तुम्हें मारने के लिए उसे दम ही नहीं रह जायगा। 'घबराओ नहीं। सवा बारह बजे वह फिर आया। मेरे पैर में बेड़ी थी, बेड़ी वालों को रस्सा और हथकड़ी नहीं पड़ती। मैं सोच ही रहा था कि वह सुबह ही आये 'तो अच्छा हो। आते ही उसने कहा, 'सोच लिया'। मैने कहा 'श्रीमान जी, मसला इतना लम्बा है और आपने 'केवल 15 मिनट का समय दिया।' एक घण्टा अधिक समय दे दिया है'। 'वह चिल्लाया।' जैसी मरजी फिर। सिपाही से कहा कि इसका कुरता निकलवाओ। गंजी निकलवायी। हथकड़ी रस्सा लगाकर अपने क्वार्टर ले गया। साथ में दो सिपाही थे। दोनों सिपाही चारपाई पर बैठ गयें दारोगा जी अपनी कुर्सी पर बैठे। उनके आगे एक टेबिल थी।

'हुजूर मैं कहां बैठूं।'

'यहीं बैठो।'

मै भी वहीं उनकी तरफ पीठ करके बैठ गया – उनका मुंह पश्चिम की ओर था, मैं भी पश्चिम की ओर मुंह करके बैठ गया। दारोगा जी ने कहा, 'बताओ'। मैंने तिरछी आंख करके उनकी ओर देखा और कहा, क्या हुजूर। 'मादर चोद', तिरछा देखता है। कोड़ा लेकर 50–60 कोड़े मारे, ज्यों ही थककर बैठने लगे, मैंने उनका गट्टा पकड़ लिया और कहा, 'अभी तो इसमें ताकत है, हूजूर।'

उठकर 40–50 कोड़े फिर लगाये–थक गये –हाथी के समाने हांफने लगे–जैसे ही बैठे –'मैने उनका वही गट्टा फिर पकड़ा कि आप काफी थक गये हैं। मैं भी थक गया हूं। बदन पूरा छिल गया था। दिसम्बर का वह महीना मेरे बदन से जो पसीना निकलता वह घाव पर नमक के समान लगता था। खैर, मैं भगवान की कृपा से अपने को संभालकर रखता था।

'क्या हुजूर बस?'

'अब मै भी थक गया हूं , प्यास लगी है।'

'आप यहां का पानी पियेंगे', मै मुसलमान हूं?

'जब आप लोग जबरदस्ती पेशाब पिला सकते हैं तो , मुझे खुशी से पानी पीने में क्या एतराज हो सकता है।' एक हिन्दू सिपाही था, उसने कहा कि पंडित जी पानी लाऊं।' मैने कहा कि आज दारोगा जी का मेहमान हूं। कल तुम्हारा मेहमान हो सकता हूं–कल तुम ही लाना। सिपाही को हुक्म दिया कि बड़ी वाली प्लेट में 10–12 मिठाई ले आया। मैं सभी खा गया। बड़ी मेहरबानी साहब, यदि आप एक चुरुट भी पिला दें। 'सिगरेट पीते हैं', जी हां, पी लेता हूं। जब तक आप सिगरेट पी रहे हैं मै भी रेस्ट ले लूं साहब।

'देखने से आप अच्छे खानदान के लगते हैं, पुलिस की नौकरी और खानदानी आदमी आप।'

हमारा नुतफे की ओर इशारा हुआ कि आप दोगला हैं या असल।

उसने कहा मैंने पचासों कांग्रेसियों को मारा है, पंडित, किन्तु आप जैसा आदमी नहीं मिला! आप लौह पुरुष हैं।'

'कान पकड़ता हूं अब किसी को नहीं मारुंगा।

मैंने कहा, 'ऐसा न कहें, साहब' अभी आपको उन दोनों बच्चों को भी मारना है। जाकर आप उनसे कह दीजिये कि अब मैं नहीं मारुंगा। जो खुद ही पीटा जाता है, उसके कहने का क्या तुक है। आप ही कहें, 'अच्छा मैं चलता हूं, कहने।'

'शुक्रिया, शुक्रिया, साहब। उन्होंने कहा, पंडित जी आप गोश्त खाते हैं?

हां, खाता हूं।

खानसामा को बुलाकर कहा कि पंडित जी को रोज एक प्लेट गोश्त रोटी, एक कैंची सिगरेट और एक माचिस दे आया करो, यदि कोई पूछे तो कह देना जुबेर साहब ने दिया है। इसके बाद पिटाई का काम समाप्त हो गया !

बस्ती, गोंडा और फैजाबाद जेल

सामान्यतया अच्छा ही रहा, बीमार पड़ गया था – बी क्लास वालों से मुझे अच्छी खुराक मिल जाती थी। घी दूध सभी कुछ खाने को मिलता था, पर बीमारी छूट नहीं रही थी। एक दिन तो मालूम पड़ा कि अब प्राणान्त हो जायगा। मुंह से इतना खून गिर गया था कि बदन पीला पड़ गया था, पेट में पीलाई , खुजली, चलने फिरने की ताकत नहीं रही।

अब तक मैं जेल में बी क्लास वालों से प्राप्त इतना भोजन इसलिए करता था कि जिसने मूंछ निकाली थी, पेशाब पिलायी थी, उससे एकबार मिल सकूं। पर अब लगा कि उससे मिलना न हो पायेगा। अतः अपने एक मित्र नागेश्वर चौबे को बनारस सेन्ट्रल जेल में पत्र लिखा कि प्रतिहिंसा, प्रतिकार की भावना लिये मैं इस दुनिया से जा रहा हूं अगर उससे (जिसने मेरी मूंछ उखड़वायी थी) बदला न लिया गया तो मरी आत्मा को शान्ति न मिलेगी। आप मेरे सभी मित्रों को जानते हैं। मेरा सन्देश सभी को यथोचित सूचित कर दें।

दोष व्यवस्था का

अब मित्रों के पत्र आने लगे सभी पत्रों में मेरी प्रशंसा तो अवश्य की गयी पर मुझे समझाया भी अधिक गया था कि यह सब दोष व्यक्ति का नहीं व्यवस्था का है। कल का दानव आज मानव हो सकता है प्रतिहिंसा नहीं, प्रतिक्षमा चाहिए। किन्तु इसी बीच ऐसे भी पत्र आये कि जेल से छूटने पर मैं सर्वप्रथम उस 'सुलताना' से मिलकर आपकी मृतक आत्मा को शान्ति प्रदान करूंगा तब अन्यत्र कहीं जाऊंगा। पर इससे मुझे संतोष नहीं हुआ, क्योंकि सभी की सजाएं 20–25 वर्ष तक की थीं। विश्वनाथ चौबे की भी चिट्ठी आयी कि जेल से छूटकर पहले यही काम करुंगा। और आपकी मृतक आत्मा को संतोष प्रदान करूंगा, पर उनकी भी लम्बी सजा थी। इसी बीच पारसनाथ मिश्र का पत्र आया और वे जल्द ही छूटने वाले थे। उनका पत्र ... था।

'जेल से छूटने के बाद सर्व प्रथम मेरा काम होगा, आस्तित्व को लात मार कर, परिवार को लात मार कर आपकी मृतक आत्मा को शान्ति प्रदान करूं, मैं नहीं चाहता कि आप मरें, क्योंकि जब गुरू की आवश्यकता हुई तो उसे आपमें पाकर बांध दिया, पिता की आवश्यकता हुई, उसे आप में पाकर बांध दिया, और जब सखा की आवश्यकता हुई तो उसे भी आप में बांध दिया। अपका काम मैं ले लेता हूं।" उस दिन मुझे ऐसा बोध हो गया कि अब मेरा बोझ हल्का हो गया है।'

अब तक जेल के लोग मेरा खून लेकर बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में टेस्ट के लिए भेजते रहे हैं तो वे कुछ निश्चित नहीं कर पाये थे। पांचवीं बार वहां से जांच होकर आया कि मुझे कालाजार है। पारस की चिट्ठी और यह जांच रिपोर्ट दोनों एक ही दिन आयी। कालाजार की सुई लगने लगी। बुखार कम होने लगा। खुजली भी ठीक होने लगी। तब पानी भी दूध की तरह लगने लगा। मैंने सिविल सर्जन से कहा कि मुझे बैरक में भेज दें। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि अस्पताल में वे मुझे पूरा खाना देते रहेंगे, दूध देते रहेंगे पर मैं बैरक में आ गया। एक दिन की बात है कि ईश्वर तिवारी मुझसे गोण्डा जेल में गेट पर मिलने आये। मै गेट पर आया , आंख से उन्हें देख नहीं पाया और वे भी मुझे नहीं पहचान पाये, क्योंकि मैं इतना दुर्बल हो गया था कि कोई मुझे पहचान नहीं पाता था उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा कि महानन्द मिश्र कौन है मै उनके लिए खुशखबरी ले आया हूं।

मैंने कहा कि मैं ही महानन्द मिश्र हूं, वह मुझे देखकर रोने लगे, पर कुछ बोले नहीं कुछ देर बाद बताया कि सुल्ताना दरोगा मर गया। उसके सिर में कीड़े पड़ गये थे। औरत इसकी भाग गयी, वह मर गया।

सुनते ही मेरा दिमाग आपे से बाहर हो गया। मैंने साथियों से कहा कि अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। उस दिन रात को सोया तो सुबह उठा ही नहीं गया। खून गिरने से नसें सिकुड़ गयी थी। स्ट्रेक्चर पर फिर मुझे अस्पताल लाया गया। खड़ा हुआ नहीं जाता था। आठ महीने फिर अस्पताल में रहा। मेरे खत अस्पताल में बराबर आते रहे। सभी तिकड़में जो जेल में सामान्यतया की जाती हैं मैं भी करता रहा। जेलर ने घबड़ाकर मुझे फैजाबाद जेल में ट्रान्सफर कर दिया। मेरे टिकट पर उसने 'डेन्जरस' लिख दिया था। फैजाबाद जेल में पहुंचते ही हबीब साहब सुपरिनटेन्डेन्ट थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि 'तुम बतलाओ इस पर 'डेन्जरस' क्यों लिखा है?'

मैंने कहा कि मै पूर्वी जिले का हूं, तुम कहने पर हम लोग गाली मानते हैं।

उसने कहा कि फिर हम तुम्हें आप कहें ?

नहीं, नहीं मैं भी तुम कहूं इसकी इजाजत दे दें। तब मैंने भी उसे तुम कहकर संबोधित किया कि जिसने लिखा है उससे पूछो तुम !

बस उसने मुझे तनहाई में भिजवा दिया। वहा भी मैने सभी तिकड़म करके वार्डन को मिला लिया और सभी सुविधाएं मुझे मिलने लगीं।

बैरक में भेजा गया, जहां भी सभी सुविधाएं मुझे मिलने लगीं। वहां एक दिन

ब्रजेन्द्र शुक्ल और विश्वनाथ चौबे मेरे पैरों की मालिश कर रहे थे कि बाबा राघवदास मुझे देखने आये। उन्होंने पूछा कि "यह क्या करते हैं। विश्वनाथ चौबे ने जोर से जवाब दिया कि ये आदमी बनाते हैं। तब से बाबा राघवदास भी बराबर आने लगे और मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उचित परामर्श देते रहे। मेरे इन मित्रों ने मेरी बड़ी सेवा की और मुझे खड़ा कर दिया! मैं फिर चलने फिरने लायक हो गया।

वहां से मैं 11 मई 1946 को रिहा हुआ और बलिया गया, जहां जिन्दा बचे हुए बिछुड़े साथियों से भेंट हुई।

गोआ-सत्याग्रह

2 या 3 अगस्त, 1955 को बलिया स्टेशन पर श्री जगन्नाथ सिंह एम0एल0ए0 से एकाएक मुलाकात हो गयी। उस समय तक मैंने सुन रखा था कि गोआ में सत्याग्रह आन्दोलन होने वाला है । मैने श्री जगन्नाथ सिंह से कहा 'आपने सन् 1911 में राजनीति शुरू की और मेरी 1911 में पैदाइश हुई। अब आप भोग करें, और मुझे तो गोआ बुला रहा है।

श्री जगन्नाथ सिंह ने उत्तर दिया कि चाहे जो कुछ हो, चाहे कांग्रेस मेरे विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करे, मैं भी गोआ चलूंगा। अतः हम लोग ठीक 10 अगस्त 1955 को 18 आदमियों के साथ बलिया से गोआ के लिए रवाना हो गये। हम लगभग 12 अगस्त तक पूना पहुंच गये। वहां हम लोगों को छः-छः रोटी की पुड़िया मिला। बेलगांव के लिए रवाना हो गये। ट्रकें बन्द कर दी गयी थी, बसों से हम लोगों को भेजा गया। नदी पारकर हम लोग 15 अगस्त 1955 को गोआ पहुंचे गये और जीवन का वह अध्याय भी अब पूरा हो गया है।

प्रश्न – "इस सरकार से आपको क्या सहायता मिली।"

उत्तर – "सरकार तो मेरे लिए (निचमदकमक–है) बरखास्त है मेरे लिए यहां की कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास कर शासन को लिखा था कि मुझे बराबर 100 रुपया पेन्शन दी जाय, पर मुझे 65 रुपये ही मिलते हैं और सन्तोष है कि सरकारी पैसा मुझ पर कम खर्च हो रहा है। बल्कि मैं ही प्रतिवर्ष सरकार को कुछ रुपया अधिक ही दे रहा हूं। मुझे तराई में 15 एकड़ भूमि एलाट हुई है, पर केवल 14 एकड़ पर ही कब्जा कर पाया हूं। प्रतिवर्ष पूरे पन्द्रह एकड़ का देता हूं। इसलिए और भी संतोष है।

प्रश्न – 'क्या आपने सरकारी अधिकारियों से इसके लिए नहीं कहा ?

उत्तर– 'राज्यपाल से लेकर तहसीलदार तक सभी मंत्रियों – गेंदा सिंह जैसे अपने साथियों से भी कह चुका हूं पर भूमि पर कब्जा नहीं मिला।'

श्री महानन्द मिश्र जी ने अपने विनोदी स्वभाव का परिचय देते हुए कहा 'यह सरकार अब मेरे लिए बरखास्त हो गयी है।'

एक लोमहर्षक संस्मरण

उस रात महानन्द मिश्र गरीबा राय का टोला ग्राम के अनगराहित राय के अतिथि थे। उन्होंने अपने आगमन की तिथि की पूर्व सूचना आतिथेय को नहीं दी थी। देने में अमंगल की आशंका थी, इसीलिए नहीं दी थी।

झोपड़ी में बिछे पुआल पर अच्छी नींद आ रही थी। खादी की दो सूती चादर के नीचे आतिथेय की दया से एक कम्बल भी आ गया था। कम्बल देते समय राय ने कहा था "जाते समय इसे साथ लेते जाना। चादर से जाड़ा नहीं कटेगा।"

"ठीक है।" महानंद ने हामी भर ली थी।

गंगा नदी का रेतीला तट। हवा चलती है तो रोम-रोम कांप उठता है। पास ही बतुआरा गांव है। बैरिया थाने को लूटने-फूंकने वालों में अधिकतर इसी गांव के लोग थे। बाबा भूमिदेव जी, सुदर्शन सिंह तथा देवराज मिश्र आदि के नेतृत्व में यहां जितना कुछ किया गया था उतना अन्यत्र नहीं हो सका था। सैकड़ों लोग हताहत हुये थे। थाने पर झण्डा फहराते समय कौशलकुमार नामक जिस युवक को गोली मारी गयी थी उसका विवाह हुये अभी केवल दो वर्ष हुए थे।

पूस की रात। कोने में सोया राय का कुत्ता गुर्राया। महानन्द की नीद टूट गयी। इन दिनों ऐसे मौकों पर महानन्द जैसे लोगों की नींद शीघ्र ही टूट जाती थी। लेकिन खतरे की बात न थी। झोपड़ी में स्वयं आतिथेय ही पधारे थे। कुत्ता स्वामी को पहचान कर शान्त हो गया।

राय ने महानंद से कहा,"नाले के पार वाले टोले में गाना हो रहा है। लोगों ने छपरा के एक बड़े गवैये को बुलाया है। मैं पहले भी उसका गाना सुन चुका हूं। सच कहता हूं, महानन्द, वह गवैया कोयल का कण्ठ ले कर धरती पर आया है। भाग-दौड़ तो चलती ही रहेगी। चलो आज गाने का आनन्द लिया जाय।"

"अब लौं नसानी अब ना नसैहों....।"

सचमुच गाने का आयोजन है। गीत के स्वर उस झोपड़ी तक आ रहे थे। राय ढोलक बजाते हैं। इधर के दस पांच गांवों में उनके जैसा ढोलक बजाने वाला कोई नहीं है। वे गाना सुनने अवश्य जायेंगे, अकेले नहीं महानन्द को भी साथ ले जायेंगे।

"मुझे मत ले जाओ, राय। गाना-वाना मुझे अच्छा नहीं लगता। महानन्द ने अन्यमनस्कता व्यक्त की"

"तुम भी निरे पंडित ही रहे अभी तक।" राय ने हंसते हुये कहा, "उठो। गाना सुनने से जी बहल जायगा। क्या देश का काम करने वाले गाना नहीं सुनते।"

आतिथेय बिना ले गये नहीं मानेंगे, अतिथि ने यह साफ–साफ समझ लिया। दोनो चल पड़े। रास्ते में एक नाला पड़ता है। कभी यहां गंगा की मुख्य धारा थी। लेकिन अब वह यहां से दो–तीन मील दूर चली गयी है। नाले में पैर डालते ही शरीर में सिहरन दौड़ गयी। पानी हिजड़ों के खून जैसा ठण्डा था। नाला पार कर वे दोनों उस झोपड़ी मं पहुंचे जहां गवैया पाप–कर्म में अब कभी लिप्त न होने की स्वर ताल मयी अपनी प्रतिज्ञा को बार–बार दुहरा रहा था। "बा लौ नसानी अब ना नसैंहों।" महानन्द को देखते ही उसका मुखमण्डल प्रदीप्त हो उठा।

बीस रुपये कम नहीं होते। थानेदार कल उसे इतने रुपये दे देगा। एक रात में इतनी कमाई ! उन दिनों एक रुपये में चार–पांच सेर चावल मिलता था।

गाना खत्म हुआ गवैया दूसरे गीत के लिए आलाप लेने लगा। प्रचलित नियमों के अनुसार उसे पांच–सात मिनट विश्राम करना चाहिये था ; श्रोताओं से कुछ देर तक गप–शप करनी चाहिये थी। लेकिन आज उसे इस पुरातन परम्परा को ताक पर रख कर कानून की मदद करनी होगी, जिसके सुदूर विस्तृत साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, उसके कानून की मदद करनी होगी। न करने से केवल यही नहीं होगा कि उसे बीस रुपयों से वंचित हो जाना पड़ेगा बल्कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। संगीत और साहित्य से ब्रिटिश साम्राज्य को आतंकित नहीं किया जा सकता। उसे वही करना होगा जो उसे करने के लिए कहा गया था। और वही उसने किया भी। "आओ–आओ भारतवासी ......।" स्वर–लहरी पूस के कृष्ण पक्ष की रात में लहरा उठी। ये संगीत के स्वर न होकर संकेत के स्वर थे जिन्हें सुनकर भारतवासी सचमुच ही वहां आ गये।

पुलिस की वर्दी पहने और हाथों में रायफल–रिवाल्वर लिये जो लोग वहां आ धमके वे भारतवासी ही थे। उनमें सात सागर पार का कोई नहीं था। थानेदार से लेकर सिपाही तक सभी इसी देश के निवासी थे। इसी देश में उनका जन्म हुआ था।

महानन्द को गिरफ्तार कर लिया गया।

"हथकड़ी डाल दो।" थानेदार ने कहा।

थानेदार अपने आप को सुलताना कहा करता था। नाम उसका कुंवर सुन्दर सिंह था लेकिन उसे सुलताना नाम ही अधिक पसन्द था।

महानन्द के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गयीं। जिस आदमी को 'टेरर' समझा जाता था उसे खुला कैसे छोड़ा जा सकता है। पता नहीं, कब क्या कर बैठे।

अनगराहित ठाकुर की आंखों में खून उतर आया।

अतिथि की यह दुर्दशा ! वह झोपड़ी के कोने में पड़ी अपनी लाठी की ओर बढ़े। लेकिन इसके पहले कि उनकी लाठी उनके हाथ में पड़े एक सिपाही की लाठी

उनकी कमर पर पड़ गयी। आंखों में खून और हाथों में लाठी आ जाने से ही इस प्रबल प्रतापी साम्राज्य के भारतीय रक्षकों का सामना नहीं किया जा सकता।

महानन्द अनगराहित ठाकुर के पिता की ओर देख रहे थे। वह भी उनकी ओर देख रहे थे। पर इस दृष्टि–विनियम के क्षणों में महानन्द ने अपने आप को दोषी नहीं माना किन्तु अनगराहित राय के वृद्ध पिता उन्हें निर्दोष नहीं समझ सके।

इस पंडित ने न जाने कहां से आकर उनके कुल में दाग लगा दिया। दाग ही तो है यह। दो–चार पीढियों से इस परिवार को राज–भक्ति का जो प्रमाण-पत्र मिलता रहा है आज वह सर्वथा अर्थहीन हो गया। थाने के सिपाही–चौकीदार अब उनको सलाम नहीं करेंगे। सब कुछ नष्ट कर दिया इस ब्राम्हण ने। उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे।

"देख रहे हैं राय साहब अपने लड़के की करतूत ! अपने घर उस आदमी को टिका रखा है जिसके सर के लिए तीन सौ रुपयों का इनाम बोला गया है।" थानेदार ने कहा, "इसकी कारगुजारियों से कलक्टर–कप्तान ही नहीं, लाट साहब भी वाकिफ हो चुके हैं। इसको तथा इसे पनाह देने वाले, दोनों को गोली मारी जा सकती है।

इतना कहने के बाद थानेदार कुछ देर के लिए रुका। उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो वह किसी गम्भीर चिन्तन में निमग्न हो गया हो। वृद्ध सज्जन अनुभवी व्यक्ति थे। उन्हें लगा कि थानेदार की चिन्तन–प्रक्रिया और उनके पुत्र के बीच कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य है और उनका यह अनुमान गलत नहीं निकला।

थानेदार उन्हें झोंपड़ी से बाहर ले गया और पन्द्रह–बीस मिनट में ही त्राण का मार्ग निकल आया। लेकिन इसके लिए वृद्ध राय साहब को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन दिनों ढाई सौ रुपयों की कीमत कम नहीं थी। इतने में पचीस मन चावल खरीदा जा सकता था।

अब थाने के किसी भी रजिस्टर में अनगराहित ठाकुर का नाम नहीं आयेगा। नाम आयेगा केवल महानन्द का। वापसी पर थानेदार अपनी डायरी में लिखेगा, "आज की रात मुखबिर से यह इत्तिला पा कर कि शातिर फरार मुजरिम महानन्द रानीगंज के पास एक मन्दिर में कुछ फरार कांग्रेसियों और इलाके के चोर–डाकुओं के साथ मिल कर सुरेमनपुर और बकुलहा रेलवे के बीच रेल की पटरियां उखाड़ने की साजिश रच रहा है, मुझे सब इन्सपेक्टर ने सिपाही हीरालाल यादव, रामपाल सिंह, उमाशंकर सिंह, मजीद खान, सलीम अहमद और जयगोविन्द पाठक के साथ मन्दिर को घेर लिया। आधे घण्टे की कशमकश के बाद महानन्द को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी मुजरिम रात के अंधेरे में गुम हो गये।"

गरीबा राय के टोले से लौटते ही थानेदार अपने क्वार्टर में गया। उसके क्वार्टर में कई प्रकार के डण्डे रखे हुए थे। उनमें एक बेर का डण्डा भी था। यह डण्डा पतला है लेकिन इसमें कांटे हैं। इसे देखते ही लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। इससे आतंकित हो कर कई निरपराध व्यक्तियों ने भी अपने आप को

अपराधी माना है; जाब्ता फौजदारी की धारा एक सौ चौसठ के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के सामने कलमबन्द बयान देते समय भी माना है। स्पेशल मजिस्ट्रेट मोहनलाल की अदालत में जितने लोगों को सजायें सुनाई गयी है उनमें से कई लोग ऐसे ही हैं। लेकिन महानन्द जो भी कुछ कहेंगे अपने मन से ही कहेंगे। बेर का डण्डा उन्हें आतंकित नहीं कर पायेगा।

अब एक दूसरे दृश्य का प्रारम्भ हुआ। बहुत दिनों से चल रहा है यह खेल। यूनान की दास प्रथा से लेकर आयरलैण्ड के स्वतंत्रता–संग्राम तक यह खेल अबाध गति से चलता रहा है। आज भी इस खेल में कहीं कोई व्यवधान नहीं आया है।

"क्यों बे महानन्द के बच्चे , क्या हाल–चाल है।" थानेदार कुंवर सन्दर सिंह उर्फ सुलताना ने महानन्द से पूछा।

"ठीक है, बिल्कुल ठीक है।" महानन्द ने कहा।

न रोना, न गिड़गिड़ाना, न मुक्ति की याचना, न रिश्वत की बात। थानेदार को यह सब आश्चर्यजनक और अटपटा ही नहीं, अपमानजनक भी लगा। जो लोग उसके सामने आकर संज्ञाशून्य हो जाते थे, क्या उनमें से नहीं यह आदमी ?

नहीं है तो होना पड़ेगा। न होने से कैसे काम चलेगा। थाने के कर्मचारी ही नहीं, पास–पड़ोस के लोग भी यह कहने लगेंगे कि एक विपन्न ब्राम्हण ने सुलताना नामधारी थानेदार की शक्ति को चुनौती दे दी। क्या उसके लिए डूब मरने की बात नहीं होगी ?

अब महानन्द की पीठ पर डण्डे का आघात; किन्तु उसके मुंह से उफ या आह जैसा कोई शब्द नहीं।

थानेदार का डण्डा उनकी पीठ पर पंद्रह बार पड़ा। फिर उनसे पूछा गया, "राम अनन्त पाण्डे कहां है?"

उन दिनों राम अनंत पाण्डे कलकत्ते में थे, यह बात सागर को मालूम थी।

"वे तो बम्बई चले गये।" महानन्द ने कहा।

इसके बाद उनकी पीठ पर एक और डण्डा पड़ा।

"साला! पाण्डे कलकत्ते में है और तू उसे बम्बई में बता रहा है। चित्तू पाण्डे को कहेगा, कि वे मद्रास में हैं।" थानेदार ने कहा।

"जो आदमी लाहौर में है उसे मद्रास में क्यों कहूंगा। क्या तू पागल तो नहीं है!" महानन्द ने मुस्कराते हुये कहा।

तीन डण्डे और।

"मजाक कर रहा है, साला! पाण्डे दस दिनों से जेल में है और तू लाहौर में बता रहा है।"

"क्या तू हमारा साला है जो तुझसे मजाक करूंगा !" महानन्द ने कहा और थानेदार उबल पड़ा। इतनी हिम्मत।

उसने एक सिपाही से कहा, "खड़ा–खड़ा देखात क्या है ! दूसरा डण्डा

लाओ। डण्डा बेर का होना चाहिए।"

बेर का डण्डा लन्दन के डॉउनिंग स्ट्रीट में नहीं, बैरिया के थानेदार के क्वार्टर में था।

बेर का डण्डा आते ही थानेदार अपनी विजय के प्रति अश्वस्त हो गया। चोरी-डकैती का माल कहां छिपाया गया है, किसके हाथ बेंचा गया है, शराब की नाजायज भट्टी कहां है, जुआघर कहां है, इस प्रकार की सारी बातें उसने इस बेर के डण्डे के बल पर ही मालूम की हैं। महानन्द को भी रामअनन्त पाण्डे का पता बताना पड़ेगा।

लगातार तीन डण्डे सागर की पीठ पर पड़े। कुछ कांटे पीठ में धंस गये और कुछ रीढ़ की हड्डी से टकरा कर फर्श पर आ गिरे।

"अब बोल।" थानेदार ने कहा।

"अब मैं जबान बन्द कर रहा हूं। तुम मुझसे कुछ भी उगलवा न सकोगे।" महानन्द ने सचमुच ही मौन धारण कर लिया।

लेकिन थानेदार के पास मौन-भंग करने के और भी साधन हैं।

"पंचों को बुलाओ।" उसने एक सिपाही से कहा।

क्या अब कोई पंचायत होगी। महानन्द को आश्चर्य हुआ।

किन्तु जब पंच लोग अपने हाथों में मिट्टी का एक-एक कुल्हड़ लिए थानेदार के सामने खड़े हो गये तब उन्होंने समझ लिया कि ये लोग और जो भी हों, पंच परमेश्वर नहीं हैं।

"सब आ गये ?" थानेदार ने पूछा।

"हां, सरकार। डोम, चमार, दुसाध, मुसहर और भंगी- पांचों जाति के लोग हाजिर है।" एक सिपाही ने बताया।

"कुल्हड़ भरो...... नहीं-नहीं यहीं इस महानन्द के बच्चे के सामने ही भरो।" थानेदार ने हुक्म दिया और पंचों ने महानन्द के सामने ही अपने-अपने मूत्र से मृत्तिका-पात्र भर दिये।

"अब पंडित जी को पंचामृत पान कराओ।" थानेदार ने कुटिल मुस्कराहट के साथ कहा।

पंच लोग महानन्द पर पिल पड़े। कुछ मूत्र मुंह में गया, कुछ शरीर पर गिरा और अधिकांश फर्श पर बह गया।

थर्ड डिग्री का अदभुत् रूप।

इसका आविष्कार या अनुसन्धान किसी अंग्रेज ने नहीं, यहीं, इसी देश में जन्म-ग्रहण करने वाले कुंवर सुन्दर सिंह नामक व्यक्ति ने किया था। शरीर को इसमें कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन मन न जान कैसे -कैसे हो जाता है। रोम, मिस्र, और यूनान के दासों के युग में थर्ड डिग्री के इस प्रारूप का प्रचलन था या नहीं, इतिहासकार इसके विषय में कुछ नहीं बोलते।

"और खेल देखना चाहते हो या ....?

थानेदार की बात बीच में ही काट्कर महानन्द ने कहा, "तू मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकता।"

"क्या बकते हो पन्डत ! क्या तुम्हारे बाल-बच्चे नहीं हैं ? किस बूते पर तुमने फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ी ? देख तो रहे रहो कि तुम पर क्या गुजर रही है। जिद छोड़ो और राम अनन्त पाण्डे और दूसरे फरार नेताओं के पते बता दो।" थाने के हेडमुहर्रिर ने कहा।

वह अपने प्रवचन की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्हें गौर से देखता रहा। पर महानन्द का चेहरा उसे नितान्त भावशून्य दिखायी पड़ा—पत्थर की तरह सपाट।

उसने एक रद्दा और लगाया, "खुदा कसम कहता हूं , पन्डत, इस हालत में तुम्हें देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है।"

"लात का भूत, दीवान जी। बात से कैसे मानेगा।"

हेडमुहर्रिर ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने कहा," आप मुझे एक मौका और दीजिये, हुजूर। देखूं क्या करा पाता हूं।"

"तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वक्त खराब करने से क्या फायदा।" महानन्द ने कहा।

"अब कहिये, दीवान जी।" थानेदार ने व्यंगात्मक स्वरों में कहा।

हेडमुहर्रिर ने कहा, "ठीक कहते हैं, हुजूर। लगता है कि इसकी दाढ़ी बनानी ही पड़ेगी।"

पंचों को फिर बुलाया गया। जिन लोगों ने महानन्द को पंचामृत-पान कराया था वे अब उनकी दाढ़ी पर उस्तरा फेरेंगे। लेकिन इनमें से किसी के पास उस्तरा न था।

महानन्द कुछ समझ नहीं पा रहे थे। क्या यह क्षौर कर्म पांच आदमियों द्वारा सम्पन्न होगा ? क्या एक आदमी की दाढ़ी बनाने में पांच आदमियों की जरूरत पडती है ? उन्हें क्या पता कि इस थाने में जिस विधि से कुछ लोगों की दाढ़ी बनायी जा रही है उसमें कभी-कभी पांच से अधिक आदमियों की जरूरत पड़ जाती है।

पंचों में से दो उनके पैरों पर बैठ गये और एक उनके सीने पर सवार हो गया। अब महानन्द सर्वथा निश्चल हो जायेंगे; हिल-डुल नहीं सकेंगे। वे भीम नहीं है जिनमें दस हजार हाथियों का बल हो।

शेष दो पंच हाथों से ही महानन्द की मूछों के बाल उखाड़ने लगे।

"उफ!" चार-पांच मिनट के बाद महानन्द के मुंह से निकला।

"क्या हाल-चाल है पंडित के बच्चे ?" थानेदार ने व्यंगात्मक स्वरों से पूछा।

"मुझसे तुम कुछ भी नहीं उगलवा सकोगे।" महानन्द बहुत कठिनाई से अपनी बात पूरी कर सके। थानेदार ने पंचों को आग्नेय दृष्टि से घूरते हुये कहा, "कैसे उखाड़ते हो बाल! अभी तक खून का एक भी कतरा नज़र नहीं आया।"

थानेदार के आदेश–पालन में कुछ भी कोर–कसर होगी तो पंचों की खैर नहीं। काम मुस्तैदी से होने लगा। थानेदार खून देखना चाहता है। मिदनापुर, सतारा, छपरा, मुंगेर और गाजीपुर आदि में जो खून बह चुका है उसे उसने नहीं देखा है। वह यहां इस थाने में खून देखना चाहता है। जिस दिन बाबा भूमिदेव जी, सुदर्शन सिंह आदि के नेतृत्व में थाने पर आक्रमण किया गया था उस दिन बहुत खून बहा था। गंगा की बाढ़ के पानी में उस दिन मनुष्य का कितना रक्त घुल–मिल गया था, इसका हिसाब किसी के पास नहीं है। थानेदार ने भी यह सब नहीं देखा था। उन दिनों वह किसी दूसरे जिले मे तैनात था। लेकिन आजकल वह रोज खून देखता है। खून देख कर अट्टहास करता है। अनजान–अपरिचित निहत्थे जर्जर–काय लोगों के खून में पता नहीं ऐसा कौन सा मादक द्रव्य है जो उसे पागल बना देता है।

और अब खून निकल रहा है। जिसका खून निकल रहा है वह निःस्पन्द पड़ा है। शरीर में कहीं कोई हरकत नहीं। सर्वथा संज्ञाशून्य ! पता नहीं नाड़ी का क्या हाल है।

"अरे, देखो तो। मर तो नहीं गया?" हेडमुहर्रिर ने पूंचों से कहा।

"मर गया?" उन्मदग्रस्त थानेदार को अब होश आया।

अगर महानन्द मर गये तो पुलिस कप्तान उड स्वयं थानेदार को मार डालेगा। महानन्द का जो भी हश्र होगा, पुलिस कप्तान के ही हाथों होगा।

थानेदार ने महानन्द की नाड़ी देखी। नाड़ी चल रही थी। उसने महानन्द के सिर पर पानी के छींटे मारे।

जब महानन्द को होश आया तब सूरज ढल रहा था और हवा उत्तरोत्तर सर्द होती जा रही थी।

"अब इसको हवालात में डाल दो। .... और देखो, इसे दो कम्बल देना।" थानेदार ने एक सिपाही से कहा।

वह महानन्द को मरने नहीं देगा। अगर महानन्द मर गया तो पुलिस कप्तान उसकी पीठ पर कोड़े कैसे बरसायेगा ! कप्तान डण्डे नहीं रखता। घुड़सवारी के शौकीन उस अफसर के पास कोड़े रहते हैं। जब महानन्द बलिया पहुंचेगा तब वह महानन्द की खाल इन कोड़ों से ही उधेड़गा। बीच–बीच में कहता जाएगा, "बोलो, बोलो। फरार कांग्रेसी लोग कहां छिपा है। नहीं बोलेगा तो हम तुम्हें अभी शूट करेगा।"

और दूसरे दिन महानन्द को जेल भेज दिया गया।

• कुंवर बहादुर सिंह

महानन्द मिश्र, एक अलमस्त फकीर



चन्द्रशेखर

1945 का वर्ष मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने सार्वजनिक भाषण दिया था। अवसर था जब श्री परशुराम जी जेल से छूटकर आये थे। उन्हें 1942 के आन्दोलन में आजीवन कारीवास की सजा हुई थी। उनके स्वागत का समारोह रखा गया था। छात्रों की और से मुझे बोलने के लिए कहा गया, क्योंकि उस समय छात्र नेता श्री गौरी शंकर राय उपस्थित नहीं थे। यों स्कूल, कालेज में बोलने की कोई हिचक नहीं थी पर सार्वजनिक सभा में पहली बार बोलने का अवसर आया, मैंने क्रान्तिकारियों की प्रशंसा में भाषण दे डाला, लोगों को भाषण अच्छा लगा। लेकिन उस भाषण को सबसे अधिक किसी ने सराहा तो वे थे पं. महानन्द मिश्र जी। 1942 के आन्दोलन में एक अत्यन्त निडर, तेजस्वी और साहसी व्यक्तित्व के रूप में वे सारे जिले में चर्चा का विषय थे। उन्होंने मेरे भाषण की सराहना औरों से भी की, बाद में मुझे यह मालूम हुआ कि महानन्द मिश्र जी भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय भविष्यवाणी कर दी किह यह लड़का आगे चलकर नेता, प्रभावशाली नेता बनेगा, इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। यह बात उन्होंने उस समय के कई नेताओं से कही। श्री पारसनाथ मिश्र, श्री विश्वनाथ चौबे उनके अत्यन्त निकट थे, उन लोगों ने भी इस बात की चर्चा मुझसे की। महानन्द जी के व्यक्तित्व में एक अजीब आकर्षण था। उनके बारे में तरह–तरह की साहसपूर्ण कहानियां मैंने सुन रखी थीं। शायद इस घटना ने मुझे उनके और निकट ला दिया । यों तो सतीशचन्द कालेज में पढ़ते समय उनका घर विद्यार्थियों का एक राजनीतिक अड्डा था जहां पर राजनीतिक चर्चा निरन्तर चलती रहती थी। श्री विश्वनाथ चौबे और श्री पारसनाथ मिश्र वहां सदैव उपस्थित रहते थे। आपसी तर्क–वितर्क होते रहते थे। राजनीतिक सिद्धान्तों का विश्लेषण करते–करते कभी बहस तीखी हो जाती, ऐसा लगता अब लोगों में गुत्थम – गुत्थी होगी, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। दूसरे क्षण ही माहौल में वही ममत्व भरी बातों का आदान–प्रदान । इसके कारण आपसी प्रगाढ़ता एक क्षण भी कम नहीं हुई। एक ऐसा मिलन स्थल था

महानन्द जी का घर जों विभिन्न प्रकार के लोग आते अपनी बात कहते और मेरे जैसे लोग उसको सुनते रहते। नया–नया अनुभव था, एक नई सीख। समाजवादी आन्दोलन और उनके सिद्धान्तों के प्रति मेरे लिए लगाव की वह प्रारम्भिक पाठशाला थी। यहां से जो एक बार ममत्व मिला वह निरन्तर बढ़ता ही गया। ज्यों–ज्यों दिन बीतते गये 1942 में और उससे पहले किये गये महानन्द जी के क्रियाकलापों से हम परिचित होते गये। 1942 के इस सर्वमान्य योद्धा का इतिहास निराला था, रोमांचक था। पढ़ाई लिखाई नहीं के बराबर थी। पर बातचीत में प्रत्येक समस्या पर उनकी अपनी राय होती। समाजवादी सिद्धान्तों की व्याख्या में किसी ने कोई चूक की तो महानन्द जी सदा टोकने के लिए तैयार बैठे थे। किसी ने बहस चलाई तो फिर उसका सटीक उत्तर देने से नहीं चूकते। यदि हम लोगों ने उन्हें कभी चुप रहने के लिए कहने का साहस किया तो अपनी एक विचित्र मुस्कान के साथ यही कहते बी.ए., एम.ए. पढ़ लिया तो बिना पढ़े लिखों की बात सुनने का धीरज होना चाहिए। उसमें न कोई अटुता होती न कोई उपालम्भ। एक अजीब तरह का उपहास, एक संकेत जो हमें अपनी अनुभवहीनता के बारे में सोचने को विवश कर देता था।

राजनीतिक जीवन में महानन्द जी के लिए कुछ भी करने में कभी कोई हिचक नहीं रही। क्रान्तिकारी के रुप में हथियार जुटाना, लोगों को शिक्षित करना, समय आ पड़े तो उसके उपयोग में भी कोई हिचक नहीं, संशय नहीं, न कोई अहंकार, न किसी प्रकार का मलाल, पूरी तरह स्थिति प्रज्ञ। जीवन का दूसरा पहलू, प्रारम्भिक दिनों में नित्य जुआ खेलना, जो पैसा मिले उससे क्रान्तिकारियों और कांग्रेस कायकर्ताओं के भोजन का प्रबन्ध करना, स्वयं भोजन बनाना, उसमें भी कोई हिचक नहीं, वही शामश्वत शान्त एक अजीब मुस्कान के साथ लोगों को आकृष्ट करने वाला उनका चेहरा जो 1942 की चोटों से थोड़ा टेढ़ा हो गया था, जैसे वे निरन्तर लोगों को आंकते रहते हैं। यह भी एक अजीब कहानी थी कि जुएं में कभी हारे नहीं, हमेशा जीतते रहे और जो कुछ मिला उससे सुबह–शाम जो कार्यकर्ता उनके साथ रहते थे उनके भोजन की व्यवस्था करते थे। महानन्द जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, शायद चौथी कक्षा तक भी शिक्षा ग्रहण नहीं किये। लेकिन जब कभी बात करते थे तो ऐसा लगता था कि राष्ट्र की समस्याओं में उनकी गहरी पैठ है। भारत के भविष्य की उनकी अपनी कल्पना थी। पीड़ा और बेबसी को उन्होंने निकट से परखा था, उसको मिटाने के लिए उनके मन में उत्सर्ग की भावना थी, उसके लिए वे निरन्तर संघर्ष करते रहे। जीवन के अनुभव से उन्होंने मानव मर्यादा के महत्व को समझा था और उन्होंने अपने जीवन में भी सदा इसका निर्वाह किया। हर व्यक्ति जो उनके सम्पर्क में आया उसकी मर्यादा का ध्यान रखा। किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने का अवसर नहीं दिया। 1942 के आन्दोलन से दुस्सह यातना के शिकार हुए, कभी मुंह से आह नहीं निकाली। अंग्रेजी शासन के लोग उनके साहस और सहनशक्ति को देखकर अवाक रह गये थे। चोट खाने से आंख की रोशनी कम हो गयी। पैर के तलवे में लगातार मार पड़ने के कारण कम उम्र में ही पैर खराब हो गये थे। जेल से निकलने के बाद कभी

उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। पर न कभी उन्होंने अपने को बेबस महसूस किया न कभी चुप बैठे रहे, वे लगातार सक्रिय रहे। उनके मन में एक ऐसा अदम्य उत्साह था जिसके कारण कोई भी अवरोध उनके जीवन में निराशा के क्षण नहीं ला पाया। जीवन की कठिनाइयों को निरंतर जिन्दगी के स्वाभाविक उतार चढ़ाव के रूप में लिया, उससे निराश नहीं हुए। यों बाधायें तो आती रहती थीं लेकिन वे उन्हें अपने संकल्प से विचलित नहीं कर पातीं। स्वभाव से हठी थे, अपना दुख स्थितिप्रज्ञ के समान झेलते, पर दूसरे के दुख को सहन नहीं कर पाते, उसे मिटाने के लिए किसी हद तक जाते। उसके लिए किसी के सामने याचना करना उनके लिए साधारण बात थी।

कांग्रेस के आन्दोलन में उन्होंने दरवाजे–दरवाजे अनाज इकट्ठा करके कार्यकर्ताओं के भोजन का प्रबन्ध किया था। यह बात मैंने सुन रखी थी, मेरा अपना अनुभव ऐसा अविस्मरणीय है, रोमांचक है। विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के बाद बलिया में पार्टी का काम करने लगा था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय में लोगों को खाने–पीने की दिक्कतें होती थीं। एक दिन महानन्द जी छोटी बड़ी कई गठरी लेकर कार्यालय पहुंचे, मेरे सामने उन्होंने आटा, चावल, दाल का ढेर लगा दिया। मैंने पूछा ये कहां से लाये तो उन्होंने अत्यन्त स्वाभाविक ढंग से उत्तर दिया कि लोगों को कार्यालय में खाना खिलाना है तो शहर से अनाज मांग लाया। मैं अवाक रह गया। एक दिन पहले उनसे यों ही पार्टी आफिस में भोजनालय चलाने में उत्पन्न कठिनाइयों का जिक्र हो रहा था, कई लोग थे महानन्द जी भी सुनते रहे, कुछ बोले नहीं दूसरे दिन उनकी यह करामात। मुझे यह सब कुछ अटपटा लगा। भूखे रहना स्वीकार था पर भीख मांगने के पक्ष में होना मेरे लिये पूरी तरह अमान्य था। मैंने अपनी बात कही– उनसे–झगड़ा भी किया, पर महानन्द जी के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं, न कोई पश्चाताप न मेरी बातों का कोई असर। बात ही बदल डाली पर उस बात पर अड़े रहे कुछ दिन यह काम चालू रखे। विश्वनाथ जी और उनसे झगड़ना आसान नहीं था, कुछ भी कहिये वे चुप। महानन्द जी, श्री पारसनाथ मिश्र, श्री विश्वनाथ चौबे और गौरीशंकर राय उनसे बहस करते, पर अपनी जिदद पर अड़ गये तो किसी की नहीं सुनते। प्रारम्भ में सुनता रहता था। वे लोग अपने तर्क में विद्वतापूर्ण बातें करते थे, उसे अकारण समझने पर महानन्द जी अपनी बात कहने मे नहीं चूकते। बीच में कुछ ऐसा कटाक्ष करते मानो पढ़ाई–लिखाई का उपहास कर रहे हों। लेकिन अपने विचार रखने में कभी कमजोरी महसूस करते तो झट एम.ए. /बी. ए. पास होने से कुछ नहीं होता, बिना पढ़े–लिखे की बात भी सुन लिया करें, उनकी बातों में भी कुछ तथ्य कुछ शिक्षा मिलती है, यह उनका कथन बार–बार सुनने को मिलता। मैंने उनकी और चित्तू पाण्डेय के बीच हुए वार्तालाप का जिक्र कई बार सुना था। फरारी के दिनों में एक दूसरे से बहस करते। चित्तू पाण्डेय जी उम्र में बड़े थे उनका राजनीतिक सम्मान भी था। चित्तू पाण्डेय जी भी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन महानन्द जी को हमेशा स्नेहवश मूर्ख कहकर उनकी बातें टाल देते। दिन रात एक साथ रहना। अनेक परेशानियां, कभी भोजन नहीं, कभी ठहरने का स्थान नहीं। अजीब परेशानी के दिन थे। एक बार फरारी में गंगा-पार चित्तू पाण्डेय महानन्द जी से यह पूछ बैठे, महानन्द

इस इलाके में तुम्हारा कोई सेन्स है। महानन्द जी चिल्ला पड़े। पारसनाथ जी आइये, देखिये पाण्डेय जी गलत अंग्रेजी बोल रहे हैं। उन्होंने सौर्स को सेन्स कहा है। चित्तू पाण्डेय जी अपनी भूल पर हंस पड़े। लेकिन अपनी हाजिर जाबाबी और अत्यन्त आकर्षक बातचीत में महानन्द जी किसी को छोड़ते नहीं थे। संकट के दिनों में यह मनो–विनोद की क्षमता महानन्द जी के अल्हड़ स्वभाव की उपज थी। समाजवादी आन्दोलन के बड़े नेता महानन्द जी को अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखते थे। एक बार जयप्रकाश जी बलिया आये, महानन्द जी के आंख में कुछ अधिक कष्ट हो रहा था मैंने जे.पी. से उनके इलाज की बात कही, जे.पी. ने उनको अपने साथ पटना चलने के लिए कहा, वे पटना उनके साथ गये। पहलेजाघाट स्टेशन पर महानन्द जी रास्ते में थोड़ा पीछे रह गये। जे.पी. जी को कुछ दूर चलने के बाद याद आयी, वे पीछे मुड़े और महानन्द जी को साथ चलने के लिए कहा। स्वागत के लिए आये लोगों ने महानन्द जी की जिम्मदारी अपने ऊपर ली। जे.पी. ने स्वयं सारी व्यवस्था की, उनकी देख रेख के लिए लोगों को जिम्मेदारी दी। बाद में जब कभी भी बात होती थी महानन्द जी उसकी चर्चा करते थे। आन्दोलन के दिनों में उन्होंने जो यातना भुगती थी उससे उनका शरीर क्षत–विक्षत हो गया था। कष्ट पाने पर कभी आह उनके मुंह से नहीं निकली। आजादी के लिए संघर्ष करने वाला यह महापुरुष कम उम्र में ही हमारे बीच से चला गया। अनेक संस्मरण उनके बारे में मेरे मन में उभर कर आते हैं। पर एक बात बार–बार मेरे मानस को झकझोर जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की, जो किसी बड़े परिवार से सम्बद्ध नहीं रहा, जिसको अपनी जिन्दगी चलाना कठिन था, उनके मन में आजादी पर कुर्बान होने वालों के सुख–सुविधा की चिन्ता किस प्रकार सिमट कर घर कर गई थी, उससे वे कभी अपने को अलग नहीं कर सके। महानन्द जी के मन का एक ही भाव अपने को कष्ट में रखकर दूसरों को सुविधा पहुंचाना उनके जीवन का उद्देश्य रहा। जिसकी सहायता की उसका कभी जिक्र नहीं किया। ऐसा लगता था इसे न केवल अपना कर्तव्य मान रखा था वरन् यही उनके साहस त्याग निःस्वार्थ जिन्दंगी के चरम उत्कर्ष की एक अनुपम उपलब्धि थी। इसी ने उनके व्यक्तितव को निराला बना दिया था। जिसका उपकार किया ऐसी भावना उनके मन में नहीं आयी, यही उनके व्यक्तित्व को सही रूप में उजागर करता है। आजादी के दीवाने समता के समाज की स्थापना के लिए संघर्षशील नेता, जिसने युवकों को प्रेरणा दी आज हमारे बीच नहीं रहा। पर हम कैसे भुला सकेंगे उस अलमस्त फकीर को, जिसने अपने लिए कुछ नहीं संजोया, जो पाया औरों को लुटा दिया। सबसे अधिक लुटाया लोगों को अपना निश्छल स्नेह और बिखेरा वह अमर सन्देश "जिन्दगी है दूसरों के लिए जीने के लिये।" उस अलमस्त फकीर की याद को मेरा दिल की गहराइयों से सलाम।

● चन्द्रशेखर
सांसद

लेखक परिचय



पारसनाथ मिश्र

श्री पारसनाथ मिश्र श्रावण शुक्ल पंचमी सम्वत् 1980 तदनुसार 16 अगस्त 1923 को गांव मिश्रौली, पोस्ट–बिलथरारोड जनपद बलिया में जन्मे थे। उनके स्व. पिता पंडित जगदेव मिश्र रसड़ा मिडिल स्कूल में हेडमास्टर थे। आपका बड़ा परिवार सनातनी श्री वैशणव ब्राह्मण था। पिता कर्तव्य परायण शिक्षक थे। उने घर में सूर्य, शिव विष्णु एवं देवियों की नित्य उपसना हुआ करती थी। मिश्रौली गांव के चारो ओर अंसार के 40 गांव थे। इलाके का ज़मीदार मुस्लिम था। क्षेत्र में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थे। ऐसे उदार वातावरण में श्री पारसनाथ ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर जुलाई 1936 में ए.डी. मेस्टर्न हाई स्कूल में प्रवेश किया।

1930 का दशक भारतीय राजनीति का बड़ा महत्व पूर्ण काल रहा है। 1931 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त हो चुका था। सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद सरीखे स्वतन्त्रता सेनानी शहीद हो चुके थे। चन्द्रशेखर आजाद द्वारा हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भंग की जा चुकी थी। स्वदेशी आन्दोलन और अंग्रेज शासकों का दमन चक्र साथ–साथ चल रहे थे। संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के पूर्वान्चल के लगभग सभी जिलों में अलग–अलग संगठनों द्वारा क्रान्तिकारी आन्दोलन संचालित किये जा रहे थे। बलिया जनपद में "उत्थान" नामक एक क्रान्तिकारी दल गठित किया गया। महानंद मिश्र उत्थान के प्रमुख सदस्य थे। 'उत्थान' के संविधान में यह शर्त प्रमुख थी इस संस्था के सदस्य को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी सदस्य होना पड़ेगा। पारसनाथ जी उत्थान के सदस्य बने और बलिया के कांग्रेस कार्यक्रमों मे सक्रिय रूप से भाग लेने लगे।

संयुक्त प्रान्त लेजिस्लेटिव असम्बली के चुनावी दौरे पर पंडित जवाहर लाल 1937 में बलिया आये। पण्डित पारसनाथ ने उनकी सभा में भाग लिया। कांग्रेस सत्तारूढ हुई। प्रान्त के तत्कालीन प्रधान मंत्री (मुख्यमंत्री) गोविन्द बल्लभ पंत की सरकार ने अपने प्रान्त के राजनीतिक बंदियों को रिहा किया। कालापानी की सजा भुगतने वाले शचीन्द्र सान्याल, मन्मथनाथ गुप्त, शचीन्द्र नाथ बक्शी ने अंडमान से लौट कर प्रान्त के पूर्वान्चल का सघन दौरा किया। पंडित पारस नाथ ने बलिया में शचीन्द्र बाबू की एक सभा स्कूल में आयोजित करायी।

श्री पारसनाथ ने 1940 में संवरा–गोपालपुर (बलिया) में कांग्रेस कौमी सेवा दल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण दौर वह पूर्वान्चल के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता विश्वनाथ मर्दाना के सम्पर्क में आये तथा मार्क्सवाद–वैज्ञानिक समाजवाद से प्रभावित होकर कम्युनिस्ट आन्दोलन की ओर आकृष्ट हुए।

1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के समय श्री पारसनाथ काशी हिन्दू विद्यालय के छात्र थे। 14 अगस्त 1942 को उन्होंने बिलथरा रोड स्टेशन और डाकघर फूंका। 19 अगस्त को 42 को बलिया जेल खुलने और बलिया की आजादी की घोषणा के

बाद उन्होंने 22 अगस्त 1942 को उभांव थाने पर हमला किया और फौज के पहुंचने पर वह भूमिगत होकर अन्य क्रान्तिकारी कारवाई में जुट गये। 28 नवम्बर को बनारस में गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। उन पर स्टेशन और डाकघर फूंकने का मुकदमा बनारस, गाजीपुर और बलिया में चला। मई 1943 में उन्हें कठोर कारावास की सजा दी गयी। वह 28 फरवरी 1945 को जेल से छूटे। बनारस जेल में वह स्व. डा. सम्पूर्णानंद, पंडित कमला पति त्रिपाठी जैसे कांग्रेस नेताओं के सम्पर्क में आये। बलिया में फरारी के दौरान तथा जेल में वह चित्तू पाण्डेय के साथ रहे।

क्रान्तिकारी जीवन और जेल से सजा काट कर छूटने के बाद पारसनाथ जी जब दुबारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अपनी अधूरी पढ़ाई फिर शुरू करने बरानस गये तो विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो आजाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, दाखिला देने से मना कर दिया क्योंकि पारस नाथ जी सहित इस वि. वि. के छात्रों के बनारस के तत्कालीन प्रशासन ने जिला बदर कर रखा था। इस दौरान वह समाजवादी स्व. राजनारायण के सम्पर्क में भी आये। लेकिन डा. राधा कृष्णन ने मिश्र जी को लखनऊ वि. वि. में अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धान्त के नाम एक सिफारिशी पत्र दिया था। प्रो. सिद्धान्त द्वारा असमर्थता व्यक्त करने की वजह से पारसनाथ जी ने इलाहाबाद वि.वि. में प्रवेश लिया। इलाहाबाद में वह राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, देश के स्व. प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री, आचार्य नरेन्द्र देव जी के सम्पर्क में आये।

इलाहाबाद वि.वि. 1947 में स्नातक की डिग्री लेने के बाद अपने बड़े परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण मिश्र जी को उत्तर प्रदेश पुलिस में डी. डिप्टी एस. पी. की नौकरी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इमानदारी, कर्तव्य और अपने सिद्धान्त से समझौता न करना पड़े, इस वजह से उन्होने अविवाहित जीवन का संकल्प लिया और उसे निभाया।

आजादी की लड़ाई और कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रभाव के चलते श्री मिश्र को कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की करीब दो माह तक चली हड़ताल में गोली—लाठी चार्ज न करने की वजह से पुलिस प्रशासन के कोप का भाजन होना पड़ा। ऐसी ही स्थिति का सामना उन्हें मोदी नगर (गाजियाबाद) के मजदूरों के आन्दोलन के समय भी करना पड़ा। लेकिन पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी कर्तव्य परायणता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर पूर्व विधायक ओम प्रकाश के साथ मोदी नगर में श्रमिक आन्दोलन में भाग लेने के लिए मिश्र जी के घर आये। मिश्र जी ने इन दोनों को भोजन कराया लेकिन जब श्री चन्द्रशेखर तथा ओम प्रकाश जी श्रमिक आन्दोलन के कारण धारा 144 तोड़ने के लिए मोदी नगर पुलिस क्षेत्र में जैसे ही बस से पहुंचे इन दोनो को मिश्र जी के आदेश से तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री पारसनाथ मिश्र ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सी. आई. डी. के इकनॉमिक अफेंस विंग का जाल राज्य भर में फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। राष्ट्रपति पदक से अलंकृत आई.पी.एस. अधिकारी श्री मिश्र ने डी.आई.जी. के पद से 30 जून 1983 को अवकाश ग्रहण किया। श्री मिश्र आजकल लखनऊ में लेखन और अध्ययन करते हुए निवास कर रहे हैं।

• रवि मिश्र

पत्रकार